Friday, 25 February 1955

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

Preservation Unit 1-4-91
Fumigated On 11.11.83
Parliament Library

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कुटीर उद्योगों को राजकीय सहायता

*२०४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४ में अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा किस सीमा तक तथा किस दर पर हाथ से कुटे हुए चावल, गांव की घानी का तेल, साबुन और हाथ से बने हुए काग़ज़ के उत्पादन और बिक्री के लिये राजकीय सहायता दी गई है; और

(ख) इन वस्तुओं के उत्पादन में यह राजकीय सहायता कहां तक लाभप्रद सिद्ध हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**]

(ख) इस कार्य के परिणाम इतनी जल्दी नहीं आंके जा सकते हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस चालू वित्तीय वर्ष में ये रकमें कब स्वीकृत की गई थीं ?

श्री कानूनगो : ये रकमें १९५३-५४ और १९५४-५५ में स्वीकृत की गई थीं । यहां पर मेरे पास ठीक ठीक तारीख नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : विवरण में यह बताया गया है कि वास्तव में बांटी गई रकमों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये रकमें १९५३–५४ में स्वीकृत की गई थीं, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सूचना प्राप्त क्यों नहीं है ?

श्री कानूनगो : क्योंकि ये रकमें अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को दी गई थीं जो इन रकमों को राज्य सरकारों द्वारा मान्य संस्थाओं और राज्य बोर्डों को जहां कहीं भी वे हों, वितरित करता है । संभवतः वह उन अभिकरणों (एजेन्सियों) से अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कर सका है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : जब कि एक बड़ी धन-राशि राजकीय सहायता के रूप में बांटी जा रही है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाथ से चावल कूटने, तेल की घानियों आदि के लिये देहाती क्षेत्रों में नई अनुज्ञप्तियां भी दी जा रही हैं ?

श्री कानूनगो : औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत छोटे उद्योगों के लिये चाहे धान कूटने का काम हो अथवा तेल निकालने का उद्योग हो, अनुज्ञप्तियों की आवश्यकता नहीं है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४–५५ में हैंड-मेड खादी के लिये कितनी सबसिडी दी गई है ?

श्री कानूनगो : इस के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ हाथ से कुटा हुआ चावल निर्यात किया गया है ?

श्री कानूनगो : नहीं ।

श्री बंसल : कथित अवधि में विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल कितना धन स्वीकृत और वितरित किया गया है ?

श्री काननूगो : कुल धन जो दिया गया है, उस के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	रुपये
हाथ से चावल कूटने के लिये	३,५०,०००
घानी के तेल के लिये	४,००,०००
कुटीर साबुन के लिये	३२,०००
हाथ से बने काग़ज़ के लिये	६०,०००

श्री बंसल : यह सब रक़में दे दी गयी हैं ?

श्री कानूनगो : जी हां ।

श्री बंसल : सभी दे दी गयी हैं और बांट दी गयी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री सदस्य के बजाय अध्यक्ष के कथनानुसार चलें । प्रश्न संख्या २०५ ।

श्री एस० एन० दास : मेरा निवेदन यह है कि इस के साथ प्रश्न संख्या २१४, २१६ भी ले लिये जायें ।

श्री बलायुधन : प्रश्न संख्या २१४ इस से मिलता जुलता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न संख्या २०५ का उत्तर दिया जाय ।

पुनर्वास मंत्री का मुख्यालय

*२०५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल के विस्थापितों द्वारा यह निरन्तर मांग की गई है कि उन की समस्या की विशालता तथा भयंकरता को भली भांति समझने के हेतु केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री का मुख्यालय कलकत्ते में रखा जाय; और

(ख) क्या इस सुझाव के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिन में यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार को एक पुनर्वास उपमंत्री कलकत्ते में नियुक्त किया जाय ।

(ख) इस समय पुनर्वास मंत्री अपना अधिकतर समय वहीं व्यतीत कर रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन की अनुपस्थिति में उपमंत्री को कुछ विषयों के सम्बन्ध में निर्णय करने के अधिकार प्राप्त हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह स्पष्ट है कि उपमंत्री वहां स्वयं मंत्री की ओर से मंत्री की सहायता करने के लिये रखा गया है फिर भी महत्वपूर्ण मंत्री को निर्दिष्ट किये जाते हैं ।

पश्चिमी तिब्बत में भारतीय व्यापारी

*२०६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या प्रधान मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये, तारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सभी व्यापारी, जो पश्चिमी तिब्बत में फंस गये थे, सकुशल भारत वापस आ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन की वास्तविक संख्या कितनी थी; और

(ग) वे भारत में किस तारीख को पहुंचे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). जी हां, सभी व्यापारी, एक को छोड़ कर, जो कि शीघ्र ही आने वाला है, वापस आ गये हैं। वे सब मिल कर १० थे, जिन में से ९ तीन-तीन के तीन दलों में १६, २२ और २८ दिसम्बर, १९५४ को भारत पहुंच गये हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो एक व्यापारी अब भी वहां रह गया है उस के वहां रह जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सादत अली खां : उस को रोक लिया गया था ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस की क्या वजह थी ?

श्री सादत अली खां : हम उमीद करते हैं कि वह भी जल्दी ही भारत आ जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : पिछले समय जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से इन व्यापारियों को तिब्बत से लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही तिब्बत में जो चीनी अधिकारी हैं उन से भी सहायता ली जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वास्तव में इन चीनी अधिकारियों ने कोई सहायता दी थी, और यदि दी थी, तो किस प्रकार की ?

श्री सादत अली खां : चीन की तरफ़ से हर किस्म की सहायता हम को मिली ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री बंसल : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध वस्तुतः एक व्यक्ति से है अतः इस के लिये समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न संख्या २०७ ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : आप की अनुमति से मैं प्रश्न संख्या २०७, २१४, २१५ और २१६ के उत्तर एक साथ देना चाहता हूं, क्योंकि उन का सम्बन्ध एक ही विषय से है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या २५६ के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री सादत अली खां : हां २५६ भी ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं यह देख लूं कि सब सदस्य यहां हैं या नहीं। प्रश्न संख्या २०७ के लिये श्री डाभी यहां उपस्थित हैं। प्रश्न संख्या २१४ के लिये श्री कृष्णाचार्य यहां नहीं हैं। प्रश्न संख्या २५६ भी उन्हीं के नाम में है। प्रश्न संख्या २१५ और २१६ के लिये श्री ए० एन० विद्यालंकार और श्री जी० पी० सिन्हा यहां उपस्थित हैं। अतः प्रश्न संख्या २१४ और २५६ को छोड़ कर अन्य तीन प्रश्न अर्थात् २०७, २१५ और २१६ का उत्तर इस समय दिया जाये ।

भारत तथा पाकिस्तान के मंत्रियों का सम्मेलन

*२०७. **श्री डाभी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मार्च १९५५ के प्रथम सप्ताह में काश्मीर के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के मध्य नये सिरे से बातचीत किये जाने की प्रस्थापना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : भारत-पाकिस्तान

सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिये मार्च १९५५ के अंतिम सप्ताह में दोनों प्रधान मंत्रियों की एक बैठक किये जाने की प्रस्थापना है ।

भारत पाकिस्तान विवाद

*२१५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार के पास सौ ऐसे अनिर्णीत मामलों की एक सूची भेजी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक चल रहे हैं; और

(ख) वे मामले क्या हैं और इन में हम सफलता के कहां तक निकट हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). भारत-सरकार द्वारा पाकिस्तान-सरकार के पास दोनों संचालन समितियों द्वारा चर्चा किये जाने के निमित्त १२५ मामलों की एक सूची भेजी गई है । इस सूची में दोनों देशों के छोटे छोटे मामलों का उल्लेख है और वह साधारणतया सीमान्त व्यापार, पाकिस्तान में रोक लिये गये सामान और धन की मुक्ति, भारत सरकार राज्य सरकारें और स्थानीय संस्थाओं के कुछ अनिर्णीत दावों, अप्रैल १९५० के प्रधान मंत्रियों के समझौते तथा जुलाई अगस्त १९५३ के दोनों सरकारों पुनर्वास परामर्श-दाताओं के मध्य हुए समझौते के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुए वाद विषयों, लेखों तथा अन्य दस्तावेजों के संभरण और दोनों देशों के बीच यात्रा तथा परिवहन सुविधाओं से सम्बन्धित प्रश्नों के विषय में हैं ।

इन विषयों पर संचालन समितियों द्वारा उन की अगली बैठकों में चर्चा की जायेगी ।

श्री डाभी : क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बातें करने का कोई नया आधार ज्ञात हुआ है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सादत अली खां : कोई नया आधार नहीं है । पुरानी समस्याओं पर ही विचार किया जाना है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या पाकिस्तान सरकार को भेजी गयी समस्याओं में सिख गुरुद्वारों तथा मन्दिरों के प्रबन्ध से सम्बन्धित झगड़े भी हैं ?

श्री सादत अली खां : यह एक लम्बी सूची है । मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : पूर्व सूचना दी जा चुकी है । मैंने सूची ही मांगी थी ।

अध्यक्ष महोदय : सूची प्रस्तुत है । वह सूची को देख सकते हैं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार इस सूची की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं, हमारा ऐसा करने का विचार नहीं है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मेरे सिख गुरुद्वारों तथा मन्दिरों के प्रबन्ध सम्बन्धी पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभी का उत्तर स्वीकारात्मक दिया जा चुका है वह उन विशेष नामों को जानना चाहते हैं जिन को उन्होंने बताने से इन्कार कर दिया है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू तथा काश्मीर ने अपने विलय का संविधान सभा द्वारा अनुसमर्थन कर दिया है, तो अब वाद-विवाद के लिये नई बातें क्या होंगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस प्रकार के प्रश्न को इकतरफ़ा हल नहीं किया जा सकत

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि हाल में जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल आये थे उन से इस सिलसिले में कोई प्रारम्भिक बातचीत हुई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । मौक़ा नहीं मिला ।

श्री पी० एन० राजभोज : सारा काश्मीर हमारा है ऐसा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने लन्दन में बताया है । तो दोनों के बीच में नैगोसियेशन कैसे हो सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसी एक दूसरे से बातें होती ही रहती हैं । फिर भी गाड़ी चलती रहती है ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कभी-कभी इस प्रकार के सार्वजनिक भाषण देते हैं जिन से इन चर्चाओं के सफल होने में सन्देह उत्पन्न हो जाता है ?

श्री सादत अली खां : प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न का अभी अभी उत्तर दिया है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । उस से पूर्व, क्या मैं यह जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी परिवर्तित परिस्थितियां हैं जिन के आधार पर हम पाकिस्तान से काश्मीर समस्या पर वार्ता करने जा रहे हैं ?

श्री सादत अली खां : मैंने अभी उत्तर पढ़ा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अब पढ़ सकते हैं । मेरा विचार था कि उन्होंने पढ़ दिया था ।

भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की बैठक

*२१६. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने उन को कराची आने का निमंत्रण दिया है; और

(ख) चर्चा के क्या विषय हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). दिसम्बर १९५४ में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की ओर से प्रधान मंत्री को कराची आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था । इस के पश्चात् के पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप भारत-पाकिस्तान की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिये, मार्च १९५५ के अन्तिम सप्ताह में दोनों प्रधान मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने की प्रस्थापना की गई है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : वह कौन सी परिवर्तित परिस्थितियां हैं जिन के अन्तर्गत हम काश्मीर की समस्या पर पाकिस्तान से चर्चा करने जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुछ और समय व्यतीत हो गया है । अतः इस से परिस्थितियां निश्चय ही बदल गई हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि समस्या अभी वैसी ही है । जब तक कि समस्या है, उस को हल करने के लिये प्रयत्न किये जाते रहेंगे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान 'सीडो' में अधिक उत्सुक दिखाई देता है, हम कैसे समझ सकते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने एक ऐसी परिस्थिति बताई जो बदल गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या प्रधान मंत्री हमें यह बतायेंगे कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलते समय वह उन को पूर्वी बंगाल जैसे स्थानों में 'सीडो' के अड्डे स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में हमारी जनता की भावनाओं को बतायेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री

इस सभा में व्यक्त की जाने वाली भावनाओं की जानकारी रखते हैं। फिर भी, यदि अवसर मिला तो मैं भी इस विषय के सम्बन्ध में, इस देश की भावनाओं से उन्हें सूचित कर दूंगा।

नेईवेली लिग्नाइट खानें

*२१०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नईवेली लिग्नाइट खानों के कार्य को जारी रखने के लिये एक उच्च अधिकार समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के क्या कृत्य है; और

(ग) इस क्षेत्र में चालू की गई अग्रिम परियोजना के क्या परिणाम हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेडडी) : (क) और (ख). लिग्नाइट परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार के ५ प्रतिनिधियों तथा मद्रास सरकार के ३ प्रतिनिधियों की एक परियोजना समन्वय समिति बनाई गई है। यह समिति, मद्रास सरकार को अभिकरण के रूप में काम में लाते हुए इन के लिये समग्र रूप से उत्तरदायी होगी :—

(१) नेईवेली में आवश्यक समझी गई समस्त जांच को प्रारम्भ करना तथा पूरा करना;

(२) केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ, मद्रास सरकार के परामर्श से, लिग्नाइट को खान से निकालने तथा काम में लाने की सब से मितव्ययी तथा उपयुक्त योजना के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ग) प्रारम्भिक खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है। २६० लाख घन फुट, ऊपरी भूमि की होने वाली खुदाई में से २२८.९४ लाख घन फुट भूमि अर्थात् ८८ प्रतिशत दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक खोदी जा चुकी है। अग्रेतर कार्य को अस्थाई तौर पर बन्द कर दिया गया है जिस से कि लिग्नाइट के नीचे के जल के स्तर तथा दबाव को पम्प से पानी निकाल कर काफ़ी कम किया जाये जिस से कि पानी के दबाव के कारण लिग्नाइट की तह के फट जाने का भय जाता रहे।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह कहा गया है कि बृटिश परामर्शदाताओं ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। क्या सरकार ने उस की जांच कर ली है, तथा यदि हां, तो उसे कब प्रकाशित किया जायेगा ?

श्री के० सी० रेडडी : बृटिश टैक्निकल परामर्शदाताओं ने परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। वह तो एक सामान्य प्रतिवेदन है जिस में उन्होंने तीन में एक या उस से अधिक विकल्पों का सुझाव दिया है। जैसा कि मेरे उत्तर में बताया गया है एक पूर्णरूपेण परियोजना प्रतिवेदन अभी प्राप्त किया जाना है। जहां तक प्रतिवेदन के सभा-पटल पर रखे जाने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इस की एक प्रतिलिपि सभा के पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि कुछ उपकरण विदेशों से मंगाये गये हैं तथा यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वे किस देश से मंगाये गये हैं तथा उन का मूल्य क्या है ?

श्री के० सी० रेडडी : अभी इस सम्बन्ध में कोई उपकरण किसी भी देश से नहीं मंगाये गये है। जो कुछ किया गया है वह यह है कि कुछ पम्पिंग सैट्स के टैन्डर मांगे गये हैं। इस वर्ष मार्च के मध्य तक टैन्डरों के प्राप्त होने की आशा है।

श्री एस० बी० रामस्वामी : इस नवीन व्यवस्था का वित्तीय प्रबन्ध क्या है, केन्द्र का कितना अंशदान है तथा राज्य सरकार को कितना अंशदान देना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह निश्चय किया गया है कि अब न केवल प्रारम्भिक परियोजना के शेष भाग का तथा निर्णय होने पर पूर्ण परियोजना का वित्तीय उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार ले ले ।

श्री एस० बी० रामस्वामी : क्या लिग्नाइट को प्रयोग में लाने की कोई व्यापक योजना बनाई गई है ? क्या लिग्नाइट पर आधारित किसी इस्पात संयन्त्र को दक्षिण में स्थापित करने की भी योजना इस में सम्मिलित है ?

श्री के० सी० रेड्डी : व्यापक योजना अभी बनानी है । जहां तक कि लिग्नाइट को इस्पात संयन्त्र के लिये प्रयोग में लाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, जिस का माननीय सदस्य ने निर्देश किया, यह अभी दूर की बात सोचना है ।

श्री के० के० बसु : यदि लिग्नाइट खानों का कार्य प्रारम्भ किया गया तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस से किस सीमा तक दक्षिण की ईंधन की समस्या हल हो सकेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : बहुत अधिक सीमा तक ।

रंग पदार्थ

*२१२. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, भारत के रंग पदार्थ निर्माता संस्था के सभापति द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन के उस प्रतिवेदन की ओर गया है जो कि १ जनवरी, १९५५ के 'फ्री प्रेस जनरल' में प्रकाशित हुआ था तथा जिस में दिया हुआ था कि विशाल विदेशी संस्थायें, विभिन्न रंग बनाने के काय में लगे देसी उद्योगों के लिये घातक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, परन्तु वक्तव्य में स्थिति का ठीक ठीक अनुमान नहीं बताया गया है ।

(ख) रंग बनाने वाली विभिन्न संस्थाओं का भविष्य के विकास के कार्यक्रम तथा इस उद्योग का विकास किस प्रकार होना चाहिये । इस के सम्बन्ध में शीघ्र ही एक सर्वेक्षण करने का विचार है तथा इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ही सरकार की नीति निर्धारित की जायेगी ।

श्री गिडवानी : इस समय देशी उद्योग की रंग बनाने की क्षमता कितनी है ?

श्री कानूनगो : इस समय क्षमता संभावित तथा वर्तमान मांग से बहुत कम है । इस की कई मदें हैं । यदि मैं सभी मदों को पढ़ने लगूं तो इस में बहुत समय लगेगा । यदि माननीय सदस्य रंग पदार्थ के किसी विशेष मद के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं ।

श्री बंसल : क्या इस व्यापक योजना में किसी विदेशी विशेषज्ञ की सहायता लेने का विचार किया गया है, और यदि हां, तो क्या उस की सेवायें प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया गया है तथा किस देश से ?

श्री कानूनगो : जी हां । विदेशी विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है तथा इस समय हम इटली से एक विशेषज्ञ प्राप्त करने के लिये पत्र व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि इटली के हितों को भारत में कोई वित्तीय हित नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार देश में बड़ी विदेशी संस्थाओं द्वारा दिये जा रहे वर्तमान व्यापार के सम्बन्ध में कुछ आभास दे सकती है ?

श्री कानूनगो : उत्पादन क्षमता मुझे ज्ञात है परन्तु उन के व्यापार सम्बन्धी पक्ष के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री विश्वनाथ राय, अनुपस्थित ।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अन्त में हम इस पर विचार करेंगे ।

फिलिपाईन को जूट की वस्तुयें

*२१७. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने निजी जूट उद्योग को सुरक्षित करने के फिलिपाइन सरकार के हाल ही के निश्चय का भारत से टाट के निर्यात पर कुछ प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमकर) : (क) माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं है, परन्तु सरकार को फिलिपाईन सरकार के निजी जूट उद्योग को सुरक्षित करने कि किसी औपचारिक निश्चय के सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री राधा रमण : इस समय फिलिपाइन्स को कितने टाट का वार्षिक निर्यात किया जाता है ?

श्री करमरकर : संसार को हम जितना निर्यात करते हैं उस का ०·६ प्रतिशत । गत पांच वर्षों का औसत ४,७१८ टन है ।

श्री राधा रमण : यदि फिलिपाइन्स सरकार यह निश्चय करे, तो क्या भारत सरकार के पास इस कमी को पूरा करने के लिए जूट के निर्यात का कोई अन्य विकल्प है ?

श्री करमरकर : शीघ्र भविष्य में ऐसी कोई आशा नहीं है, और इस से डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं ।

वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन

*२१८. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन की कंडिका ८१ के निश्चयों से सहमत है कि बिना किसी प्रकार का आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन किये हथकरघों को अर्धस्वचालित करघों या विद्युत् करघों में परिवर्तित कर दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मुरारका : आज से ६ महीने पूर्व प्रतिवेदन पेश किया गया था, सरकार इस सम्बन्ध में किसी निश्चय तक पहुंचने में अभी और कितना समय लेगी ?

श्री कानूनगो : अभी ६ महीने नहीं हुए हैं, परन्तु सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निश्चय करने वाली है ।

श्री डाभी : क्या यह सच नहीं है कि प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि हथकरघों को अर्धस्वचालित करघों में परिवर्तित करने से बेरोजगारी फैल जायेगी ?

श्री कानूनगो : प्रतिवेदन में ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री पी० एन० राजभोज (माले गांव) : नासिक जिला के अनरजिस्टर्ड पावर लूम्स के बारे में बम्बई प्रदेश सरकार ने जो नोटिस

निकाल दिया है उस के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री कानूनगो : वह अलहिदा सवाल है, उस के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : बताया गया है कि इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक और प्रतिवेदन भी निकाला जाने वाला है । वह कब प्रकाशित होगा ?

श्री कानूनगो : कोई दूसरा प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं होगा । केवल परिशिष्ट छप रहे हैं ।

मध्यपूर्व को व्यापार प्रतिनिधि मंडल

*२२०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यपूर्व को गया हुआ भारतीय व्यापार सद्भावना मंडल वापस आ गया है और उस ने अपना प्रतिवेदन सरकार के पास प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). व्यापार मंडल वापस आ गया है और उस का प्रतिवेदन सरकार के पास एक महीने में आ जायेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस व्यापार प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन व्यक्ति गये थे ?

श्री करमरकर : निम्न व्यक्ति गये थे : श्री एम० पी० बिड़ला, श्री चरत राम, श्री आर० एल० किर्लोस्कर, श्री एन० एम० चोक्सी, श्री अरुनाचलम् चेट्टियार, श्री अरविन्द नरोत्तम सेठ, श्री ए० आर० कारदार, और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अवर-सचिव श्री आर० वेंकटेश्वरन् ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस व्यापार मंडल को सरकार ने भेजा था या ये व्यक्ति स्वयं अपनी प्रेरणा से गये थे ?

श्री करमरकर : इसे सरकार ने भेजा था ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस व्यापार मंडल ने इस प्रकार की कोई संभावना प्रकट की है कि भारतीय सामान वहां खप सकता है और यदि हां, तो क्या संभावना है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है ।

श्री करमरकर : शायद माननीय सदस्य भूल गये हैं कि सरकार प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है ।

भत्तों का पुनरीक्षण

*२२३. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सेवा कर्मचारी-वर्ग के भत्तों में कुछ परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस योजना पर कितना संभाव्य आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जब दूतावास खोले गये थे उस समय उन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विदेशी भत्ते तदर्थ निश्चित कर दिये गये थे । विदेशी भत्तों के निश्चित करने के प्रश्न का उचित आधार पर परीक्षण करने के लिए निरीक्षकों के एक दल को जिस में दो वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं नियुक्त कर दिया गया है । यूरोप के दूतावासों, इंगलैंड, तेहरान और कराची के दूतावासों का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षक वापस आ गये हैं और उन्होंने कुछ सुझाव रखे हैं, जो विचाराधीन हैं ।

(ग) निरीक्षकों के सुझावों पर सरकार द्वारा विचार करने के बाद ही आर्थिक व्यय का हिसाब बताया जा सकता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस दल द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन पर वैदेशिक-काय मंत्रालय या वित्त मंत्रालय विचार करेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय के परामर्श से सुझावों पर विचार कर रहा है ।

श्री जयपाल सिंह : विदेश सेवा कर्मचारी वर्ग के भत्तों को तय करने की बात पर विचार करते समय क्या उत्तरपूर्व सीमा अभिकरण पदाली के कर्मचारियों के भत्तों पर पुनः विचार किया जायेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह तो एक भिन्न बात है ।

संयुक्त राष्ट संघ

*२२४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति के भारतीय प्रतिनिधि १४ दिसम्बर, १९५४ को बेगार प्रथा के विरोध के प्रश्न पर तटस्थ रहे; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने इसलिए मत नहीं दिया कि बेगार के प्रश्न को राजनैतिक दृष्टिकोण से लिया गया था, न कि मानवता के दृष्टिकोण से ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को अपने दृष्टिकोण की सूचना पहले ही भेज दी थी या उन्होंने स्वयं ऐसा किया ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे सभी प्रतिनिधियों को जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं सरकार द्वारा संक्षेप में नीति से अवगत कराया जाता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है ? संयुक्त राष्ट्र संघ में मत देने के प्रश्न को छोड़ कर भारत सरकार का इस सम्बन्ध में क्या मत है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम सभी प्रकार के बेगार के विरुद्ध हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या उन्होंने यह बात स्पष्ट की है कि वह बेगार के विरुद्ध हैं परन्तु अनेक राजनैतिक कारणों से वह चुप रहे ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां । हम ने मत नहीं दिया पर एक वक्तव्य के द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का स्पष्टीकरण किया ।

मद्य निषेध जांच समिति

*२२५. **श्री हेडा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्य निषेध जांच समिति कब अपना प्रतिवेदन पेश करने वाली है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : समिति अपना प्रतिवेदन लगभग छः महीने में दे सकेगी ।

श्री हेडा : यह समिति मद्य निषेध की सफलता के बारे में प्रतिवेदन पेश करेगी या किसी अन्य सम्बन्ध में ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, संकल्प में कहा गया है कि यह समिति अब तक के प्राप्त अनुभव का पुनरावलोकन करेगी और राष्ट्रीय आधार पर मद्य निषेध के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सिफ़ारिशें करेगी ।

श्री डाभी : समिति ने कितनी प्रगति की है ? क्या उस ने कोई प्रश्नावली जारी की है, किन्ही स्थानों का दौरा किया है और क्या कुछ साक्ष्य इकट्ठे किये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : समिति की एक बैठक हुई है । बैठक सम्भवतः ५ या ६ जनवरी को हुई थी । इस ने दो राज्यों का दौरा किया और उपसमिति स्थापित की और एक प्रश्नावली भी निकाली है ।

सड़कों की लम्बाई मीलों में

*२२६. **श्री रनदमन सिंह** : क्या **योजना** मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कुल कितने मील सड़क सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा में (१) श्रमदान द्वारा (२) अन्य साधनों से, बनाई जा चुकी है;

(ख) इसमें से इस वर्ष कितने मील सड़क बनायी गयी है; और

(ग) किन राज्यों में यह कार्य पूरा हो चुका है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) ३०-९-५४ तक कुल १३०८० मील कच्ची पक्की सड़कें बनाई गईं जिसमें ११९९१ मील कच्ची और १०८९ मील पक्की हैं ।

विकास योजना में जनता का सहयोग तो परम आवश्यक है । कच्ची सड़कें श्रमदान से बनाई गयी हैं; सरकारी सहायता केवल पुलियों और टेकनिकल काम के लिए है । पक्की सड़कों के बारे में भी खुदाई का काम श्रमदान से ही होता है ।

(ख) अक्तूबर १९५३ से सितम्बर १९५४ तक ९२६० मील ।

(ग) सभी राज्यों में ।

श्री रनदमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात पूछनी है और वह यह है कि जो प्रश्न हिन्दी में किये जाते हैं उन के लिए मैं मंत्री महोदयों से कई मर्तबा अर्ज़ कर चुका हूं कि उन के जवाब हिन्दी में दिये जाया करें, लेकिन उन पर ग़ौर नहीं किया जाता । आज जब कि हिन्दी को भारतीय संविधान में राज-भाषा की मान्यता दी गयी है, तो मेरे निवेदन पर ग़ौर करने और स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री एस० एन० मिश्र : इस की सूचना हिन्दी में नहीं दी गई, नहीं तो उनको इस का जवाब हिन्दी में दिया जाता ।

श्री रनदमन सिंह : नम्बर तो मैंने हिन्दी में ही बोला है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना यह है कि आप ने सवाल की सूचना हिन्दी में नहीं दी है इसलिये उन्होंने अंगरेज़ी में जवाब दिया है । अगर आप हिन्दी में सवाल की सूचना देते तो जवाब भी हिन्दी में दिया जाता । लेकिन अगर आप को कोई सवाल पूछना हो तो वह आप पूछ सकते हैं ।

श्री रनदमन सिंह : इन सड़कों के लिये सरकार की ओर से कितना अनुदान मिला और जन सहयोग से इस के निर्माण में कितने मूल्य का काम लिया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जहां तक कच्ची सड़कों का सवाल है उस में तो यह सारी सड़कें जनता द्वारा बनाई जाती हैं, सिर्फ कल्वर्ट्स, स्किलि और इंजीनियरिंग वगैरह की जो सहायता देनी रहती है, वह सरकार देती है । और तो सारा काम जनता द्वारा ही होता है ।

श्री रनदमन सिंह : उस में श्रम कितने मूल्य का लगा और नकद कितना लगाया गया ?

श्री एस० एन० मिश्र: इस के बारे में पुनः सूचना चाहिये ।

पाकिस्तान सद्भावना मंडल

*२३०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ जनवरी, १९५० के पश्चात् कोई सरकारी या गैर-सरकारी भारतीय सद्भावना मंडल पाकिस्तान गया या कोई पाकिस्तानी सद्भावना मंडल भारत आया;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) यदि नहीं, क्या भारत ऐसा कोई सद्भावना मंडल पाकिस्तान को भेजना चाहता है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). इस अवधि में बहुत से सरकारी और गैर-सरकारी मंडल भारत से पाकिस्तान गये और पाकिस्तान से भारत आये । पर ऐसे किसी भी सरकारी मंडल को "सद्भावना मंडल" नहीं कहा जा सकता यद्यपि प्रत्येक मंडल या दौरे का प्रयोजन सद्भावना ही होता है ।

कुछ गैर-सरकारी मंडल, "सद्भावना मंडल" के नाम से समय-समय पर गये । इन की संख्या के बारे में हमारे पास आंकड़े नहीं हैं ।

इस समय पाकिस्तान को कोई औपचारिक सद्भावना मंडल भेजने का हमारा विचार नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : जो गैर-सरकारी सद्भावना मंडल के लोग पाकिस्तान गये थे, उन लोगों ने वहां से लौट कर कोई लिखित रिपोर्ट सरकार को दी है या नहीं ?

श्री सादत अली खां : हमारे पास उन की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

औषधि-निर्माण जांच समिति का प्रतिवेदन

*२३२ **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधि-निर्माण जाच समिति की अन्तर्राष्ट्रीय एकस्व पंजीयन को रद्द करने की सिफ़ारिश स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानुनगो) : (क) और (ख). औषधि-निर्माण जांच समिति की सिफ़ारिशों को सरकार जांच रही है और सरकार इस विषय में शीघ्र ही एक संकल्प निकालने जा रही है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विशेष रूप से औषधियों के लिये एकस्व सूत्र आरम्भ करने की घोर आवश्यता पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है ?

श्री कानूनगो : इस विषय पर एक विधेयक संसद् में पुरःस्थापित किया गया है और वह विचाराधीन है । उक्त विषय पर अग्रेतर विचार किया जा रहा है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि १९५२ में जब कि सभा में एक एकस्व विधि पर चर्चा की जा रही थी, माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि विदेशियों द्वारा अधिकृत समस्त एकस्व भारतीय निर्माताओं की मांग पर मुक्त रखे जायेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि औषधि-निर्माण जांच समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में निश्चित सिफ़ारिशें कर देने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री कानुनगो : कार्यवाही की जा रही है। समिति की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है और सिफ़ारिशों को दृष्टिगत करते हुए संसद् द्वारा विधान-निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अन्तिम विधि अधिनियमित करने के बाद भारत में संचालित विदेशी अधिकृत एकस्व की अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री कानूनगो : क्या विदेशों में पंजीकृत एवं उन के स्वामित्व के अन्तर्गत एकस्वों की संख्या में निश्चित रूप से कुछ वृद्धि हुई है ?

नदी सर्वेक्षण

*२३३. **श्री एस० सी० सामन्त** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नदियों के क्या नाम हैं जिन का एशिया और सुदूर एशिया के आर्थिक आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है;

(ख) क्या ब्यूरो द्वारा भारत भ्रमण के समय भारतीय अधिकारी भी सम्बद्ध थे; और

(ग) ब्यूरो के वे मुख्य सुझाव कौन कौन से हैं जो भारत में बाढ़ नियंत्रण के हमारे कार्य में सहायक हो सकते हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये **परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७**]

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से मुझे मालूम हुआ है कि उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर एक भारतीय विशेषज्ञ की सहायता से प्रारम्भिक जांच की गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या जब तक विभिन्न राज्यों की ओर से प्रार्थना नहीं की जाती है, ब्यूरो कोई काम नहीं करता है ?

श्री हाथी : वास्तव में ब्यूरो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है इस ब्यूरो में जानकारी का विनिमय होता है और भिन्न भिन्न सदस्य देशों से टेक्नीकल आंकड़े प्राप्त होने पर उन पर चर्चा की जाती है ।

श्री एस० सी० सामंत : मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तुत विवरण में उल्लिखित छः नदियों के बारे में ब्यूरो द्वारा क्या पर्यावलोकन किया गया था ?

श्री हाथी : छः नदियों में से प्रत्येक का पर्यावलोकन ब्यूरो ने प्रायः एक सदृश नहीं किया परन्तु प्रत्येक नदी का पर्यावलोकन उस के मार्ग, संग्रहीत आंकड़े और अन्य जो कार्य किये गये हैं, आदि को दृष्टिगत करते हुए ही अलग-अलग किया । विभिन्न नदियों के सम्पूर्ण पर्यावलोकन को थोड़े से शब्दों में बता सकना सम्भव नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान में कोई भारतीय विशेषज्ञ ब्यूरो से सम्बद्ध है ?

***श्री हाथी**: एक भारतीय इन्जीनियर, श्री कपूर ब्यूरो के स्टाफ में पहले से ही हैं । लेकिन वस्तुतः प्रत्येक देश अपने अपने विशेषज्ञ स्थायी रूप से नहीं भेजता है । इस के बाद सम्मेलन भी आयोजित होते रहते हैं जिन में हमारे प्रतिनिधि सम्मिलित हो कर चर्चा करते हैं ।

सुती कपड़े के थान

*२३४ **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में निर्यात किये गये मिल में बने हुए सूती कपड़े के थानों की मात्रा

*बाद में इस उत्तर में शुद्धि की गई । देखिये लोक-सभा वाद-विवाद, भाग २, दिनांक २४ मार्च, १९५५ का स्तम्भ संख्या २४२१ ।

कितनी है और उन का मूल्य क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्यात उक्त वर्ष के लिये लक्ष्य मात्रा से पर्याप्त रुप में कम थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का क्या विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ५८१४.५९ लाख रुपयों के मूल्य का ८० करोड़ ४५ लाख और ९० हज़ार गज़ ।

(ख) और (ग). योजना आयोग ने १९५३ और उस के पश्चात् १ अरब गज़ कपड़े के निर्यात की ओर दृष्टिपात किया था । हमारे निर्यात बाजार में प्रतियोगिता और आन्तरिक मांग में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष में ५९ करोड़ ३० लाख गज़ निर्यात की अपेक्षा २० करोड़ गज़ से अधिक की वृद्धि सन्तोषजनक है ।

(घ) सरकार निर्यात प्रवृति की ओर ध्यान रख रही है । उन्होंने भारतीय सूती कपड़े के थानों के निर्यात में वृद्धि करने के उपायों और साधनों को ढूंढ़ने के लिये सूती वस्त्र निर्यात प्रगति समिति की हाल ही में स्थापना की है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह: हिन्दुस्तान में जितनी डिमान्ड है, उस के मुताबिक कपड़ा तैयार हो जाता है ?

श्री कानुनगो : जी, हां ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : प्रति मनुष्य की खपत का प्री वार लेवेल क्या था ?

श्री कानूनगो : इस के लिये तो नोटिस चाहिए ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : आजकल प्रति आदमी कितनी डिमान्ड है ?

श्री कानूनगो : अब तो हमारी मिल्स का प्रोडक्शन करीब ४,००० मिलियन यार्ड्स है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अभी हमारे भाई ने जो सवाल का जवाब दिया उस के साथ मैं यह जवाब और देना चाहता हूं कि हमरा प्री वार कंज़म्पशन आफ क्लाथ १५ दशमलव कुछ गज़ था और अब भी १५ दशमलव कुछ गज़ हमारी अवेलेबिलिटी है ।

चाय

*२३५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के राज्य-मंत्री श्री ए० आर० डब्ल्यू लौ के साथ उन की हाल की दिल्ली यात्रा के समय चाय की कीमतों और निर्यात कोटा को शीघ्र ले जाने की सम्भावनाओं से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के परिणाम-स्वरूप चाय के निर्यात शुल्क में वृद्धि करने का कोई निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). श्री लौ के साथ की गई चर्चा गुप्त थी और इस विषय पर किसी प्रकार की जानकारी प्रकट करना लोक हित की दृष्टि से उचित नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि भारत से निर्यात होने वाली भारतीय चाय की कीमत और लन्दन में जिस कीमत पर वह बिकती है उन दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री करमरकर : प्रश्न सुन्दर है किन्तु उस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस का उत्तर मेरे पास नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रश्न से सम्बन्धित होने का कोई प्रश्न नहीं है, चूंकि कहा यह गया था कि प्रत्येक बात गुप्त रखी जाती है । फिर हमें यह कैसे ज्ञात हो कि क्या पूछना अवर्जित है ?

अध्यक्ष महोदय : उचित मार्ग यह होगा कि प्रश्न पूछा ही नहीं जाये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने श्री लौ को इस बात का आश्वासन दिया है कि चाय की कीमत कम करने में भारत ब्रिटेन को सहयोग प्रदान करेगा ?

श्री करमरकर : यह अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछने का एक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग है जिस के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया है कि वह उत्पन्न नहीं होता है ।

केन्द्रीय उद्योग बोर्ड

*२३६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना के १९५३–५४ के प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ १६१ पर उद्योगों के लिये एकाकी केन्द्रीय बोर्ड की रचना के लिये जो सिफ़ारिश की गई है उस की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) बोर्ड के मुख्य कार्य क्या हैं, तथा यह किन किन निकायों की कमी पूरी करेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) राज्य उपक्रमों के लिये एकाकी केन्द्रीय बोर्ड की रचना के प्रस्ताव पर भिन्न भिन्न राज्य उद्योगों के निदेशक-बोर्डों द्वारा परीक्षण किया गया था और उन के विचार सरकार को संप्रेषित कर दिये गये थे । चूंकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पास औद्योगिक व्यवसाय हैं, इस विषय पर विभिन्न मंत्रालयों की सचिव-समिति जो आर्थिक विषयों पर विचार करती है ने भी चर्चा की । सरकार ने अभी तक सचिव-समिति की सम्मति पर विचार नहीं किया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व यह प्रस्ताव फलित हो रहा है ?

श्री० के० सी० रेड्डी : आशा की जाती है कि उक्त अवधि के पूर्व ही हम किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे ।

श्री के० सी० सोंधिया : जिस बोर्ड की कल्पना की जा रही है उस का क्या कार्य है ?

श्री के० सी० रेड्डी भाग (ख) के अन्तर्गत इस का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । वर्तमान में यह उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री के० सी० सोंधिया : सिफारिशों पर किस लिये विचार किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सही निर्णय पर पहुंचने के लिये ।

पंजाब को सहायता

*२३८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने वहां राज्य में उद्योगों की सहायता के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्हें इस प्रकार सहायता प्रदान की जाने वाली है; और

(ग) क्या केन्द्र ने उक्त मांग पर कोई निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) रेशम, हथकरघा, गृह उद्योग और हस्त शिल्प तथा छोटे पैमाने वाले उद्योग ।

(ग) उक्त उद्योगों के लिये १९५४–५५ में मंजूर हुए सहायता-अनुदान और ऋण की रक़म बताने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि ऋण अथवा अनुदान के लिये क्या आधार है ? क्या संस्थाओं से अपनी मांगें प्रेषित करने के लिये कहा जाता है, अथवा राज्य द्वारा मांगें प्रस्तुत करने के बाद वे राज्य द्वारा भेजी जाती हैं ?

श्री कानूनगो : उक्त सब मांगें राज्य द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न यह है कि लोगों से अपनी मांगें रखने के लिये कहने हेतु कौन सी पद्धति है ? क्या इस प्रकार की अधिसूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस की मांग कर सकता है अथवा क्या इस के लिये कोई तदर्थ सरकारी माध्यम है जिस की सहायता से वे मांग उपस्थित करते हैं ?

श्री कानूनगो : विभिन्न राज्यों के उद्योग-विभाग अपनी अपनी योजनाएं तैयार करते हैं और वे संस्थाएं जो सरकारी स्वामित्व में नहीं हैं—भले ही वे सहायता अनुदान हों अथवा गैर सरकारी संस्थाएं हों—यदि उन के पास कोई योजनाएं हैं तो वे राज्य सरकारों के माध्यम से इन्हें प्रस्तुत करते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि क्या उक्त निधियों का कुछ भाग इन वस्तुओं के विपणन के लिये निर्धारित किया गया है ?

श्री कानूनगो : जी हां । हथकरघा योजना में कुछ विपणन प्रस्ताव भी हैं ।

हस्त शिल्प उत्पाद

*२३९. **श्री सारंगधर दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्त शिल्प वस्तुओं पर रेल भाड़े के विपरीत प्रभाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड ने रेल भाड़े में ५० प्रतिशत कमी की सिफ़ारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड द्वारा हाल ही में सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि हस्त शिल्प वस्तुओं के लिये रेल भाड़े की दरों में कमी होनी चाहिये । उस का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने दरों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार किया है ताकि भारतीय उद्योगों और हस्त शिल्पों को ही आयात की जाने वाली वस्तुओं पर अधिमान मिल सके ?

श्री कानूनगो : मेरा अनुमान है कि यह एक व्यापक प्रश्न है और इसे रेलवे मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

रेडियो श्रोताओं का नमूना सर्वेक्षण

*२४०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) की श्रोता गवेषणा टुकड़ियों द्वारा संचालित रेडियो श्रोताओं के नमूना सर्वेक्षण के कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन में से कितने प्रतिवेदनों पर विचार किया गया है, तथा क्या क्या प्रमुख निर्णय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) विगत पांच वर्षों में अखिल भारतीय आकाशवाणी की श्रोता गवेषणा टुकड़ियों द्वारा ७४ नमूना सर्वेक्षण संचालित किये गये हैं और उन के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) चार सर्वेक्षणों के अतिरिक्त अन्य सब स्टेशन बार संचालित किये गये थे और वे सब स्टशनों की समस्याओं और सम्बन्धित क्षेत्रों पर व्यवहृत थे; स्टेशनों के अन्तर्गत श्रोता भी उस में आ जाते हैं । सम्पूर्ण प्रतिवेदनों से प्रसूत तथ्यपूर्ण निर्णय और निष्कर्षों पर विचार कर लिया गया है और कार्यक्रमों तथा संगठन की योजना बनाते समय उन्हें दृष्टिगत किया जायेगा । उक्त तथ्यों और निर्णयों पर आधारित कोई अखिल भारतीय रूप वाली विस्तृत सारावली तैयार नहीं की गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन प्रतिवेदनों में से कितने गांवों में सुनने के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के सम्बन्ध में हैं ?

डा० केसकर : आंकड़े देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी, किन्तु काफी बड़ी संख्या ग्रामीण श्रोताओं के लिये रखी गई थी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन प्रतिवेदनों का वर्गीकरण रेडियो स्टेशनों द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की विभिन्न मदों के अनुसार हुआ है, अथवा किसी अन्य प्रकार से हुआ है ?

डा० केसकर : उन का विभिन्न मदों (प्रकारविशेषों) के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, माननीय सदस्य ग्रामीण कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले ज्ञात होते हैं । मैं उनको यह बतला दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने वालों की गवेषणा के फलस्वरूप ग्रामीण कार्यक्रम में पर्याप्त परिवर्तन किये गये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मंत्रालय को नमना सर्वेक्षण से संगीत के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

डा० केसकर : जी हां ।

श्री वेलायुधन : क्या नमूना सर्वेक्षण के फलस्वरूप ही, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, सिनेमा संगीत को पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है ?

डा० केसकर : इस का नमूना सर्वेक्षणों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं तथा मेरे माननीय मित्र को, यदि वे सिनेमा संगीत के पुनः आरम्भ के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं तो उन्हें भ्रांति हुई है । मैं सभा में कई बार व्याख्या कर चुका हूं कि सिनेमा संगीत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा प्रतिबन्धित रूप में सिनेमा संगीत वहां जारी है ।

दिल्ली को बिजली

*२४१. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नंगल के विद्युत्गृह से संभरित विद्युत् तथा वर्तमान विद्युत् के मूल्य में कुछ अन्तर होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : पंजाब पी० डब्ल्यू० डी० विद्युत् शाखा तथा दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के बीच विद्युत् संभरण के समझौते का अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है । दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड पंजाब सरकार द्वारा दी गई विद्युत् की दरों पर विचार कर रहा है । इसलिये इस स्थिति में संभरण की वर्तमान तथा भावी दरों के अन्तर के सम्बन्ध में संकेत देना सम्भव नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : हम डी० वी० सी० से कलकत्ता तथा नंगल से दिल्ली को विद्युत् संभरित करते हैं । संभरण, इत्यादि के मूल्य की दरों, शर्तों अथवा नियमों की एक-रूपता के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री हाथी : प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु दरें प्रत्येक विशेष योजना के उत्पादन मूल्यों पर निर्भर करती हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : नंगल के सम्बन्ध में विद्युत् संभरण का आवर्ती लागत कौन देगा । वह दिल्ली के लोगों द्वारा चुकाया जायगा अथवा नंगल के लोगों द्वारा ?

श्री हाथी : विद्युत् की वास्तविक उत्पत्ति अर्थात् परियोजना की प्रबंध व्यवस्था, पदा-धिकारियों के हाथ में ही रहेगी ।

इस्पात संयंत्र

*२४२. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का ब्रिटिश प्रस्ताव सरकारी रूप से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों तथा शर्तों का अन्तिम रूप से निर्णय हो गया है; और

(ग) करार कब तक पूरा हो पायेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). ब्रिटिश सरकार की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें भारत सरकार द्वारा लोहे तथा इस्पात का संयंत्र स्थापित करने में ब्रिटिश हितों को सहयोग देने का प्रस्ताव रखा गया है । इस सम्बन्ध में यहां एक टेकनिकल दल आने वाला है । भारत सरकार द्वारा हाल ही में कोलम्बो योजना के अधीन आने वाले टेकनिकल मिशन को सामान्य शर्तों पर निमंत्रण दिया गया है ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या यह सच है कि टेकनिकल विशेषज्ञ आ रहे हैं ? यदि हां, तो वे कब आ रहे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : अभी निश्चित तारीख का निर्णय नहीं हुआ है । इस दल तथा कुछ अन्य बातों के लिय निर्देश के पदों पर भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों में वार्ता हो रही है । बातचीत के बाद ही हम बता सकेंगे कि वे कब आ रहे हैं ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या हम इस संयंत्र के स्थान के सम्बन्ध में सरकार से कुछ सूचना प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : संयंत्र के सम्बन्ध में अभी से चर्चा करना बहुत शीघ्रता होगी ।

श्री के० के० बसु : क्या अन्य देशों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वे कौन से देश हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में एक पृथक् प्रश्न पूछने का सुझाव दूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या ब्रिटिश सरकार से करार हो जाने के पश्चात् सरकार ने विश्वभर के टेंडर

निमंत्रित करने का निश्चय किया है अथवा इस्पात संयंत्र का संभरण ब्रिटिश सरकार तक ही सीमित रहेगा ।

श्री के० सी० रेड्डी : यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर वार्ता चल रही है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या उत्पादन मंत्री ने कहीं पर यह कहा है कि यह नया इस्पात संयंत्र बिहार में कहीं पर स्थित होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं । वह बिहार में होगा अथवा बंगाल में, अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान में ।

ग्रामीण आवास

***२४३. श्री अच्युतन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत की आवास योजना का प्रचार किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मेरा अनुमान है कि माननीय मंत्री कम आय वाले वर्गों की आवास योजना की ओर निर्देश कर रहे हैं । यह योजना राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित की जा रही है, जो राज्यों के घने बसे हुए क्षेत्रों तथा इस योजना के अधीन उपलब्ध कोष को ध्यान में रखते हुए निःसन्देह आवश्यक सीमा तक प्रचार करेंगी ।

श्री अच्युतन : यदि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाये तो कितने प्रतिशत होगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस प्रश्न का मन्तव्य नहीं समझ सका । मैं नहीं कहता कि माननीय सदस्य किस बचत की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

श्री अच्युतन : व्यय की वह कमी जो इस योजना के अनुसार मकान बनाने पर होगी ।

अध्यक्ष महोदय : उन के कहने का तात्पर्य यह ज्ञात होता है कि मकानों को इस योजना की सहायता लिये बिना ही बनाने के स्थान पर यदि उन्हें इस योजना के अनुसार बनाया जाय तो कितनी बचत होगी ?

सरदार हुक्म सिंह : कठिनाई यह है कि प्रश्नकर्ता कम लागत वाले मकानों के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, तथा मंत्री कम आय वाले वर्गों की आवास योजना के सम्बन्ध में उत्तर दे रहे हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से इस में कोई भ्रांति नहीं है क्योंकि कम लागत की आवास योजना जैसी कोई चीज़ नहीं है । मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि योजना, कम आय वाले वर्गों की आवास योजना है । जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है वह योजना मकान बनाने वालों को आर्थिक सहायता देने के निमित्त है । बचत की सीमा व्यक्तिगत भवन-निर्माता पर निर्भर करती है । वही विशेष सीमाओं के अधीन रूपांकन निर्माण की एजेन्सी तथा उपयोग में आने वाली सामग्री इत्यादि का निश्चय करता है । वास्तव में योजना में मूल्य को घटाने के लिये कुछ भी नहीं है ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार को मालूम है कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा कम लागत के आवासों के सम्बन्ध में एक प्रदर्शनी हुई थी ?

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

***२४४. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **योजना मंत्री** १५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये

तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अन्य राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के औद्योगिक विकास के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; तथा

(ख) उन की योजनायें किस प्रकार की हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) (१) मध्य प्रदेश, (२) आंध्र, (३) पंजाब, (४) त्रावनकोर-कोचीन, (५) मध्य भारत ।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या २९**]

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों से औद्योगिक विकास के जो प्रस्ताव आये हैं उन में से कितनों पर योजना कमीशन अपना अन्तिम निर्णय दे चुका है ?

श्री एस० एन० मिश्र: अभी उन के किसी भी प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय देने का समय नहीं आया है, लेकिन हम ने कुछ प्रारम्भिक रूप से अपनी प्रतिक्रियायें ज़ाहिर कर दी हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या राज्यों ने सामान्यतः छोटे पैमाने के उद्योगों की सिफ़ारिश की है अथवा बड़े पैमाने के उद्योगों की ?

श्री एस० एन० मिश्र : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से यह बिल्कुल स्पष्ट जायेगा; माननीय संदस्य स्वयं ही उस का निष्कर्ष निकाल सकते हैं ।

इस्पात संयंत्र

***२४५. श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्र खोलने के करार के फलस्वरूप भारतीय विशेषज्ञों का एक दल रूस जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन कौन से हैं; और

(ग) इस संयंत्र को स्थापित करने के स्थान के सम्बन्ध में वित्तीय भार को राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के बीच किस पद्धति से विभाजित किया जायगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) करार में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा पश्चात् रूस द्वारा एक अथवा अनेक भारतीय मंडलों को निमंत्रित करने का उपबन्ध है ।

(ख) मंडल (अथवा मंडलों) के गठन के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ग) यह इस्पात संयंत्र भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है । वह भारत सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अप्राधिकृत संगठन ही उस की व्यवस्था तथा स्वामित्व गृहण करेगा । इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय जिम्मेदारी बटाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु मध्य प्रदेश की सरकार ने इस्पात संयंत्र के लिये बिना मूल्य राज्य की भूमि उपलब्ध करने तथा निजी व्यक्तियों की भूमि के लिये नियत अधिकतम सीमा से मूल्य अधिक हो जाने पर उसे चुकाने का भार लिया है । उन्होंने इस्पात संयंत्र के लिये निरन्तर तथा उपयुक्त जल संभरण करने की, तथा (२) इस परियोजना के लिये आवश्यक कच्चे माल के सम्बन्ध में पट्टारहित खनन रियायतों पर अधिमान्य दावा देने की प्रत्याभूति दी है ।

श्री जेठालाल जोशी : करार की क्या शर्तें हैं, जो रूस की सरकार ने पूरी करनी हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान करार की उस प्रतिलिपि की ओर दिलाना चाहूंगा जो कि मैं सभा पटल पर रख रहा हूं ।

श्री जेठालाल जोशी : मेरी समझ से यह सारी योजना ७७ करोड़ रुपये की है । क्या माननीय मंत्री इस धनराशि के अन्तर्गत निर्माण के व्यय, मशीनों के आयात का व्यय, तथा नियोजित पूंजी के अलग-अलग आंकड़े बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे लग रहा है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न के विस्तार में जा रहे हैं । अभी इन प्रश्नों के उत्तर देने का उपयुक्त समय नहीं आया है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इस क्षेत्र में रूसी प्रस्ताव पहिला तथा ब्रिटिश प्रस्ताव उस के पश्चात् आया है और क्या अंग्रेज़ों ने इस्पात के निर्माण में पूर्ण समानता तथा सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है ।

श्री के० सी० रेड्डी : कालक्रम के अनुसार अंग्रेज़ों का प्रस्ताव रूसी करार हो जाने, अथवा रूसी प्रस्ताव आने के पश्चात नहीं हुआ । लेकिन जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह अनुमान मात्र है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सरकार ने करार करने के पूर्व इस्पात संयंत्रों का चलना, आदि देखने के लिय रूस में इस देश से पर्यवेक्षक क्यों नहीं भेजे ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह एक प्रारम्भिक करार है । अब हम उस उद्देश्य के लिए, जिस का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, अपना टेक्नीकल दल या दलों को रूस भेजने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या हम यह जान सकते हैं कि कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : करार में समय का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है ।

सक्षम पदाधिकारी

*२४६. **सरदार अकरपुरी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार सक्षम पदाधिकारियों के पदों को समाप्त कर के उन का कार्य तहसीलों में राजस्व पदाधिकारियों को देने का है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : जी नहीं ।

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकता हूं कि आया काम्पीटेंट आफिसर्स का काम तसल्लीबख्श है, और वह कब तक खत्म होगा ?

श्री जे० के० भोंसले : काम तो बहुत तसल्लीबख्श है, लेकिन कब तक खत्म होगा, यह नहीं बतलाया जा सकता ।

सरदार अकरपुरी : पंजाब में हजारों रिफ्यूजीज़ को ज़मीन नहीं मिली है । काम्पीटेंट आफिसर्स ने ज़मीन खाली करा कर उन को देनी है । तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उन को यह काम तेजी से खत्म करने की ताकीद करेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम है कि इस में काम्पीटेंट आफिसर्स का सवाल नहीं है । काम्पीटेंट आफिसर्स इसलिए है कि जो कम्पोज़िट प्रापर्टी है उस का डिवीज़न करें, यानी इवेक्वी के इन्टरेस्ट को अलग करें और क्लेमेंट के विवाद को अलग करें । लेकिन जहां तक जमीन देने का सवाल है, वह तो रेवेन्यू आफिसर्स का काम है ।

सरदार अकरपुरी : मैं तो तजुर्बे की बिना पर कहता हूं । आप शायद रिकार्ड की बिना पर कहते हैं । जो वहां होता है वह यह कि नोटिस दे कर ज़मीन खाली करवाई जाती है और उस को नीलाम कर दिया जाता है । तो जमीन एलाट करने का काम तो रेवेन्यू आफिसर्स का है और वे उस को करेंगे, लेकिन खाली तो वह करायेंगे । इसीलिये मैं ने कहा कि क्या सरकार उन से जल्दी ज़मीन खाली कराने के लिए ताकीद करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह सच है कि राजस्व पदाधिकारी खाली होने वाली भूमि का बंटवारा करते हैं । परन्तु, भूमि खाली करने का काम सक्षम पदाधिकारियों का है । क्या सरकार ने सम्पत्ति को शीघ्र खाली करने की बात पर विचार कर लिया है ताकि राजस्व पदाधिकारी इस का बटवारा कर सकें ?

श्री जे० के० भोंसले : अगर वह सेपरेशन का काम है तो काम्पीटेंट आफिसर्स जरूर करेंगे ।

कुटे चावलों का निर्यात

*२४७. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटे चावलों के निर्यात को निर्बाध छोड़ने और उस पर निर्यात शुल्क में कमी करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : सामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण व्यापार को युद्धपूर्व रूप धारण करने दिया गया । युद्धपूर्व काल में भारत चावल का निर्यात भी करता था और आयात भी ।

जब देश के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्य में अधिक अन्तर था, तब निर्यात-शुल्क लगाया गया था । संसार के मूल्यों में कमी होने के कारण, मूल्यानुसार २० प्रतिशत का शुल्क जारी न रखा जा सका और घटा कर युद्धपूर्व प्रचलित २ आने ३ पाई प्रति मन की दर पर लाना पड़ा ।

श्री साधन गुप्त : क्या निर्यात को निर्बाध छोड़ने का कारण यह है कि वास्तव में आधिक्य है, यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि आधिक्य खाद्यान्न के आधिक्य की बजाय क्रय-शक्ति का अधिक प्रतिनिधित्व करता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हमने सम्पूर्ण विषय पर विचार किया था और वर्तमान सरल प्राप्ति की दृष्टि स हमने विचार किया कि आयात और निर्यात दोनों का युद्धपूर्व का रूप ग्रहण किया जा सकता है । हमने जो भी किया है वह यह है कि थोड़ी मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी है । अधिकतम मात्रा २ लाख टन होगी जिसमें से केवल ७४,०५० के विक्रय का पंजीयन हुआ है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बनावटी पेट्रोल

*२०८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बनावटी पेट्रोल के उत्पादन की क्या स्थिति है; और

(ख) क्या बनावटी पेट्रोल संयंत्र के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में किसी राज्य ने केन्द्रीय सरकार के पास पहुंच की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सिद्धान्त रूप में सरकार ने देश में एक बनावटी तेल संयंत्र अधिष्ठापित करना स्वीकार कर लिया है। आरम्भ के रूप में एक या अधिक ऐसी फर्मों से जिन्हें अन्तर-

ष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, आवश्यक योजना सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) जी नहीं । फिर भी, १९४८ में उड़ीसा के एक गैर-सरकारी निगम ने उड़ीसा सरकार के द्वारा पहुंच की थी ।

गन्दी बस्तियों को साफ करना (बैंगलौर)

*२०९. **श्री केशवैयंगार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३१ अगस्त, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के मेयर ने नगर की गंदी बस्तियों की सफाई के लिए कोई पुनरावर्तित (पुनरीक्षित) योजनायें प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की वित्तीय सहायता मांगी गई है, और ऋण की शर्तें, यदि हों तो, क्या हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाढ़ नियन्त्रण

*२११. **श्री अमजद अली** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी के प्रकोप से डिब्रूगढ़ और कुछ अन्य नगरों को बचाने के लिए जो संरक्षात्मक कार्य किया जायगा, उस की लागत के लिए कितना धन मंजूर किया गया है;

(ख) क्षेत्र में वास्तविक बाढ़ नियन्त्रण कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) क्या विशेषज्ञों ने नियन्त्रण कार्य की टैक्नीकल बातों की भली प्रकार जांच कर ली है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इस कार्य के लिए भारत सरकार ने अभी कोई धन नहीं दिया है ।

(ख) कार्य आरम्भ हो चुका है और उस में प्रगति हो रही है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

बाढ़ की रोकथाम

*२१३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में गंडक, राप्ती और कागरा नदियों में बाढ़ों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : उत्तर प्रदेश में गंडक, राप्ती और घागरा नदियों पर बांध-निर्माण कार्य हो रहा है । इस के अतिरिक्त, राप्ती नदी पर छोटे छोटे जलाशय बनाने का कार्य भी हो रहा है ।

बिहार के बारे में, स्थिति यह है कि राज्य सरकार गंडक नदी के बायें किनारे पर चम्पारन बन्ध में रिक्त स्थानों को भरने और नदी के दायें किनारे पर लगभग १६ मील के सरन बान्ध को सुधारने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

*२१४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च १९५५ में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का अन्तिम निश्चय हो गया है;

(ख) क्या दो प्रधान मंत्रियों की बैठक के पूर्व भारत और पाकिस्तान के सरकारी पदाधिकारियों का कोई सम्मेलन भी होगा;

(ग) क्या दो देशों के समस्त अनिश्चित विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा; और

(घ) क्या बैठक का स्थान कराची निर्धारित किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (घ). हां, श्रीमान्। प्रधान मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में होगी और संचालन समितियों की बैठकें, जिन में दोनों सरकारों के पदाधिकारी होंगे, कराची और नई दिल्ली में होगी ।

गोआ

*२१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पुर्तगाली सरकार ने गोआ के डाकघरों को निदेश दिये हैं कि साधारणतया भारत से आने वाले साहित्य को न बांटा जाये

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सरकार ने समाचारपत्रों में यह ख़बर, जिस का पुर्तगाली राजदूतावास ने खंडन किया है, देखी है कि गोआ में डाकघरों को गोपनीय निदेश दिये गये हैं कि वैदेशिक कार्य विवाद में प्रधान मंत्री के भाषण और गोआ स्थित भारत के महावाणिज्य दौत्य से प्राप्त होने वाले साहित्य का वितरण न किया जाय।

केन्द्रीय चलचित्र बिवाचक बोर्ड

*२२१. **श्री बो० डी० शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मस्त प्रादेशिक विवाचक बोर्ड भंग कर दिये जायेंगे और उन का कार्य केन्द्रीय बोर्ड को दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भाखड़ा नंगल परियोजना

*२२२. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही भाखड़ा-नंगल परियोजना की अनुमानित लागत का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण अनुमानित लागत क्या है;

(ग) अब तक क्या व्यय हुआ है; और

(घ) परियोजना कब तक पूर्ण होगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १५७.३९ करोड़ रुपये । पुनरीक्षित प्राक्कलन भाखड़ा-नंगल नियन्त्रण बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ग) नवम्बर, १९५४ के अन्त तक ९९ करोड़ रुपये ।

(घ) १९५९ के अन्त तक ।

ब्रह्माण्ड रश्मि गवेषणा प्रयोग शाला (ऊटाकमण्ड)

*२२७. **श्री एस० के० रज़मी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊटाकमण्ड में एक ब्रह्माण्ड रश्मि गवेषणा प्रयोगशाला स्थापित करने के बारे में कोई निश्चय किया गया है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए कोई भवन प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) प्रयोगशाला कब कार्य आरम्भ करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). यद्यपि अणुशक्ति आयोग के सभापति ने विगत ग्रीष्म ऋतु में ऊटाकमण्ड में अनेकों स्थानों का, दक्षिण भारत में एक ब्रह्माण्ड रश्मि केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान निश्चित करने की दृष्टि से, भ्रमण किया था, परन्तु भारत सरकार ने ऊटाकमण्ड में कोई ब्रह्माण्ड रश्मि गवेषणा प्रयोगशाला स्थापित करने का निश्चय नहीं किया है ।

'टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फण्डामेन्टल रिसर्च' ऊटाकमण्ड में उत्तुंग ब्रह्माण्ड रश्मि प्रयोग कर रहा है । इस गवेषणा का यन्त्र राजभवन के गेट हाऊस क्वाटरों में, जो मद्रास सरकार की निजी अभिरुचि द्वारा स्थायी रूप से 'इंस्टीटयूट' को दे दिये गये हैं, अधिष्ठापित किया गया है ।

माही के नागरिक

*२२८. **श्री पुन्नूस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक माही के लगभग ५० राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की नागरिक स्वतन्त्रता आदि पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाया नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि उन पर विलय के पूर्व की उन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में मुकदमा चलाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). पाण्डेचेरी के सम्पूर्ण राज्य में जिस में माही भी सम्मिलित है, नागरिक स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं । शायद माननीय सदस्य माही के उन राष्ट्रीय नेताओं के दण्डादेशों के बारे में पूछ रहे हैं जिन को फ्रांसीसी प्रशासन के विरुद्ध कुछ राजनैतिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भूतपूर्व फ्रांसीसी भारतीय सरकार ने १९५० में दण्डित किया था । अब वे सभी निर्णय रद्द कर दिये गये हैं ।

रोजगार

*२२९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अर्थ नीति के स्वप्रयत्नों से रोज़गार प्राप्त कराने वाले विभाग के विकास के द्वारा सम्पूर्ण रोज़गार दिलाने के सम्बन्ध में कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का रूप क्या है; तथा

(ग) कितने समय तक बेरोज़गारी की यह समस्या हल हो जाने की आशा है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गोआ

*२३१. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पुर्तगाली सरकार ने गोआ में दाखिल होने के कारण गिरफ्तार हुए सभी सत्याग्रहियों को मुक्त कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस विषय में पुर्तगाली प्राधिकारियों से कोई टिप्पण प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) यदि हां, तो वास्तव में कितने व्यक्ति मुक्त किये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). १४ तथा

१५ जनवरी, १९५५ को ऐसे ५७ सत्याग्रहियों को, जिन्हें बिना मुकदमा चलाये, गोआ में रोक रखा था मुक्त कर दिया गया और उन्हें भारत की सीमा में भेज दिया गया । इस की पूर्वसूचना पुर्तगाली दूतावास द्वारा दी गयी थी ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

*२३७. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या **योजना** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये किन्हीं अग्रेतर योजनाओं की सिफ़ारिशें भेजी हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो उन में से कितनी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रस्थापनाएं अभी शिल्पिक निरीक्षण के अधीन हैं । इन प्रस्थापनाओं पर उस समय विचार किया जायगा जब कि योजना आयोग उस राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जांच करेगा ।

इस्पात संयंत्र

*२४८. **श्री शिवमूर्ती स्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोहे और इस्पात के उद्योग के रूसी विशेषज्ञों को ऐसा सुझाव दिया था कि वे मैसूर राज्य के बलोरी ज़िले के सोन्दूर तथा हास्पेट का दौरा करें ताकि वे तुंगभद्र परियोजना के कहीं निकट ही लोहे और इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभावना के विषय में अध्ययन कर सकें; तथा

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में लोह-उद्योग प्रारम्भ करने की संभावनाओं के विषय में उन रूसी विशेषज्ञों का क्या मत है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मैसूर राज्य में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में संगत आंकड़े मैसूर सरकार से प्राप्त किये गये हैं और रूसी-इस्पात विशेषज्ञों के सम्मुख रखे गये हैं। रूसी विशेषज्ञों ने बंगलौर तथा भद्रवती का भी दौरा किया है और मैसूर राज्य के प्रतिनिधियों तथा उनके विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया है । सन्दूर तथा हास्पेट का दौरा करने की आवश्यकता पैदा ही नहीं हुई ।

(ख) रूसी विशेषज्ञों तथा मैसूर सरकार के विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से यही विचार प्रकट किया है कि हास्पेट में एक साधारण प्रकार के इस्पात कारखाने का निर्माण, दक्षिणी अर्काट में लिग्नाइट निक्षेपों के सफलतापूर्वक कार्य करने पर निर्भर है । क्योंकि अभी तक कहीं भी औद्योगिक स्तर पर लिग्नाइट के उपयोग द्वारा इस्पात बनाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः यह आवश्यक होगा कि इस्पात बनाने के लिए लिग्नाइट का पूर्णरूपेण उपयोग करने से पूर्व, एक छोटे से प्रारम्भिक कारखाने के परिणामों को देख लिया जाय ।

गोआ

*२४९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ जनवरी, १९५५ को पुर्तगाली सैनिक गोआ के मालिगा स्थित प्रसिद्ध नरसिंह मन्दिर में जबरदस्ती घुस गये थे;

(ख) क्या पुर्तगाली अधिकारियों ने मन्दिर का ताला तोड़ दिया था और सारे बहुमूल्य आभूषण तथा अन्य क़ीमती चीज़ें उठा ले गये; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). विश्वसनीय समाचार के अनुसार पुर्तगाली पुलिस ने गोआ के गांव वैलिंगा में 'नरसिंह मन्दिर' पर आक्रमण किया, और कुछ काग़ज़ात को, जो कि लोहे की पेटी में रखे हुए थे छीन कर ले गई, इस घटना की पूछताछ की जा रही है ।

नहरी पानी सम्बन्धी विवाद

*२५०. { **श्री एस० एन० दास** : **श्री डी० सी० शर्मा** :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने सिंध नदी के पानी के भविष्य में प्रयोग के लिए व्यवस्था पर चर्चा शुरू की है, भारत कितना रुपया खर्च कर चुका है;

(ख) इस प्रयोजना के लिए कितने अधिकारी विदेश भजे गये थे; और

(ग) क्या इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया है और समझौता किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ७,३४,६०० रुपये ।

(ख) ४६ पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ।

(ग) फरवरी १९५४ में बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के आधार पर बातचीत जारी है ।

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर अधिनियम

*२५१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर अधिनियम के अर्न्तगत अब तक विस्थापित व्यक्तियों ने अपने दावों के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के विरुद्ध कितनी पुनरीक्षण याचिकाएं प्रस्तुत की ह; और

(ख) ऐसे मामले कितने हैं जिन्हें मुख्य पुनर्वास आयुक्त कार्यालय दिल्ली की दावा शाखा द्वारा निश्चित दावों की फाइलें और रिकार्ड न भेजे जाने के कारण अनिश्चित तिथि तक के लिए स्थगित करना पड़ा था ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) २५ ।

(ख) शून्य ।

कैलास और मानसरोवर को जाने वाले यात्री

*२५२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** २४ सितम्बर, १९५४ को दिय गए अतारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन यात्रियों की संख्या का पता लगा लिया गया है, जो १९५३ और १९५४ में माना, नीति, कुंगरी विंगरी, दारमा, और लिम्पूलेख दर्रों के रास्ते कैलास और मानसरोवर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार १९५३ और ५४ में कैलास और मानसरोवर को इन दर्रों से जान वाले तीर्थ-यात्रियों की संख्या निम्न है :

दर्रे	१९५३	१९५४
लिम्पूलेख	११५	८३०
दारमा	८	३३
कुंगरी विंगरी	१५५	२५१
होती नीति	२०	६५
माना	—	११
कुल	२९८	११८३

दक्षिण अफ्रीका आप्रवासी विनियमन संशोधन अधिनियम

*२५३. **श्री डाभी :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में आप्रवासी विनियमन संशोधन अधिनियम १९५३ के उपबन्धों के अन्तर्गत जो कि १-१-५५ से लागू होता है, स्मट्स-गांधी समझौते का उल्लंघन करते हुए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि व अपनी स्त्रियों और बच्चों को जो भारत में रहते हैं, वहां नहीं ला सकते; और

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध के हटाये जाने की कोई सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, १९५३ के आप्रवासी विनियमन संशोधन अधिनियम के सम्बन्धित खंड जिन के अन्तर्गत भारतीय उद्भव की कुछ श्रेणियों की स्त्रियों और बच्चों का दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करना प्रतिसिद्ध है, वस्तुतः ५ अक्तूबर, १९५३ से लागू हुआ था।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ से हाल में पारित किये गये संकल्प के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के व्यवहार के सामान्य प्रश्न पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ सीधी बातचीत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि यह प्रयत्न सफल रहे, तो इस चर्चा में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की स्त्रियों तथा बच्चों के दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध को हटाने के प्रश्न को भी सम्मिलित किया जायेगा।

विदेशों में प्रचार

*२५४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि विदेशों में बहुत से भारतीय दूतावासों को भारत के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं भेजी जाती;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या पग उठाये गये हैं; और

(ग) विदेशों में जानकारी पुस्तकालयों में प्रकाशन आदि भेजने की वर्तमान व्यवस्था और साधारण प्रक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). वर्तमान व्यवस्था और साधारण प्रक्रिया के बारे में अपेक्षित जानकारी का एक नोट पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०**]

हमें भेजी गई जानकारी या साहित्य के अपर्याप्त होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं। तथापि इस मामले में रायें भिन्न भिन्न हो सकती हैं और सुधार भी हो सकता है। विदेशों में भारतीय दूतावासों को सब उपयुक्त सरकारी प्रकाशन भेजने के मामले की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अफ्रीका-एशियाई सम्मेलन

*२५५. **श्री जी० पी० सिन्हा :**
श्री हेडा :
सेठ गोविन्द दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन दशों ने अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में सम्मिलित होना स्वीकार किया है; और

(ख) कितने देश दर्शक के रूप में इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) बुलाने वाले देशों की ओर से इन्डोनेशिया के प्रधान मंत्री ने सम्मेलन के लिए निमन्त्रण जारी किये थे और स्वीकार करने की सूचना भी पहले उन्हें दी जायेगी। भारत सरकार को अभी नहीं बताया गया कि निमन्त्रणों का प्रत्युत्तर क्या है, किन्तु प्रैस समाचारों के अनुसार अधिकांश देशों ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है।

(ख) सम्मेलन में कोई दर्शक नहीं होंगे।

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

*२५६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च १९५५ में होने वाली भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में काश्मीर के मामले के साथ अन्य सब अनिर्णीत मामलों पर भी चर्चा की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या बोगोर में दोनों प्रधान मंत्रियों का कोई अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) इस सम्मेलन के लिए कोई निश्चित कार्य-सूची नहीं बनाई गई है। परन्तु इस में भारत-पाकिस्तान सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर चर्चा करने का विचार है।

(ख) बोगोर में भारत पाकिस्तान सम्बन्धी मामलों पर भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।

कीनिया में भारतीय

*२५७. **श्री अमजद अली** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैरोबी के एक भारतीय बैरिस्टर श्री जसवन्त सिंह की कीनिया के मुख्य आप्रवासी पदाधिकारी ने यह आदेश दिया है कि वह कीनिया में प्रवेश न करें और उन्हें एक प्रतिशिद्ध आप्रवासी घोषित किया गया है;

(ख) क्या इस आदेश का कोई कारण भी दिया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या पग उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) नहीं।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

मलाया में भारतीय

*२५८. **श्री राधा रमण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जकार्ता से लौटते समय उन्हें मलायन भारतीय कांग्रेस का एक शिष्ट मंडल मलाया में भारतीय राष्ट्रजनों सम्बन्धी कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए मिला था;

(ख) यदि हां, तो किन मामलों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) क्या उन की भविष्य की राष्ट्रीयता के बारे में कोई चर्चा हुई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). प्रधान मंत्री हाल में मलायन भारतीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों से मिले थे। मलाया की सामान्य स्थिति पर चर्चा की गई थी और मलायन

भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी नीति स्पष्ट की । किन्हीं विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा नहीं हुई ।

कपड़ा जांच समिति का प्रतिवेदन

*२५९. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कपड़ा जांच समिति का प्रतिवेदन की कंडिका १०५ की ओर दिलाया गया है जिस में यह सिफ़ारिश की गई है कि केन्द्रीय सहकारी संगठनों और अधिक बड़े बड़े सूत उत्पादकों के बीच सीधा विक्रय करार शीघ्रता से करने के लिए सरकार की ओर से प्रयत्न किया जाय;

(ख) उक्त सिफ़ारिश के क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). कपड़ा जांच समिति की रिपोर्ट अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

गोआ

*२६०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गोआ की सरकार ने हाल में २,००० सैनिक दमन को भेजे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सरकार की जानकारी के अनुसार इस बहाने पर कि दमन पर आक्रमण करने की योजना बनाई जा रही है, बताया जाता है कि पुर्तगाली प्राधिकारियों ने वहां की वर्तमान सशस्त्र सेना में लगभग २०० व्यक्ति बढ़ा दिये हैं ।

गोल्ड कोस्ट के प्रधान मंत्री की यात्रा

*२६१. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्ड कोस्ट के प्रधान मंत्री मार्च १९५५ में इस देश में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वह सरकार के निमंत्रण पर आ रहे हैं; और

(ग) उन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). भारत सरकार के निमन्त्रण पर, गोल्ड कोस्ट के प्रधान मंत्री डा० काम नकरूमा ने भारत की सद्भावना यात्रा करने की इच्छा प्रकट की है, किन्तु उन की यात्रा का समय अभी निश्चित नहीं किया गया ।

सीमा विवाद

*२६२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सारंगधर दास :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी १९५५ के पहले सप्ताह में पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के वित्त आयुक्तों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन किन बातों की चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि कुछ निर्णय किये गये हैं, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के वित्त आयुक्तों की एक बैठक चण्डीगढ़ में ७ जनवरी १९५५ को उन के बीच की चर्चाओं को जारी रखने के लिए हुई थी, जो पूर्वी और पश्चिमी पंजाब सम्बन्धी शेष सीमा विवादों के सम्बन्ध में समय समय पर होती रहती हैं उस के पश्चात् दोनों के बीच एक और बैठक जालंधर में ३ फरवरी १९५५ को हुई थी । इन दोनों

बैठकों में जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उन की सूची देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

दोनों वित्त आयुक्तों ने कोई निर्णय नहीं किया । उन्हें अपनी अपनी केन्द्रीय सरकारों को केवल सिफ़ारिश करना है । इन वित्त आयुक्तों के बीच जब बातचीत पूरी हो जायगी, तब भारत और पाकिस्तान की सरकारें इन सिफ़ारिशों पर विचार करेंगी । वित्त आयुक्तों के बीच अभी पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

बाल चलचित्र संस्था

*२६३. **श्री इब्राहीम :**
श्री के० सी० सोधिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १८ नवम्बर १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या १४९ के प्रति दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल चलचित्र संस्था को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिये कितना धन दिया गया है और इस पर क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). बाल चलचित्र संस्था का अभी पंजीयन नहीं हुआ है । १९५५–५६ के आयव्ययक अनुमानों में १,८२,५०० रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है । अनुदान १८ नवम्बर को तारांकित प्रश्न संख्या १४९ के मेरे उत्तर में वर्णित आधार पर दी जायेंगी ।

बाढ़ नियंत्रण योजना

*२६४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तरी बंगाल में बाढ़ों का नियंत्रण करने के लिये योजनाओं में पाकिस्तान का सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार ने इस मामले में क्या प्रत्युत्तर दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) गंगा और ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों के कारण पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बहुत अधिक और बहुधा हानि होने का विचार करते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से दोनों नदियों पर सहकारी आधार पर बाढ़ नियंत्रण उपाय करने की वांछनीयता का सुझाव दिया है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

औषध-निर्माण संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन

*२६५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अन्य एंटीबुआए-टिक्स अर्थात् स्ट्रैप्टोमाईसीन और मिश्रित मलेरिया नाशक, सल्फा औषध और विटामिन का उत्पादन करने के लिये पैंसिलिन फैक्टरी, पिम्परी के विस्तार सम्बन्धी औषध निर्माण सम्बन्धी जांच समिति की सिफ़ारिशों पर कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन के पहले वर्ष में इन वस्तुओं के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में समिति की सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

बागान जांच आयोग

*२६६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ दिसम्बर १९५४

को तारांकित प्रश्न सँख्या १५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं श्रीमान्,

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आयोग को इस की नियुक्ति के एक वर्ष के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था और अभी वह अवधि पूरी नहीं हुई है ।

सामाजिक एवं अर्थिक सर्वेक्षण

*२६७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति द्वारा आरम्भ किये गये कुछ भारतीय शहरों के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कार्य ने कितनी प्रगति की है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति ने अब तक २१ शहरों में, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण की मंजूरी दी है । चार सर्वेक्षणों के प्रतिवेदनों की अप्रैल और जून १९५५ के बीच तैयार होने की आशा की जाती है, जब कि अन्य तीन सवक्षणों के प्रतिवेदन जुलाई और सितम्बर १९५५ के बीच तैयार होने की आशा की जाती है । अन्य ग्यारह शहरों में वास्तविक जांच पड़ताल चल रही है और काम न्यूनाधिक रूप में अनुसूचि के अनुसार चल रहा है । बड़े नगरों, अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में सवक्षण ३ से ४ वर्ष के अन्दर किया जायेगा । शेष तीन शहरों में अभी यह कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ।

सब नगर सर्वेक्षणों के प्रभारी व्यक्तियों को अन्तरिम प्रतिवेदन देने, विशेषकर ऐसी सूचना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी में लाभप्रद हो सके, देने की प्रार्थना की गई है ।

मेहतरों के लिये मकान

*२६८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चालू योजना अवधि के अन्दर अन्य शीर्षों की बचत में से, सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के समान, मेहतरों के लिये मकान बनाने का कोई उपबन्ध कर रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : अल्प वेतन श्रेणी आवास योजना और सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन प्राप्त होने वाली बड़ी मांगों का विचार करते हुए, इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि आया चालू योजना के अन्दर मेहतरों के मकान बनाने के लिये पर्याप्त बचत उपलब्ध हो सकेगी ।

तुंगभद्रा परियोज ।

*२६९. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना का विकास अपेक्षा से हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस के संचालन में शीघ्रता लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) अब तक सरकार ने राज्य सरकारों को तुंगभद्रा परियोजना के आयाकट के विकास के लिये कितनी धनराशि दी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). तुंगभद्रा परियोजना पर अनुसूची के अनुसार काम हो रहा है। आयाकट क्षेत्र का विकास अपेक्षा से कम हुआ है। इस का उत्तरदायित्व मुख्यतया भाग लेने वाली मैसूर, आन्ध्र और हैदराबाद की सरकारों पर है। इन सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि आयाकट क्षेत्र का विकास करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इस के सम्बन्ध में उन सरकारों ने केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है। भारत सरकार, हैदराबाद को ५४,०२,५०० रुपये की सहायता देना स्वीकार किया। आन्ध्र और मैसूर राज्यों को इसी प्रकार की सहायता देने का प्रश्न अब भारत सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक, गृह-निर्माण योजना पेप्सू

*२७०. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेप्सू सरकार ने केन्द्रीय सरकार के गृह निर्माण योजना ऋणों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता इस कारण प्रकट की है कि उन पर लिये जाने वाले सूद की दर बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सूद की दर को घटाने का विचार करती है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). नवम्बर १९५४ में पेप्सू सरकार ने यह कहा कि हो सके तो कम आमदनी वालों के लिये मकान योजना में दी हुई सूद की दर कम कर दी जाये। उन्हें यह समझाया गया कि इस योजना में सूद की साधारण दर में कमी करने का विचार नहीं है क्योंकि ऐसी कमी करना दान (subsidy) देने के समान होगा। इस पर वह सूद की उसी दर पर योजना चलाने को तैयार हो गये हैं।

निष्क्रान्त भूमियां

*२७१. **सरदार हुकम सिंह**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राष्ट्रपति के नाम से निष्क्रान्त भूमियों के अधिग्रहण सम्बन्धी अधिसूचना सरकार द्वारा कब जारी की जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या केवल एक ही सरकारी अधिसूचना सब निष्क्रान्त सम्पत्तियों पर व्यापक होगी अथवा इन का अधिग्रहण क्रम पूर्वक किया जायेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले): (क) हैदराबाद भूपाल और मैसूर राज्यों में निष्क्रान्त कृषि भूमियों के अधिग्रहण सम्बधी अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। पंजाब और पैप्सू के मामले में अधिसूचनाएं शीघ्र ही जारी की जायेंगी।

(ख) जी, नहीं। अधिसूचनाएं तब जारी होंगी जब किसी क्षेत्र में निष्क्रान्त भूमियां अधिग्रहण की जायेंगी।

पत्रिकायें

*२७२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारतीय समाचार" और "इंडियन इनफर्मेशन" को फिर से प्रकाशित करने के विषय में कोई अंतिम निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से इन प्रकाशनों को फिर से आरम्भ किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जब इस विषय में उन की सिफारिशों पर प्राक्कलन समिति के परामर्श से अंतम निर्णय किया जायेगा ।

अफ्रीका-एशियाई सम्मेलन

*२७३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों के शान्तिपूर्ण हस्तांतरण के प्रश्न पर आने वाले अफ्रीका-एशियाई सम्मेलन में अप्रैल १९५५ में चर्चा की जायेगी; और

(ख) क्या इस मामले में सदस्य सरकारों का मत जान लिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

समाचार चित्र

*२७४. **श्री मुरारका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लिये गये प्रत्येक समाचार चित्र की प्रतियों की क्या संख्या है ;

(ख) क्या सरकार प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुरूप इस संख्या को बढ़ाने का विचार रखती है, जिस का कि उन के ग्यारहवें प्रतिवेदन के पैरा २१ में उल्लेख किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितना; और

(घ) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान लगाया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) उन सप्ताहों के अन्दर ७५ प्रतियां, जिन में प्रलेख चित्र और समाचार चित्र चलाये जाते हैं और उन सप्ताहों में १५७ प्रतियां जिन में अकेला समाचार चित्र चलाया जाता है ।

(ख) से (घ). प्राक्कलन समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

गोआ

*२७५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पुर्तगाली सरकार गोआ के ऐसे नागरिकों को, जो गांधी टोपी पहनते हैं, बड़ा परेशान कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): भारत सरकार ने समाचारपत्रों में ऐसे समाचार पढ़े हैं जिन में अविश्वास नहीं किया जा सकता । उन के अनुसार गोआ में गांधी टोपी पहनना एक अपराध माना जाता है और गांधी टोपी पहनने वालों को पुलिस बड़ा परेशान कर रही है ।

औद्योगिक आवास योजना

*२७६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत अप्रैल, १९५४ से फरवरी, १९५५ के दौरान में दिल्ली के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बनाये गये हैं; तथा

(ख) इस समय कितने क्वार्टर अभी बन रहे हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कोई नहीं ।

(ख) ३८ ।

भारत और पाकिस्तान के मध्य माल का यातायात

*२७७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कोई ऐसी सरकारी विज्ञप्ति प्राप्त की है कि दोनों देशों के मध्य अनिर्बन्धित वस्तुओं का यातायात के सम्बन्ध में बातचीत की जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् ।

रोज़गार का सर्वेक्षण

*२७८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह**: क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की राज़गार की स्थिति के सर्वेक्षण में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : देश की रोज़गार की स्थिति के सर्वेक्षण में अभी तक की गयी प्रगति के विषय में जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

बनावटी तेल का कारखाना :

*२७९. **श्री एस० एन० दास :**
श्री सारंगधर दास :

क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनावटी तेल के एक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में 'बनावटी तेल समिति' की सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने के कार्य में कोई प्रगति हुई है, यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या किसी विदेशी इंजीनीयरिंग सार्थ से कहा गया है कि वह किसी परियोजना के विषय में प्रतिवेदन तैय्यार करें; तथा

(ग) यदि हां, तो उस सार्थ का नाम क्या है और क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) सरकार ने हाल ही में इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि देश में बनावटी तेल का एक कारखाना स्थापित किया जाये, और प्राथमिक कार्यवाही के रूप में ऐसा निर्णय किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के किसी सार्थ से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये । इस विषय में अग्रेतर कार्यवाही अब की जा रही है ।

(ख) तथा (ग). अभी नहीं ।

चीन से इंजीनियर

*२८०. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के जल संरक्षण (वाटर कंजर्वेशन) मंत्रालय के चीफ इंजीनियर ने कोसी तथा अन्य नदियों का निरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस ने वर्तमान कोसी बांध तथा अन्य भविष्य की परियोजनाओं के बारे में सरकार को कोई सलाह दी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) चीन के जल संरक्षणी (वाटर कंजर्वेन्सी) मंत्रालय के मुख्य अभियन्ता (चीफ़ इंजीनियर) ने कोसी योजना क्षेत्र का जनवरी १९५५ में निरीक्षण किया ।

(ख) उन्होंने वर्तमान कोसी बांध की योजना को ठोस बताते हुए यह सलाह दी कि कोसी नदी में बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ

नदी की तलहटी में मिट्टी या रेत संचित हो जाने की समस्या (सिल्टिंग) पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

हाथ करघे

५९. मर.रका : क्या **वाणिज्य** तथा **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसी कार्य के लिए रखी गयी निधि में से, सहकारी संघ के सम्बन्ध में हथ करघों को यंत्र चालित तथा अर्ध स्वचालित करघों में बदलने के प्रश्न पर विचार किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा **(ख)**. ऐसी सिफ़ारिश करने वाली कप**ड़ा-उद्योग**-समिति का **प्र**तिवेदन अभी विचाराधीन है ।

सड़कें

६०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन सड़कों और संचार कार्यों के विकास पर ३१ दिसम्बर, १९५४ तक कितना धन खर्च किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : योजना आयोग में उपलब्ध समाचार के आधार पर पंच वर्षीय योजना के अधीन सड़कों पर १९५१–५४ तथा १९५४–५५ के वास्तविक खर्चों को बताने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३]**

ग्रामों में बिजली लगाना

६१. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने ग्रामों तथा छोटे नगरों में बिजली लगाने के सम्बन्ध कोई प्रस्थापना भेजी है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना का रूप क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार ने भागलपुर विद्युत् संभरण समवाय को ऋण के रूप में देने के लिए (६ लाख रुपये) तथा अन्य छः निजी-विद्युत संभरण समवायों का अधिग्रहण करने तथा उन्हें विकसित करने के लिए (१८ लाख रुपये) इस चालू योजना अवधि में कुल २४ लाख रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए प्रार्थना की है । केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्थापनाओं को मान लिया है ।

पीतल के उद्योग

६२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर ज़िले के उप-विभाग घटल में पीतल के उद्योगों की सहायता करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है; तथा

(ग) ये कार्यवाहियां, ऐसे उद्योगपतियों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को कहां तक दूर कर सकेंगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). इस विषय का मुख्य रूप से राज्य सरकार से ही सम्बन्ध है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इसने पश्चिमी बंगाल की सरकार को १९५४–५५ में, पीतल तथा मिश्र धातु के कारीगरों को कच्चा माल संभरित करने के लिए २,५०० रुपये का अनुदान और २५,००० रुपये का ऋण दिया है ।

दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त कार्यालय

६३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के कार्यालय में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक काम कर रहे हैं; तथा

(ख) इस कार्यालय में पाकिस्तानी कर्मचारियों को कौन कौन सी राजनयिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ११६.

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसरण में तथा पारस्परिक व्यवहार के आधार पर उन्हें दण्ड-प्रक्रिया तथा प्रक्रिया दोनों ही क्षेत्रों में विमुक्ति प्रदान की गई है ।

मार्शल टीटो की भारत यात्रा

६४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्शल टीटो की भारत यात्रा के सम्बन्ध में सरकार ने स्वागत तथा अन्य मदों पर कितनी राशि व्यय की ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यगोस्लाविया के राष्ट्रपति और उन के दल के भारत आने पर खर्चों के लिए ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन दरअसल कितना खर्च हुआ है उस का हिसाब अभी तैयार नहीं हो सका ।

एमोनियम सल्फेट

६५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सिन्दरी उर्वरक कारखाने में कितना एमोनियम सल्फेट उत्पादित किया गया था, और उस का लगभग मूल्य कितना था; तथा

(ख) उसी काल में कितनी मात्रा में यह बेचा गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) २,७८,०७७ टन, जिस का मूल्य ७,६४,७१,१७५ रुपये था ।

(ख) ३,१४,३४१.५ टन ।

निष्क्रान्त सम्पत्ती

६६. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मकान तथा स्थान हैं और उन का मूल्य क्या है जिहें पहले निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था परन्तु जो १९५४ में फिर से मालिकों को वापस लौटा दिये गये हैं; तथा

(ख) निष्क्रान्त सम्पत्ति को वापस लौटा दिये जाने के उद्देश्य से आये हुए प्रार्थना पत्रों में से कितने अभी तक अनिर्णीत अवस्था में ही पड़े हुए हैं और ऐसी अवस्था में वे कितने समय से पड़े हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सूडान को सहायता

६७. **श्री एस० एन० दास :** क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, सूडान सरकार द्वारा आर्थिक और सांस्कृतिक सहायता के लिए की गयी प्रार्थना पर सोच विचार किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो, उस का क्या परिणाम रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख) सूडान सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, श्री इब्राहीम अलमुफ्ती गत वर्ष भारत आये थे । उन्होंने योजना आयोग और वाणिज्य उद्योग मंत्री से विचार विमर्श किया था।

उन्होंने सामान्य रूप से सूडान सरकार की ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि भारत सूडान के उद्योगीकरण में सहायता करे और भारतीय इंजीनियरों, डाक्टरों और न्यायिक पदाधिकारियों आदि की सेवाएं प्रदान करे। सूडानी मंत्री को यह आश्वासन दिया गया था कि भारत सरकार अपनी पूरी शक्ति अनुसार उन की सहर्ष सहायता करेगी और सूडान सरकार की किसी भी ठोस प्रस्थापना पर अवश्य विचार करेगी। सूडान सरकार के वित्त मंत्री, श्री हामिद तौफीक ने भी अभी हाल ही में भारत का दौरा किया है।

अभी तक, हमें वहां से ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो कि न्यायिक पदाधिकारियों के रूप में सेवा कर सकें, और भारत के भूतत्त्वीय विभाग के दो पदाधिकारियों तथा एक शिक्षाशास्त्री की सेवाओं के लिए प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं न्यायाधीशों के अन्तिम संवरण के लिए अभ्यर्थियों की तालिका सिफारिशों सहित सूडान सरकार को भेज दी गयी है। सूडान के मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति अभ्यर्थियों के इन्टर्व्यू करने के लिए भारत में पहुंच गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए, हम ने सूडान सरकार को श्री के० जी० सय्यदैन की सेवाएं ६५ दिन की अवधि के लिए अर्पित की हैं। सूडान सरकार ने हमें यह भी कहा है कि हम भारतीय समाचारपत्रों में शिक्षकों, सर्वेक्षकों, जनगणना पदाधिकारियों, रेलवे इंजीनियरों, कृषिशास्त्रवेत्ताओं, सिगनल तथा टेलीग्राफ इंजीनियरों, जलपोत पदाधिकारियों आदि के स्थानों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करायें। इन सभी प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की गयी है।

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

	स्तम्भ
श्री नंद लाल शर्मा	१४४२–४६
श्री सी० आर० अय्युण्णि	१४४६–४८
श्री एन० एम० लिंगम	१४४८–५२
खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . .	१४६०–६६
श्री ए० सी० गुहा	१४६६–६७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . .	१४६७–७२
विचार करने का प्रस्ताव—	१४७४–८०
श्री ए० सी० गुहा	१४६७–७२
श्री सी० सी० शाह	१४७४–७८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१४७८–८०
प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य	१४७३–७४

लोक सभा

शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्याह्न

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जान फिलीपोज़ का निधन

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की सूचना देते हुए बड़ा दुःख है कि संविधान सभा के सदस्य, श्री आर० वी० थामस तथा श्री ई० जान फिलीपोज़ का स्वर्गवास हो गया । मैं सभासदों से निवेदन करता हूं कि शोक प्रकट करने के लिये वे एक मिनट के लिये मौन खड़े हो जायें ।

पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम के आयव्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५-५६

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४, उपधारा (३), के अधीन वर्ष १९५५-५६ के लिये दामोदर घाटी निगम के बजट प्राक्कलन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस-४४/५५]

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे और लोहे तथा इस्पात के एक कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ करार

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) १ अप्रैल, १९५३ से ३१ जुलाई, १९५४ तक के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा । **[पुस्तकालय में रखा गया देखियेसंख्या एस-४६/५५]**

(२) भारत में लोहे और इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने के लिये भारत सरकार और रूस की सरकार के बीच हुआ करार । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संखा एस-६४/५५]**

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सभा को स्मरण होगा कि ८ सितम्बर १९५४ को श्री जी० एल० चौधरी और श्री लोटन राम द्वारा रखे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के सम्बन्ध में, जिस में यह पूछा गया था कि क्या श्रीलंका सरकार अपना निरोधा कार्यालय मंडापम से हटाना चाहती है, श्री जी० एल० चौधरी ने एक

[श्री अनिल के० चन्दा]

अनुपूरक प्रश्न में यह पूछा कि क्या भारत सरकार का निरोधा कैम्पों के बन्द हो जाने पर भवन इत्यादि खरीदने का विचार है ।

उस के उत्तर में संसद सचिव, श्री सादत अली खां, ने बताया था कि ये भवन भारत सरकार के ही हैं और उसी के पास रहेंगे ।

सही स्थिति यह है कि ये भवन श्रीलंका सरकार के हैं, भारत सरकार के नहीं । निरोधा कैम्प के बन्द होने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने के बाद, उन भवनों के खरीदने के बारे में पूरा विचार किया जायेगा ।

सभा का कार्य

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं सभा को विधान कार्य के उस क्रम के बारे में सूचना देता हूं कि जो शनिवार, ५ मार्च तक—जो मार्च के एकान्तक शनिवारों में प्रथम शनिवार होगा और जिस दिन सभा बैठक करने को सहमत हो गई है—सभा के समक्ष निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जायेगा ।

(१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—(चर्चाधीन) ।

(२) ओषधि (संशोधन) विधेयक ।

(३) दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक ।

(४) कतिपय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाने अथवा बढ़ाने वाली अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये चार संकल्प ।

(५) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक ।

(६) अत्यावश्यक पण्य विधेयक ।

सभा २८ फरवरी तथा १ और ५ मार्च, १९५५ को उपरोक्त विधेयकों पर विचार करेगी । इन दिनों सारा समय विधान कार्य के लिये ही उपलब्ध रहेगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —जारी

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : सभा में पिछले दो दिनों के दौरान में राष्ट्रपति के अभिभाषण की खूब आलोचना की गई है । राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का संकेत मात्र है । उस में सरकार के कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन नहीं किया जाता है । मैं अपने भाषण में केवल दो तीन बातों की ही विस्तृत विवेचना करूंगा ।

दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । माननीय वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि १० साल के अन्दर यह समस्या हल हो जायेगी । मैं केवल इतना चाहता हूं कि सरकार असैनिक संभरण विभाग से निकाले गये ६०,००० क्लर्कों को पुनः कार्य में लगावे और अपनी सद्भावना का परिचय दे ।

दूसरा मामला ऋण और विकास निगम के बारे में है । हम को यह बताया जाता है कि यह भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हुआ है और ग़ैरसरकारी है । सरकार ने इस निगम में पूंजी लगाने वाले विदेशियों को प्रत्याभूति दी है और वह इस निगम को १५ साल के लिये बिना किसी व्याज पर ७½ करोड़ रुपया देने को भी सहमत हो गई है । करार के अनुसार सरकार को इस के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने तथा इस को अपने नियंत्र । लाने का

कोई अधिकार नहीं है । मैं समझता हूं कि बजट के समय इस विषय पर अच्छी तरह विचार किया जा सकता है ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कृषि उत्पादों के मूल्यों की गिरावट के बारे में कहना चाहता हूं । अभिभाषण में यह आश्वासन दिया गया है कि जब सरकार यह देखेगी कि मूल्य काफी गिर रहे हैं, तो वह उस में हस्तक्षेप करेगी और अनाज खरीदना शुरू कर देगी । १९४६ में या उस के लगभग सरकार ने प्रो० गाडगिल और श्री गोरवाला की एक समिति नियुक्त की थी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

उस समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया था कि कृषि उत्पादों और कारखानों में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के बीच एक प्रकार की समता रहनी चाहिये । अब कृषि उत्पादों के मूल्य गिर रहे हैं, और यदि सरकार इस कार्य में कुछ विलम्ब करेगी, तो व्यापारी लोग उस का फायदा उठा लेंगे । हम को जो यह बताया जाता है कि पैदावार संतोषजनक है, वह सब केवल भ्रम ही है । यदि जून या जुलाई में वर्षा नहीं हुई, तो व्यापारी लोग मूल्य बढ़ा देंगे और उस से उपभोक्ता को भी नुकसान हो जायेगा ।

कृषि ऋण सर्वेक्षण सम्बन्धी रिजर्व बैंक की समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि गत कुछ वर्षों से कृषि ऋण की प्रवृत्ति वृद्धि की ओर है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस में किसी बात की प्रतीक्षा न करे और जल्दी ही इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दे । हमारी अर्थव्यवस्था का यह पहलू वर्षा पर ही निर्भर है, जिस का कोई भरोसा नहीं ।

अन्त में, मैं उस आलोचना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जोकि राष्ट्रपति के इन शब्दों के प्रति की गई है कि समाज की रूपरेखा समाजवादी ढंग पर बनाई जाये । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 'सोशलिस्ट' शब्द का प्रयोग किया है । २१ दिसम्बर, १९५४ को सभा में सर्व सम्मति से यह निर्णय किया गया था कि हमारी आर्थिक नीति का उद्देश्य समाज की रूपरेखा समाजवादी ढंग पर तैयार करना है । इस निर्णय में 'सोशलिस्टिक' शब्द का प्रयोग किया गया है । मैं 'सोशलिस्ट' और 'सोशलिस्टिक' शब्दों के अर्थ में कोई फर्क नहीं देखता । दोनों का तात्पर्य यही है कि भविष्य में समाज की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी ढंग पर हो । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 'सोशलिस्ट' शब्द का प्रयोग सप्रयोजन ही किया है । समाजवादी रूपरेखा का अर्थ समझने के लिये उत्पादन के साधन, उन का स्वामित्व, उन का नियंत्रण तथा वितरण की पद्धति आदि बातों का समझना जरूरी है । कांग्रेस चाहती है कि उत्पादन के मुख्य साधन समाज के नियंत्रण में रहें, और धन का वितरण समान हो । इस सम्बन्ध में कुछ लोग कह सकते हैं कि केवल कहना मात्र ही पर्याप्त नहीं है । मैं इस बात से सहमत हूं । किन्तु यह सिद्धान्त की सामान्य रूप रेखा है । वास्तविक कार्यक्रम तो सरकार अपने बजट अथवा विकास योजनाओं के साथ प्रस्तुत करेगी । सरकार आर्थिक क्षेत्र में जो भी कार्य करेगी, जनता उस से यह अनुमान लगायेगी कि सरकार का वह कार्य समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये कहां तक सहायक है । अभी सरकार वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है । किन्तु ऐसा न करने से वह संविधान की भावना के विरुद्ध जायेगी । संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि थोड़े से लोगों के हाथों में ही धन नहीं रहना चाहिये । कभी न कभी इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना ही होगा अथवा उन पर कठोर

[श्री गाडगील]

नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा धन का वितरण समान नहीं हो सकेगा और कुछ ही लोगों के हाथ में रह जायेगा। जहां तक इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, मेरे विचार में वह ठीक ही है। कुछ दिनों पूर्व माननीय वाणिज्य मंत्री ने बताया था कि सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुझे विश्वास है कि योजना की कार्यान्विति के लिये सरकार को व्यवहार रूप में जो आवश्यकतायें पड़ेंगी, उन से वह वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये भी बाध्य होगी। इसलिये मुझे सरकार के इरादों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह आज नहीं तो कल ऐसा करने को अवश्य बाध्य होंगी। प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल के कई सदस्य यह समझते हैं कि केवल समाजवाद से ही देश की रक्षा संभव है। जो सरकारी सदस्य गैर सरकारी उपक्रम में विश्वास रखते हैं, उन को भी सामूहिक उत्तरदायित्व के नाते सभा की इच्छा को मानना होगा।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह सब व्यर्थ है और हमें कोई दूसरा सिद्धान्त अपनाना चाहिये। किन्तु मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सृष्टि के प्रारम्भ से अनेक सिद्धान्त चलाये गये, और उन में से कोई भी सफल नहीं हुआ।

जनता में अब बहुत जागृति आ गई है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई है। यदि कोई सरकार उसे उसके अधिकारों से वंचित करना चाहेगी, तो उस का अस्तित्व नहीं रह सकता। मुझे विश्वास है कि हम ने दिसम्बर, १९५४ में जो संकल्प धारित किया है, उस के अनुसार देश में समाजवादी व्यवस्था जल्दी ही स्थापित होगी।

श्री उइके (मंडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के भाषण में जो विकास योजनाओं के सम्बन्ध में लिखा गया है उस के बारे में मुझे अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने प्रान्त में और दो एक दूसरे प्रान्तों में अपने आदिवासी भाइयों के बीच जाने का और उन के साथ काम करने का मौका मिला है। आदिवासी लोग भारत में सब से भोले और पिछड़े हुए लोग हैं। किन्तु आदिवासियों में जो उत्साह है, इस राष्ट्रीय विकास योजना के सम्बन्ध में, जैसाकि मैं ने देखा है, वह उत्साह शायद ही किसी अन्य सभ्य समाज के किसी भी वर्ग में हो। वे स्वेच्छा से काम करने को तैयार हैं। सब जगह आदिवासियों की ओर से एक ही आवाज़ मुझे आती सुनाई दी है और वह यह थी कि हम श्रमदान देने को तैयार हैं, हमारे यहां सड़कें होनी चाहियें, हमारे गांवों में पीने के लिये पानी के कुएं होने चाहियें, हमारे यहां स्कूल होने चाहियें और इन सब चीजों को हासिल करने के लिये हम स्वेच्छा से काम करने को तैयार हैं। यही बातें जहां कहीं भी मैं गया मुझे सुनने को मिलीं। परन्तु एक बात जो बहुत ही निराशाजनक है और जो हर जगह ही देखने में आई वह यह है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं में जो अफसर मुकर्रर किये गये हैं उन अफसरों में इन आदिवासियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने की भावना नहीं है। यही एक कारण है कि जितना उत्साह उन का होना चाहिये था, जितना कार्य उन आदिवासी विभागों में होना चाहिये था, उतना नहीं हो रहा है। मैं इस सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर उन्हें भारत का विकास करना है, अगर उन्हें इन पिछड़ी हुई जातियों को ऊंचा उठाना है और जो लोग इन पिछड़े

हुए इलाकों में रहते हैं और जिस को सरकार ने पिछड़ा हुआ विभाग माना है, उस विभाग में पूरे पूरे विभाग में यह राष्ट्रीय विकास योजना शुरू करनी चाहिये ताकि सब से पहले उस पिछड़ी हुई जमात को, इस पिछड़े हुए वर्ग को अपना विकास करने का प्रथम अवसर मिल सके । इस के साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार को ऐसे अफसर मुकर्रर करने चाहियें कि जिन के अन्दर मिशनरी ज़ील हो ताकि पिछड़े हुए इन इलाकों के अन्दर रहने वाले भोले लोगों के दिलों के अन्दर काम करने की भावना जो पहले ही से है वह और ज्यादा बढ़े । इन अफसरों के अन्दर रौब से काम लेने की भावना नहीं होनी चाहिये, शासन करने की भावना नहीं होनी चाहिये और इन को अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिये । इन को लोगों की सेवा करने की भावना से काम करना चाहिये । मैं एक कम्युनिटी प्रोजैक्ट में गया । उस कम्युनिटी प्रोजैक्ट का अफसर मेरे पास आया और कहने लगा कि साहब आप की यह मोटर देख कर मुझे ऐसा लगा है कि मैं अपने मां बाप से मिला हूं । मैं ने उन से कहा कि भाई इस का क्या कारण है कि आप इस मोटर को ही अपना मां बाप समझ बैठे । उस ने कहा कि इस भाग में हमें बड़ी मुश्किल से मोटर देखने को मिलती है । बाद में पता लगाने पर यह मालूम हुआ कि यहां के जो अफसर हैं जिन पर कि कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स चलाने का कार्यभार है वे महीने में कई बार, आठ आठ और दस दस बार सिनेमा देखने के लिये शहर जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं और इस के साथ ही साथ उस आदिवासी विभाग में काम करने का पूरे ३० दिन का वेतन भी पाते हैं । तो वे १५ दिन तो सिनेमा देखने में हर महीने लगा लेते हैं और १५ दिन महीने में काम करते हैं, और वह १५ दिन भी अगर दिलचस्पी से काम करें तो कुछ काम हो सकता है । लेकिन उन को तो मोटर देख कर मां बाप याद आते हैं । ऐसे लोग क्या आदिवासियों में काम करेंगे । जिन लोगों को वहां मुकर्रर किया गया है वे शहरी जीवन के आदी हैं और वे वहां नहीं रहना चाहते क्योंकि वहां तो पानी तक की बड़ी मुसीबत है । वहां के लोग साल में ६ महीना पत्तों और रेत से आबदस्त लेते हैं । तो जब आप कालिज से निकले हुए नौजवानों और बच्चों को वहां भेज देते हैं तो वे कैसे काम कर सकते हैं । अगर आप वहां ज्यादा उम्र वालों को भेजें तो मुमकिन है कि वे काम कर सकें क्योंकि उन की सारी मुरादें पूरी हो चुकी होती हैं । अगर आप वहां पर नौजवानों को भेजेंगे तो वे वहां पर काम नहीं कर सकेंगे । तो मेरा कहना यह है कि वहां पर जो आदिवासियों में आज उत्साह है उस का समय रहते पूरा लाभ उठा लेना चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो आप का संविधान में उन के उत्थान का दावा है वह पूरा नहीं हो सकेगा । और उन की अवस्था वैसी ही रहेगी । अगर आप सारे विभागों में एक साथ विकास योजनायें लागू करेंगे तो नतीजा यह होगा कि जो आगे हैं वे और भी आगे हो जायेंगे और जो पीछे हैं वे और भी पीछे हो जायेंगे । इसलिये अगर पहले किसी विभाग में आप को विकास करना चाहिये तो वह है अनुसूचित विभाग और घोषित विभाग ।

इस के अलावा दूसरा सवाल जंगल का है । जंगल ही इन लोगों के जीवन का सहारा है । लेकिन अब जो जंगल के कानून बने हैं उन से इन को बड़ी मुसीबत हो रही है । इन कानूनों से वे लोग रात दिन परेशान हैं । मैं एक मर्तबा देहरादून गया था और मैं ने वहां जा कर फारैस्ट कालिज देखा और उस के सब विभाग देखे । न जाने इस

[श्री उइके]

कालिज की खोजों से आदिवासियों को कम लाभ होगा । लेकिन मैं ने जो बातें वहां पर देखीं वह उन लोगों को बतलाईं । वहां जो मैं ने देखा उस को देख कर मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत आगे बढ़े हुए बेश में हूं, हिन्दुस्तान में नहीं हूं । मैं ने अपने भाइयों को वे बातें बतलाईं जोकि इस कालिज में हो रही हैं । मैं ने वहां पर देखा कि बांस को फायर प्रूफ बनाया जा रहा है और उस की उम्र २५ साल की की जा रही है । घास को भी फायर प्रूफ बनाया जा रहा है । और उस की भी उम्र २५ साल की हो जायेगी । हमारे यहां सलई की लकड़ी बहुत होती है जोकि किसी काम नहीं आती थी, सिर्फ शादी में काम आती थी । मैं ने वहां पर देखा कि उस का कागज़ बन रहा है । नेपा और बल्लारशाह कागज की मिलों से ४४ हजार रुपया प्रति वर्ष वहां पर इस बारे में शोध करने के लिये दिया जाता है । अगर इस लकड़ी का कागज बनने लगेगा तो हमारे देश को लाखों रुपये साल का लाभ होगा । तो मैं ने अपने भाइयों को बतलाया कि वे जंगल में ऐसी चीजों को न काटें जिन से हमारे देश को बहुत फायदा हो सकता है । अगर इन चीजों को ठीक से काम में लाया गया तो हमारे देश को बहुत लाभ होगा और उस रुपये से सरकार हमारा उत्थान करेगी । जब मैं ने उन लोगों को बतलाया कि अब तुम्हारे बांस और फूस नहीं जलेंगेहें और २५ साल तक ठीक हालत में रगे तो उन को बहुत खुशी हुई । देहरादून में यह भी शोध की जा रही है कि जो तेंदू का फल होता है उस में आज से चौगुना मिठास हो जाये और वह दुगना बड़ा हो जाये । ऐसा हो जाने पर इस फल से वहां के लोगों की आमदनी भी ज्यादा हो जायगी और मीठा फल भी खाने को मिलेगा । यह जान कर वहां पर लोगों को बड़ा संतोष हुआ । अभी तो इस फल की कोई कीमत नहीं है । इन बातों को जान कर हमारे आदिवासी भाइयों को इतनी खुशी हुई है कि वे उन मुसीबतों को भूल गये हैं जोकि उन को जंगल के कानून के कारण उठानी पड़ रही हैं । वे लोग आज बहुत उत्साहित हैं । वे इस बात से बहुत सन्तुष्ट हैं कि उन के उत्थान के लिये देश के अन्दर इतना अच्छा काम हो रहा है । मैं फिर यही कहूंगा कि अगर आप कहीं उत्थान का कार्य करना चाहते हैं तो उसे सब से पहले आदिवासियों में कीजिये । ये लोग ढाई करोड़ हैं । इन की ओर आप को सर्व प्रथम ध्यान देना चाहिये क्योंकि ये लोग सब से ज्यादा पिछड़े हुए हैं । अगर आप इन को सहायता देंगे तो ये बहुत जल्दी उन्नति कर लेंगे और आप को सहायता देने योग्य हो जायेंगे ।

अब उन के सम्बन्ध में एक बात और है । वे लोग उस काम से जो देहरादून में उन के लिये हो रहा है उसे सुन कर बहुत खुश हैं, लेकिन जो महकमा उन के उत्थान के लिये खोला गया है उस से उन को संतोष नहीं है । यह महकमा उन का उद्धार करने के लिये खोला गया है लेकिन वह उलटा उन का नुकसान करता है । यह विभाग उन की संस्कृति का नाश कर रहा है और मारल्स का नाश कर रहा है । और जो पैसा सरकार देती है उस का हिसाब कागज पर तो आता है लेकिन उस से आदिवासियों को ज्यादा लाभ नहीं होता है । अगर किसी आदिवासी लड़के को २५ रुपया स्कालरशिप दिया जाता है तो उसे ६ या ७ रुपये महीने का खाना तो दिया जाता है और सही २५ रुपये की ली जाती है । बाकी रुपया न जाने कौन ले जाता है । इस तरह के उदाहरण

मिले । भारत के संविधान की धारा ३३९ में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के लागू होने से दस साल बाद इस बात की जांच करावें कि आदिवासियों का कितना उत्थान हुआ है । इस में यह भी दिया हुआ है कि यदि वह चाहें तो इस समय के पहले भी इस तरह की जांच करवा सकते हैं । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अभी वह समय है जबकि धारा ३३९ के अनुसार एक कमीशन मुकर्रर किया जाय जोकि यह जांच करे कि यह जो करोड़ों रुपया आदिवासियों के लिये खर्च किया जा रहा है वह जायज खर्च हो रहा है या नाजायज़ खर्च हो रहा है । अगर यह जांच नहीं की गई तो जो दावा आप ने संविधान में किया है वह पूरा नहीं होगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि संविधान बदलने वाला है । मैं चाहता हूं कि उस के अन्दर यह चीज़ भी कर दी जाय कि जो क्रिश्चियन आदिवासी हैं उन को दूसरे आदिवासियों से अलग कर दिया जाय । जो क्रिश्चियन हो गये हैं उनको आदिवासी न माना जाय । आजकल सब को एक साथ रखने का नतीजा यह हो रहा है कि जो सहूलियतें हम को दी जाती हैं वह अधिकतर ईसाई आदिवासियों को मिल जाती हैं और इसलिये बहुत से आदिवासी ईसाई बनना चाहते हैं । मैं उदाहरण के लिये बतलाता हूं कि मध्यप्रदेश में आदिवासियों की जन संख्या ५० लाख है और ईसाई आदिवासियों की पांच हजार । परन्तु भारत सरकार से जो ५७ स्कालरशिप हम लोगों को दिये गये उन में से ३४ ईसाई आदिवासियों को मिले और केवल २३ दूसरे आदिवासियों को दिये गये । संख्या के अनुपात से यह स्कालरशिप मिलने चाहिये थे यह मेरा कहना है । इस लिये हमारे आदिवासी भाई यह सोचते हैं कि हम में और ईसाइयों में तो अब कोई फर्क है ही नहीं और अब धर्म रहने वाला नहीं है, तो हम क्यों न ईसाई हो जायें और पढ़ने लिखने की अधिक सुविधाओं से लाभ उठावें । वह सोचते हैं कि अब हमारे ईसाई हो जाने में क्या हरकत है । अभी दो आदिवासियों को विलायत जा कर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी गई है, पर दोनों ईसाई लड़कियां ही गई हैं । आदिवासी ईसाई सारे भारतवर्ष में दस बारह लाख होंगे पर आदिवासी तो ढाई करोड़ हैं । उन के बच्चों को विलायत जाने की सहूलियत नहीं मिलती ।

सभापति महोदय : क्या ५७ में से ३४ छात्रवृत्तियां केवल ईसाइयों को मिली हैं ?

श्री उइके : जी हां ।

सभापति महोदय : दूसरों की तुलना में ईसाई आदिवासियों की संख्या क्या है ?

श्री उइके : मध्य प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन आदिवासी पांच हजार हैं और दूसरे आदिवासी ५० लाख हैं ।

अकेले मध्यप्रदेश में पांच हजार धर्म परिवर्तित ईसाईयों के चौतीस लड़कों को स्कालरशिप मिले हुए हैं जबकि पचास लाख आदिवासियों के केवल तेईस लड़कों को ही स्कालरशिप मिला हुआ है । इस तरह हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, और इसलिये मैं चाहता हूं कि विधान जब बदलने वाला है तो विधान में यह तबदीली होनी चाहिये कि ईसाई आदिवासी अगर हैं तो उन को अगर सरकार कुछ देना चाहती है तो उन को उन की जनसंख्या के अनुपात से दे और भारत के आदिवासियों के लिये जो रकम मंजूर की गई है वह और जो नौकरियां और स्कालरशिप्स आदि मिलने चाहियें वे सब उन को उन की संख्या के अनुपात से दिये जाने चाहियें । अगर ऐसा नहीं होता है तो

[श्री उइके

मैं गवर्नमेंट को यह चुनौती देना चाहता हूं कि सारे आदिवासी ईसाई हो जायेंगे क्योंकि वहां उन को जितना उन की संख्या के हिसाब से मिलना चाहिये उस से ज्यादा मिलता है । पिछली मर्तबा भी मैं ने कहा था और आज भी इस को कहा चाहता हूं कि और किसी तरीक़े से आदिवासियों को संतोष नहीं होगा । मेरे पास अपने प्रान्त की कई ज़िलों की और अन्य प्रान्तों के लोगों की चिट्ठियां आई हैं और उन से मेरे दिमाग़ में एक रोशनी हो गई है और मैं उस को आप के सामने और सरकार के विचार के लिये रखना चाहता हूं ....

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हम शेड्यूल्ड कास्ट वालों के साथ भी ऐसा अन्याय होता है .....

श्री उइके : वह रोशनी यह है कि उन के दिलों में यह बात पैदा हो गई है कि भा सरकार ने यह जो विधान में ऐसी बातें बना दी हैं और आज धर्म परिवर्तित आदिवासियों को हमारे साथ क़रार दे दिया गया है, यह अनुचित है और हमारे साथ अन्याय है और हमें यही सवाल सरकार के सामने उठाना होगा कि हम अपना धर्म किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहते चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारे शिक्षित बच्चों पर इस का बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और वे ईसाई बनते जा रहे हैं । इसलिये सरकारर के सामने हमें यह चीज़ रखना है कि विधान के अन्दर जितनी सहूलियतें आदिवासियों के लिये दी गई हैं वे सारी की सारी वापिस ले ली जायें या फिर धर्म परिवर्तित आदिवासियों को उन की जनसंख्या के हिसाब से स्कालरशिप, रिज़रवेशन और पैसा दियाजाय और बाक़ी आदिवासियों को दिया जाय । सरकार को आज जो अन्याय आदिवासियों के साथ में किया जा रहा है उस को इस तरह दूर करना चाहिये और उस के लिये सरकार को विधान में आवश्यक तबदीली करने पर शीघ्र विचार करना चाहिये । इतना ही कहते हुए राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सिंह साहब ने रक्खा है, उस का मैं हृदय से समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : राष्ट्रपति के लिये अपने अभिभाषण में प्रत्येक महत्वपूर्ण बात सम्मिलित करना संभव नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख : समय और स्थान का ध्यान रखते हुए उन्हीं कारणों से सरकार की ओर के वक्ताओं के लिये यह संभव नहीं है कि वे चर्चा में उठाई गई प्रत्येक बात का उत्तर दें । यह बात आय-व्ययक सत्र के आरम्भ की चर्चा और अभिभाषण के सम्बन्ध में तो और भी सच है । मुझे सन्देह नहीं कि इन बातों की चर्चा के लिये और बहुत से अवसर मिलेंगे । मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये उन बहुत से विषयों में से कुछ ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विशेषतः मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, बोलना चाहता हूं ।

सर्वप्रथम मैं केन्द्रीय पूना के माननीय सदस्य द्वारा औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम के कार्यों पर सरकार द्वारा प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में उठाई गई बात को लेना चाहता हूं । उन्हों ने कहा है कि बिना ब्याज के ऋण के रूप में एक बड़ी राशि निगम को दे दी गई है । इस कार्य के औचित्य के सम्बन्ध में सभा को पहले बताया जा

चुका है तिौर एक सामान्य सिद्धान्त के नाते मैं इस प्रस्थापना का समर्थन करता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह इस कार्य के उद्देश्य को पूरा करे । निस्सन्देह उद्देश्य यह है कि निगम को इतना समर्थ बनाया जाये कि वह नये औद्योगिक समवायों को ब्याज की उचित दर पर ऋण दे सके । यदि कोई इस राशि पर अर्थात् २०, २५ लाख रुपये पर संभव ब्याज का हिसाब लगाये और यदि कोई यह कल्पना करे कि निगम के एक बार चलने पर इस के संसाधन लगभग २५ करोड़ रुपये होंगे तो यह देखना संभव होगा कि वह एक प्रतिशत कम दर पर राशि दे सकेगा । अतएव सरकार की ओर से निदेशक को यह देखना होगा कि औद्योगिक समवायों को उचित ब्याज की दर पर ऋण दिया जाये और कि वह लाभ की दर और निगम के निदेशकों द्वारा अंशधारियों के लिये घोषित लाभांश के साथ संतुलित हो । ये ऐसे मामले हैं जो इस बात का विचार किये बिना कि इस सम्बन्ध में कोई विशेष अथवा स्पष्ट करार है या नहीं हमारे सम्मुख आते हैं । इस प्रकार का संतुलन बनाये रखने के लिये निदेशक के साथ किये जाने वाले विचार विमर्श के अतिरिक्त उन्हें परामर्श जारी करने के साधन भी सरकार के पास हैं ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : ग्यारह में से सरकार का केवल एक निदेशक है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह एक का कई के बराबर होने का मामला है । सरकार का सारा सम्मान और प्रभाव उस के साथ होगा और इस का अभिप्राय है राष्ट्र और संसद् का सम्मान और प्रभाव ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि ऋणों के सम्बन्ध में ऐसी सुविधायें क्यों नहीं दी जातीं ?

श्री सी० डी० देशमुख : अब से बहुत समय पूर्व कृषि सम्बन्धी ऋणों को ये सुविधायें दी जा चुकी हैं । रक्षित बैंक १½ प्रतिशत दर पर धन राशि देता है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण): पूर्वः अतः यह बिना ब्याज के नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : ये मामले बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं । माननीय सदस्य मुझे गलत समझ रहे हैं । यह धन राशि औद्योगिक समवायों को दी जायेगी और हम यह प्रबन्ध करना चाहते हैं कि यह राशि उन्हें उचित ब्याज की दर पर दी जा सके जबकि उस के संतुलन में निगम का लाभ सीमित रहे । सहकारी समितियों के सम्बन्ध में हम ऐसा करते हैं कि धन राशि रक्षित बैंक द्वारा, शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा, १½ प्रतिशत दर पर दी जाती है जिस से हम यह प्रबन्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि जब राशि कृषक के पास पहुंचे तो उसे उचित ब्याज की दर पर वह मिल सके । उद्देश्य वही है केवल मामले की परिस्थितियों के अनुसार ढंगों में कुछ अन्तर है । (अन्तर्बाधायें) श्रीमान, क्या मैं अब अगली बात पर बोलूं ?

समापति महोदय : इस प्रकार की अन्तर्बाधा से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि इतनी देर ब्याज ही पर चर्चा करते रहने में किसी का भी हित नहीं है । दूसरा विषय जिसे मैं लेना चाहता हूं वह ब्रिटिश प्रबन्ध अभिकरणों के लाभ के सम्बन्ध में है । मैं यहां उन के लाभों की किन्हीं सीमाओं का औचित्य व्यक्त नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह अवश्य समझता हूं कि स्थिति के ठीक स्वरूप को जानना लाभदायक है । सर्वप्रथम कलकत्ता उत्तर पूर्व के माननीय सदस्य ने प्रतिशत निकालने से पहले सात वर्ष की कालावधि के लिये इन समवायों

(श्री सी० डी० देशमुख)

के लाभों का जोड़ लगाया था । मैं समझता हूंकि एक वर्ष के लाभ को ले कर अंश पूंजी के साथ उस का सम्बन्ध जोड़ना अधिक अच्छा होगा । वह सामान्य प्रक्रिया है और मुझे विश्वास है कि वह यदि ध्यानपूर्वक विचार करें तो इसे स्वीकार करेंगे । यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो भी आंकड़े भ्रामक होते परन्तु निस्सन्देह वे इस सीमा तक भ्रामक न होते जितने कि उन्हों ने अपने वक्तव्य में बताये हैं । संभवतः उन्हें यह विदित है कि कुछ सुव्यवस्थित समवायों की यह प्रथा है कि वे अपने प्रति वर्ष के लाभ का एक भाग कार्यवाहक पूंजी के रूप में लगा देते हैं, अतएव किसी विशेष वर्ष के लाभ का सम्बन्ध उस वर्ष में लगाई गई कुल पूंजी से होना चाहिये । लगाई गई पूंजी और लाभ के अनुपात का हिसाब लगाने का यही सामान्य ढंग है । बहुत से समवायों की प्रभावी पूंजी में इस प्रकार पहले वर्षों के लाभ में से लगाई गई राशि समवाय में आरम्भ में लगाई गई नाममात्र की पूंजी की तुलना में बहुत बड़ा भाग होती है ।

दूसरे, जहां तक प्रबन्ध अभिकरणों का सम्बन्ध है, मैं ऐसा सोचना गलत समझता हूं कि प्रबन्धित समवायों की आय का अभिकरण समवाय की अंश पूंजी के साथ कुछ सम्बन्ध होना चाहिय । प्रायः यह देखने में आता है कि बहुत थोड़ी नाममात्र की पूंजी वाला एक अभिकरण समवाय एक से अधिक समवायों का प्रबन्ध करता है और अपनी अंश पूंजी की कई गुना राशि आय रूप में उन से प्राप्त कर सकता है । अत्यावश्यक बात यह है कि प्रबन्ध अभिकर्ता वह आय अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के लिये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करता है अर्थात् समवायों के प्रबन्ध के उपलक्ष में प्राप्त करता है और इसलिये यह आय समवायों का प्रबन्ध करने में अभिकरण समवाय द्वारा किये गये परिश्रम के फलस्वरूप है और अभिकरण समवाय द्वारा लगाई गई पूंजी की आय नहीं है । यह कहना भी उतना ही अनुचित होगा कि किसी समवाय का प्रबन्धक अपनी पूंजी पर इतने प्रतिशत लाभ अपने पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त कर रहा है क्योंकि हम वस्तुतः नहीं जानते कि कितनी राशि लगाई गई थी । निस्सन्देह प्रबन्ध सक्षमता पैदा करने के लिये कुछ पूंजी लगानी पड़ती है परन्तु इन बातों की गणना इस प्रकार के ढंग से नहीं की जाती ।

एक और बात यह है कि इस बात का सम्बन्ध जितना अंग्रेज़ों द्वारा प्रबन्धित समवायों से है उतना ही भारतीयों द्वारा प्रबंधित समवायों से है ।

फिर इस बात का वास्तविक उत्तर कि प्रबन्ध अभिकरण अत्यधिक पारिश्रमिक लेते हैं यह है कि समवाय विधेयक में ऐसे उपबन्ध हैं जो ऐसे पारिश्रमिक को उचित सीमा तक सीमित करने के लिये बनाय गये हैं, और जैसा कि मैं कहता हूं यह सब प्रबन्ध अभिकरणों पर चाहे व भारतीय हों या ब्रिटिश, लागू होता है । यह अलग समस्या है ।

उसी सदस्य ने यह बताने के लिये आंकड़े उद्धरित किये थे कि ब्रिटिश प्रबन्धक अभिकरण समवायों द्वारा प्रबन्धित समवाय ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इन समवायों से अभिकरण सम्बन्धी आय के अतिरिक्त अभिकरण समवायों के लिये यह एक और लाभ का साधन है । यहां फिर वही बात संगत है कि उन्हों ने इन समवायों के कुछ वर्ष का कुल लाभ लिया है और फिर उस का सम्बन्ध मूल नाममात्र की पूंजी से लगाया है । परन्तु वे इस तथ्य को भूल गये

हैं कि इन पुराने स्थापित समवायों में लगाई गई पूंजी का पर्याप्त भाग पूर्व के वर्षों के लाभ में से पुनः लगाई गई पूंजी है ।

प्रबन्ध अभिकरण की पूंजी किसी अन्य समवाय में होने का भी प्रश्न है और ऐसे समवाय को अन्य समवाय द्वारा प्रतिवर्ष घोषित लाभांश अपनी पूंजी पर प्राप्त करने से रोकने का कोई उपाय नहीं है । जहां तक मुझे विदित है बृटिश प्रबन्धक अभिकरण समवायों द्वारा उन समवायों में लगाई गई पूंजी जिन का वे प्रबन्ध करते हैं, सिवाय एक दो अपवादों के कहीं भी इतनी अधिक नहीं जितनी कि माननीय सदस्य समझते हैं । तो भी सामान्य समस्या यह है कि लाभों की समस्या का उन के ठीक स्वरूप में अवलोकन होना चाहिये और इस प्रकार के प्रश्न पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार उस का ध्यान रखेगी ।

अब ढेंकानाल और पश्चिम कटक के माननीय सदस्य के उड़ीसा में दुर्भिक्ष की स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर देता हूं । उन का आरोप यह है कि सहायता कार्य इस कारण से रुक गया है कि केन्द्र ने कंजूसी से सहायता दी है और कि व्यय के लिये राज्य सरकार को १५ करोड़ रुपया देने के और अनिवार्य उपायों की आवश्यकता है । इन मामलों के ठीक अवलोकन के लिय भूतकाल की ऐसी घटनाओं से सम्बन्धित आंकड़ों और तथ्यों को देखना होगा । कुछ आंकड़े ये हैं । मद्रास के रायलसीमा और राज्य के अन्य क्षेत्रों में १९५२ और १९५४ के बीच दुर्भिक्ष सहायता के रूप में केन्द्र से जो कुल सहायता प्राप्त की वह लगभग २६० लाख और ६८ लाख रुपये की निशुल्क सहायता थी अर्थात् कुल ३२८ लाख रुपये की सहायता थी । इस वर्ष कुछ राज्यों में बाढ़ें आई थीं और वहां क्षति और तबाही अत्यधिक हुई है । आसाम का चालू वर्ष में सहायता पर प्राक्कलित व्यय लगभग ४०० लाख रुपयें है बिहार का प्राक्कलित व्यय लगभग ५ करोड़ रुपये, जिस के कुछ क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हुए थे और कुछ अन्य क्षेत्रों में दुर्भिक्ष पड़ा था । पश्चिम बंगाल का प्राक्कलन ३.२०. करोड़ रुपये है । माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये १५ करोड़ रुपये की तुलना में इन आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिये ।

जहां तक उड़ीसा विषयक तथ्यों का सम्बन्ध है गत सितम्बर में राज्य सरकार ने राज्य के कुछ भागों में अन्नाभाव और कष्टप्रद परिस्थितियों की सूचना दी थी । उन्हों ने पूरे विवरण एकत्र करने के पश्चात यह अनुमान लगाया था कि चालू वर्ष में उन्हें लगभग १३० लाख रुपया व्यय करना पड़ेगा और अगले वर्ष ९५ लाख रुपया व्यय करना पड़ेगा और तब उन्हों ने वित्तीय सहायता मांगी थी । केन्द्र ने तुरन्त सहमति दे दी थी । हम ने उन्हें चालू वर्ष में प्रस्तावित सारे व्यय को पूरा करने के लिये १३० लाख रुपये की साधन और उपाय पेशगी दी थी । उस पेशगी का केवल कुछ भाग ऋण के रूप में वसूल किया जायेगा । अगले वर्ष के लिये राज्य सरकार ने अपनी ९५ लाख रुपये की मूल मांग का संशोधन कर के ३५४ लाख रुपये कर दिया है और फिर दोबारा संशोधन करने पर ४०० लाख रुपये कर दिया है । हम ने इस प्राक्कलन की स्वीकृति दे दी है और जब राशि मांगी जायेगी तब दे दी जायेगी ।

अतः सभा यह देख सकती है कि उस राज्य के लिये जितना व्यय आवश्यक समझा गया है केन्द्र ने उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया है और विधियां राज्य के लिये विद्यत

[श्री सी० डी० देशमुख]

कर दी हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि केन्द्र पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि केन्द्र ने कंजसी दिखाई है ।

इस के सम्बन्ध में ही मैं उस नीति के सम्बन्ध में कुछ कह दूं जो केन्द्र ने राज्यों को दुर्भिक्ष सहायता के लिये मूल अनूदान देने के लिये अपनाई है, यद्यपि इस से राज्य सरकारों द्वारा सहायता मांगने की प्रस्थापनायें भेजने में बाधा नहीं आती । राज्यों में कष्ट-प्रद परिस्थितियों में सहायता के हेतु वित्तीय सहायता देने की सामान्य प्रणाली गत वर्ष तक यह थी कि व्यय के लिये ५० प्रतिशत निशुल्क सहायता दी जाती थी और सहायता कार्यों के व्यय का ५० प्रतिशत ऋण रूप में दिया जाता था ।

प्रत्येक वर्ग के लिये उच्चतम सीमा भी निश्चित की जानी थी । चालू वर्ष में हम ने इस विषय पर फिर से विचार किया है और हम ने केन्द्रीय सहायता की शर्तें बहुत उदार बना दी हैं । हम ने उच्चतम सीमाओं से पीछा छुड़ा लिया है । मुफ्त सहायता के लिये अनुदान, व्यय किये गये पहले दो करोड़ रुपये का ५० प्रतिशत और २ करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की गई राशि का ७५ प्रतिशत होगा । मुफ्त सहायता में हम ने सहायता कार्यों की उन योजनाओं को पहले ही सम्मिलित कर लिया है जहां राज्य के लिये किन्हीं नई आस्तियों का निर्माण नहीं होगा । उदाहरणतः वे सड़कें जो बाद में बह जायें अथवा बह गई सड़कों के स्थान पर नई सड़कें बनाना । बाढ़ के कारण सड़कों और सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचने पर हम ने मरम्मत के लिये काफ़ी अनुदान देना स्वीकार कर लिया है । हम ने अपने सूत्र अधिक उदार बना दिये हैं और उन में परि-वर्तन किये जा सकते हैं और सब राज्य सरकारों को विस्तृत सूचना दे दी गई है । अतः सभा विश्वास रखे कि यह सहायता देने के लिये, राज्यों में या यहां, कहीं भी वित्तीय कठिनाई नहीं पड़ती है ।

सभा को यह भी याद रखना चाहिये कि दुर्भिक्ष सहायता पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय करने के अतिरिक्त पीड़ित क्षेत्रों में अन्य प्रकार का कार्य भी उपलब्ध किया जा रहा है । उन क्षेत्रों में विकास के कार्य से रोज़गार बढ़ रहा है और यह सहायता का एक परोक्ष परन्तु बड़ा महत्वपूर्ण साधन है जिसे भुलाया नहीं जा सकता । जहां कहीं आवश्यक हो हम ने अतिरिक्त विकास ऋण देना भी स्वीकार कर लिया है ।

यह सब पिछली ऋतु के बारे में है । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में प्राप्त हुए नवीनतम प्रतिवेदनों से पता चलता है कि खड़ी फसलों और पानी के संभरण की हालत सन्तोष-जनक है ।

श्री सारंगधर दास : खड़ी फसलें कौन सी हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : जो भी फसलें खड़ी हों । मैं धेनकनाल के बारे में इतना नहीं जानता हूं जितना माननीय सदस्य ।

श्री एस० एस० मोरे : चीनी

श्री सी० डी० देशमुख : चीनी ... और संबलपुर, कलाहांडी और मयूरभंज के अतिरिक्त पानी का संभरण भी । राज्य सरकार से भी मुझे एक प्रतिवेदन मिला है जिस में लगभग ऐसे ही तथ्य हैं । इस विषय में मैं काफ़ी कुछ कह चुका हूं । (**श्री सारंगधर दास** : अधिक न कहें) इस बड़बड़ाहट का क्या रहस्य है मैं नहीं जानता । मैं अब कृषि मूल्यों के विषय को लेता हूं जिस की ओर

कई वक्ताओं विशेष कर भंडारा के सदस्य ने निर्देश किया है । उन्हों ने कहा है. . .

कुछ माननीय सदस्य : नाम ?

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्यों से प्रत्याशा की जाती है कि उन्हें नाम का पता हो ।

श्री एस० एस० मोरे : आप जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र अभी बाल्यावस्था में है ।

श्री सी० डी० देशमुख : सम्भवत: वह श्री अशोक महता थे । वह भंडारा के रहने वाले हैं ।

उन्हों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या हम कृषकों का शोषण करके औद्योगीकरण करने जा रहे हैं । यह बड़ा सुसंगत प्रश्न है । मैं मानता हूं कि लोकतंत्रात्मक विकास को इस प्रकार के शोषण से घृणा करनी चाहिये । यही कारण है कि हम स्थिरता से मूल्यों के वर्तमान सम्बन्ध पर, जिस की ओर पूना केन्द्रीय के एक माननीय सदस्य ने भी ध्यान दिलाया था, विचार नहीं करते ।

कुछ माननीय सदस्य : वह कौन है ?

श्री सी० डी० देशमुख: वह श्री गाडगिल हैं । परन्तु उपचार करते अथवा संशोधन करते समय सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिये । जब मुद्रास्फ़ीति के वातावरण में योजना तैयार की गई तो कृषि मूल्यों के शीघ्र गिरने की सम्भावना नहीं देखी गई थी । उस समय कुछ लोगों का विचार था कि बढे हुए उत्पादन का लक्ष्य उस क्षेत्र में बड़ा आशाजनक है । परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण आशा से अधिक सफलता मिली है । परन्तु इसी सौभाग्य के कारण मूल्य गिरने की समस्या उत्पन्न हो गई है । इस में सन्देह नहीं कि किसी हद तक मूल्य स्तर और निर्वाह व्यय में समायोजन करना वांछनीय था । परन्तु मूल्यों का शीघ्र और अधिक गिरना कभी भी वांछनीय नहीं है । इन का एक ही आधार है । उपचार यह है कि कृषि वग के उत्पादन की मांग को बढ़ाया जाये । उदाहरणत: वाणिज्यिक फसलों के बारे में हम ने यह सुधार किया है और निरन्तर कर रहे हैं कि अपने सब साधनों को प्रयोग में ला कर निर्यात बढ़ाया जाये । खाद्य फसलों की आन्तरिक मांग को रोज़गार और आय बढ़ा कर बढ़ाया जा सकता है जिस का अर्थ है कि योजना के अन्तर्गत विकास व्यय को बढ़ाया जाये । यह किया जा रहा है । आर्थिक व्यवस्था से तुरन्त लाभ की आशा नहीं की जा सकती । अत: हम थोड़े समय की विपदा और थोड़े समय के समायोजन को देखना पड़ता है । ऐसा करने के लिये हम ने यह घोषणा की कि पीड़ित क्षेत्रों में हम कुछ अनाज खरीदने को तैयार हैं । हम जानते हैं कि मूल्य निर्धारण करने के लिये और उत्पादकों के विभिन्न वर्गों में आय का समवितरण करने के लिये खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादों में खुले बाज़ार की प्रथा चला दी जाये ।

यह बात याद रखनी चाहिये कि कई बार इन श्रेणियों के हित एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं । उदाहरणत: यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो कृषि श्रमिकों को अधिक व्यय करना पड़ता है या शहरों की कम आय वाले लोगों को कठिनाई होती है । हितों में भद के अतिरिक्त, जिस हद तक हम यह कार्य करना चाहते हैं उस के लिय वित्त की आवश्यकता है । इस का प्रबन्ध किया जा सकता है । यह समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । इस के लिय संघटन अर्थात् कर्मचारियों और गोदाम इत्यादि सुविधाओं की आवश्यकता है । ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति ने, जिस की ओर श्री गाडगिल ने

[श्री सी० डी० दैशमुख]

निर्देश किया, गोदामों के विकास के बारे में सिफ़ारिश की है । यह विचाराधीन है । हम मानते हैं कि इस समस्या का सामना करना पड़ेगा । हम ने इस के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है और इस का उत्तर भी जानते हैं । परन्तु प्रबन्ध करने में समय लगता है। द्वितीय योजना काल में तुलनात्मक मूल्यों की देखरेख के लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी । संसाधनों की बांट के लिय हम इसे योजना का ही एक अंग समझते हैं । वर्तमान योजना में भी इस समस्या का उल्लेख किया गया है । कुछ कारणों से, जो मैं ने बताये थे, मूल्य गिरने को रोकने की बजाय मूल्यों के बढ़ने को रोकने का यत्न किया गया था । हमें किसी हद तक आश्चर्य भी हुआ । जिन परिस्थितियों में प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की गई उन में यह अनिवार्य था । बर्तमान समय के लिये हम न सीमित मूल्य बनाये रखने की नीति और सरकारी व्यय को बढ़ाने की सहवर्ती नीति रखी है । मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि अर्थ व्यवस्था में अगले कुछ ही मास में कुल मांग बढ़ जायेगी । अतः हमें यह नतीजा नहीं निकालना चाहिये कि कृषकों को हानि पहुंचा कर औद्योगिक विकास किया जायेगा । केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सुधार साधनों का अधिक प्रयोग न किया जाय । समाज में निरन्तर समायोजन करने वाली मांग और संभरण की शक्तियों में हस्तक्षेप करन से पहले हमें बाज़ार का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिये । परन्तु जहां तक उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं ।

अन्त में मैं बरोज़गारी के विषय में कुछ कहूंगा । हम सब मानते हैं कि बरोज़-गारी और रोज़गार की कमी की समस्या बड़ी गम्भीर है । सम्भवतः मेरा समय पूरा हो चुका है । यदि एसा हो तो मैं इस विषय को नहीं लूंगा और इस बारे में किसी अन्य अवसर पर बोलूंगा ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री इस विषय को किसी अन्य अवसर के लिय उठा रखें क्योंकि दूसरे सदस्य भी बोलना चाहते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है जो फिर कभी कहूंगा । आशा है कि मुझे फिर अवसर मिलेगा ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी वाद-विवाद में भाग लें । माननीय सदस्यों न चार विशेष बातें कहीं जिन का मैं संक्षप में उत्तर दूंगा ।

पहली यह शिकायत थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि सरकार उन के हितों की ओर पूरा ध्यान दे रही है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को ऊंचा उठाने के लिये जो कुछ सम्भव है कर रही है । राष्ट्रपति के छोटे से अभि-भाषण में इस का उल्लेख न होने का यह तात्पर्य नहीं कि इस में रुचि नहीं ली जा रही है । कई अवसरों पर इस विषय पर चर्चा की गई है और आगे भी की जायेगी । इस समय यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सरकार विधान बनाने और विभिन्न राज्य सरकारों को धन अनुदान देने के रूप में क्या कुछ करती रही है । यह अनुभव किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है परन्तु मैं सभा को बता दूं कि इस के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी नहीं है । बड़ी खुशी की बात है कि राज्य

सरकारें भी इस विषय में बड़ी रुचि से कार्य कर रही हैं और मुझ विश्वास है कि दलित लोगों के हित पूर्णतया सुरक्षित हो जायेंगे ।

श्री पी० एन० राजभोज : कब ?

श्री दातार : यथासंभव शीघ्र ।

एक और प्रश्न अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में उठाया गया था । अनुसूचित आदिम जातियों के लिय भी संविधान के अन्तर्गत सरकार विशेष अनुदान देती रही है । एक माननीय सदस्य ने धर्म के प्रश्न को भी सम्मिलित करने के बारे में कुछ प्रश्न उठाये । जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों के लिय अनुदानों का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अनुसूचित आदिम जातियों की गिनती हिन्दू समाज की जातियों अथवा सदस्यों के रूप में की गई है । जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है इस में जाति भेद पर विचार नहीं किया गया है । दूसरी बातों की ओर ध्यान दिया गया है । अनुसूचित आदिम जातियों के लोग ईसाई मत के भी हो सकते हैं और अन्य धर्मों के भी हो सकते हैं ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : वे हिन्दू धर्म के हैं ।

श्री दातार : जहां तक आदिम जातियों की गिनती का सम्बन्ध है अनुसूचित आदिम जातियों का हिन्दू धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सभा यह बात ध्यान में रखेगी कि अनुसूचित आदमि जातियों के बारे में कुछ अन्य बातों पर विचार किया गया था और इस की पूरी संभावना हो सकती है कि ईसाई अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य हों । दूसरी ओर यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ईसाई हो जाता है अथवा हिन्दू नहीं रहता है, तो वह संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों को दी गई उन विशेष सुविधाओं का अधिकारी नहीं रहता । परन्तु अनुसूचित आदिम जातियों के विषय में आप धार्मिक पहलू को नहीं ले सकते ...

श्री उइके : मैं न प्रार्थना की थी कि या तो संविधान को चेंज कर दिया जाय या जनसंख्या के हिसाब से ईसाइयों और आदिवासियों को सहायता दी जाय ।

श्री दातार : सरकार उस प्रश्न पर और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संविधान के अनुसार एक आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को अन्य समुदायों को एक जैसा शिक्षित बनाने के लिय प्रत्येक संभव उपाय करेगी ।

मनीपुर के विषय में भी प्रश्न उठाया गया था । उस का सामरिक महत्व है । पहले वहां एक देशी नरेश का शासन था, और जैसा कल कहा गया तब वहां विधान मंडल और मंत्रिमंडल भी थे । विलय के बाद भारत सरकार ने देखा कि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों के हित में इसे भाग 'ग' राज्य बनाना आवश्यक है, और अब वह भारत-सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन है । यह प्रश्न उठाया गया था कि पर्याप्त सुधार हो जाने के बाद क्या इस छोट से राज्य में विधान मंडल और मंत्रिमंडल स्थापित किया जायगा । तत्कालीन गृह मंत्री डा० काटजू ने संसद् के विगत सत्र में इस का स्पष्ट उत्तर दे दिया था कि सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग भाग 'ग' राज्यों के भविष्य के साथ-साथ इन सब बातों पर विचार करेगा, इसलिय उन्होंने इस आंदोलन

[श्री दातार]

को शुरू करने वाले लोगों से धैर्य रखने को कहा था । फिर भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से ही इस प्रश्न पर आन्दोलन मचा रहे हैं । उन के पास कोई विशेष शिकायत नहीं है । उन का कहना है कि गत सितम्बर से ही वे विधान मंडल और मंत्रिमंडल की स्थापना के लिय आन्दोलन कर रहे हैं । परन्तु जब तक राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन न आ जाय और जनमत न जान लिया जाय, तब तक सरकार क्या कर सकती है । उस के बाद सरकार इस छोटे राज्य को भी भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के लिये पूरी चेष्टा करेगी । इसलिये मेरा अनुरोध यही है कि उन लोगों को यह आन्दोलन शुरू ही नहीं करना चाहिये था ।

वे इसे सत्याग्रह कहते हैं । सत्याग्रह का मूल सिद्धान्त उस का पवित्र और अहिंसात्मक होना है । मेरे सामने एक बहुत बड़ी सूची है, जिस में वहां पर की गईं न केवल अवैध कार्यवाहियां ही दी गई हैं, बल्कि हिंसात्मक कार्यवाहियां भी दी गई हैं । क्या आप सोच सकते हैं कि एक भारी भीड़ दफ्तरों में घुस जाय और लोगों को काम न करने दे और पदाधिकारियों का भी अपहरण करे और पुलिस के महानिरीक्षक को भी चोट लगे । यह सब इसी से हुआ कि ये लोग पदाधिकारियों को अपना काम नहीं करने देना चाहते थे ।

वहां पर मंत्रणा-परिषद् है । ये लोग तरीके से व्यक्तिगत मंत्रणादाता को पदत्याग करने पर मजबूर कर सकते हैं । परन्तु इन मामलों में यह किया जा रहा है कि उन को पदत्याग करने के लिये धमकाया जाता है और यदि वे तैयार नहीं हों, तो उन को अगा ले जाने की चेष्टा की जाती है। पुलिस की गाड़ियां भी तोड़-फोड़ दी गई हैं और कुछ एक चुरा भी ली गई हैं । एक सब-डिवीजनल अफसर तक को भगा ले जाने की कोशिश की गई थी । बहुत से पुलिस-कांस्टबिलों को भी चोटें पहुंची हैं ।

इन सब परिस्थितियों में मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करे । भारत के महापुरुष महात्मा गांधी जी द्वारा खोजे गये इस 'सत्याग्रह' के लिये सत्य, अहिंसा और पवित्र तरीके अपेक्षित हैं । यदि मैं एक पदाधिकारी हूं और अपना काम करना चाहता हूं, तो इस आन्दोलन के--मैं इसे भीड़ न कहूंगा,--आयोजकों को क्या दफ्तर में घुस कर काम में विघ्न डालना चाहिये और फाइलें उठा लेनी चाहियें ? क्या यही सत्याग्रह है ? इन सब कार्यों के कारण जनता को परेशानी उठानी पड़ती है और शान्ति भंग होती है । एक स्थान पर गोली चलानी पड़ी । उन परिस्थितियों की जांच की गई, तो पता चला कि गोली चलाना सर्वथा उचित था, क्योंकि भीड़ बड़े हिंसात्मक कार्य कर रही थी । भीड़ को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा, और इस का दायित्व आयोजकों पर है जो खतरनाक परिणामों की ओर ले जाने वाले कुछ कार्यों को बिना आगा पीछा सोचे शुरू कर देते हैं । अतः मैं पूरी सचाई के साथ इन आन्दोलन कर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि कुछ महीने प्रतीक्षा करें, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट इस साल के मध्य तक प्रकाशित हो जायगी और उस के कुछ महीने बाद ही संसद् को उन सिफारिशों का पता चल जायगा । हम मनीपुर के लोगों की राय जान लेंगे और तब इस प्रश्न को शान्तिपूर्वक निपटाया जा सकेगा, क्योंकि सरकार सभी प्रश्नों को शान्तिपूर्ण तरीकों से निपटाना चाहती है ।

इस के बाद मैं संक्षेप में दो अन्य राज्यों को लूंगा । एक शिकायत की गई है कि त्रावणकोर-कोचीन में राजप्रमुख को भूत-पूर्व मुख्यमंत्री का परामर्श मान कर विधान-मंडल विघटित कर देना चाहिय था । आप देखेंगे कि इसी नीति की वकालत करने वाले व्यक्ति आन्ध्र सम्बन्धी घोषणा के समय दूसरी बात कह रहे थे ।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने कहा था कि आन्ध्र विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के असफल रहने पर राज्यपाल को वैकल्पिक सरकार बनाने की चेष्टा करनी चाहिए थी । परन्तु वहां पर एक ओर ६७ और दूसरी ओर ६८ सदस्य होने से बराबर की लड़ाई थी और यह संभव न था। त्रावणकोर कोचीन में ११८ सदस्यों की विधान सभा में ६० सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे, जो ११८ की कुल में स्पष्ट ही बहुमत है । ६० में भी केवल ३१ विरोध में थे और २७ पूर्णत: तटस्थ थे । इन परिस्थितियों में यदि ६० सदस्य एक दल के सदस्य हैं, तो सरकार बनाने के लिय उन से अनुरोध करने में संविधानिक दृष्टि से क्या गलती है ?

त्रावणकोर कोचीन में राजप्रमुख के सामने यह प्रश्न था कि क्या वह विधान सभा को विघटित कर दें या राष्ट्रपति का शासन लागू कर दें । राष्ट्रपति का शासन एक अपवाद है, और यथासंभव उसे टालना चाहिये । उस स्थिति में राजप्रमुख को अन्य संभावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिये और वह संभावना यही थी कि ६० मतों वाले दल से पूछा जाय कि क्या वह सरकार बनाना चाहेगा । कुछ मामलों में कुछ लोग कम बहुमत से भी सरकार बनाने को तैयार हो जाते हैं, जैसा त्रावणकोर और आन्ध्र में हुआ था ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : क्या राजप्रमुख ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से परामर्श किया था ?

श्री दातार : कोई परामर्श करना आवश्यक नहीं है । राजप्रमुख को परिस्थिति पर प्रत्येक दृष्टि से स्वविवकानुसार निर्णय करने का अधिकार है । उन को इन बातों पर विचार करना था ।

[**सरदार हुक्मसिंह** पीठासीन हुए]

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किन बातों को ध्यान में रखा जाना था । एक बात यही थी कि क्या विधान सभा के विघटन के स्थान पर कोई दूसरा विकल्प भी है ।

दूसरी यह कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार बन सकती है । तीसरी यह कि क्या वह वैकल्पिक सरकार टिक भी सकेगी । और अन्त में यह भी ध्यान में रखना था कि पिछले सामान्य निर्वाचन को हुए अभी कुल ११ महीने ही हुए हैं, और यदि सरकार विधान सभा के विघटन के बाद नये निर्वाचन की घोषणा भी करती, तो भी क्या स्थिति में कोई सुधार हो सकता था । इन ११ महीनों में ऐसी कोई बात नहीं हो गई है, जिस से कोई दल-विशेष पर्याप्त संख्या में विजयी हो जाता ।

दूसरी ओर इस मामले में कांग्रेस दल की संख्या ४५ थी और तामिलनाद कांग्रेस के १२ सदस्य थे । तो राजप्रमुख ने देखा कि एक ४५-४६ सदस्यों वाला दल है, और एक दूसरा उपदल भी है । उसे उपदल ही कहेंगे, पृथक दल नहीं, क्योंकि उस के सदस्य कांग्रस के सदस्य हैं और उन में केवल एक ही प्रश्न पर मतभेद है, दूसरी बातों पर नहीं । राजप्रमुख ने इस दल को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया तो ठीक ही किया क्योंकि उस ने देखा कि इस दल का इतना

[श्री दातार]

बहुमत था कि वह स्थिरतापूर्वक प्रशासन चला सके। इसलिय इस सदन से मेरा निवेदन यह है कि राजप्रमुख का कार्य बिल्कुल वैध तथा उचित है क्योंकि उस ने उन सभी बातों का ध्यान रखा है जो मैं ने सभा को बताई हैं और उन बातों का ध्यान रखते हुए उस ने स्थिति का बिल्कुल ठीक निदान किया। उस के बाद उस ने इस दल से, जिसे पूरा समर्थन प्राप्त था, सरकार बनाने के लिय कहा। हमें यह आशा करनी चाहिय कि यह सरकार अधिक दिन चलेगी क्योंकि इसे पहली सरकार की अपेक्षा अधिक समर्थन प्राप्त है। १८ सदस्यों से तो सरकार नहीं चल सकती।

जहां तक प्रस्तुत सरकार का सम्बन्ध है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस के स्थिर रहने की पदच्युत मंत्रिमंडल की अपेक्षा अधिक आशा है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही और कहूंगा कि राजप्रमुख का कार्य न केवल नियमानुकूल था बल्कि इन परिस्थितियों में उचित भी था।

अन्तिम बात मैं संक्षप में आंध्र के चुनाव के सम्बन्ध में कहूंगा। कुछ ही दिन हुए इस सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव आया था और माननीय गृह मंत्री ने एक विस्तृत वक्तव्य देते हुए कहा था कि वे आंध्र के चुनाव में बड़ी दिलचस्पी लेते रहे हैं और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि ये चुनाव यथासम्भव उचित ढंग से--स्वतंत्र रूप से और शांतिपूर्ण हों। उन्होंने अपने सामने ये तीन कसौटियां रखी थीं और सारे अधिकारियों को तदनुसार आज्ञा दी थी। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव को सफल बनाने के लिय विभिन्न भागों में २० हज़ार व्यक्ति काम कर रहे हैं। सभी सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें न्याय और तटस्थता से काम करना चाहिय और यदि किसी अधिकारी को चुनावों में भाग लेते हुए या अनुचित ढंग बरतते हुए पाया गया तो उस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी। इस आदेश का पालन करने में आवश्यकता पड़ने पर सरकार की सारी शक्ति एसे अधिकारी के साथ होगी। चुनाव के लिय प्रबन्ध बिल्कुल ठीक थे और जो घटनायें बताई गई हैं, उन की संख्या बहुत कम है। उस प्रदेश के राज्यपाल बड़े दृढ़ व्यक्ति हैं और ठीक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। उस चुनाव का पांचवां भाग बाकी है और २७ तारीख को चुनाव समाप्त हो जायगा। इन बातों के कारण मुझे विश्वास है कि वहां चुनाव ठीक हो रहा है और अधिकारी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। संसद् के एक सदस्य—राज्यसभा के श्री सुन्दरैया—को भी इस चुनाव के सम्बन्ध में यह कहना पड़ा कि पुलिस और सरकार ठीक ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने एसा कहा है और यह समाचार-पत्रों में छपा है।

मैं उन का बयान पढ़ कर सुनाऊंगा क्योंकि यह बड़ा दिलचस्प है उस में कुछ अप्रिय बातें भी हैं और मैं उन्हें भी पढ़ कर सुनाऊंगा।

"एक माननीय सदस्य, श्री सुन्दरैया, जो प्रमुख कम्युनिस्ट नेता हैं,

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : आप यह मानते हैं कि वे प्रमुख कम्युनिस्ट नेता हैं ?

श्री दातार : यह तो कम्युनिस्टों को बताना चाहिये कि व प्रमुख हैं या नहीं।

यह तो उन का सम्मान है कि वे चोटी के नेता माने जाते हैं । समाचार पत्र में यह भी था :

> ". . .को भी मानना पड़ा कि पुलिस अपना कर्तव्य सामान्यतया ईमानदारी से पूरा कर रही है ....." ।

तो यह प्रमाणपत्र एक एसे दल के सदस्य ने दिया है जो परिस्थितियों से विवश हो कर ही एसी बात कहता है । मैं किसी कांग्रसी अखबार, किसी कांग्रसी नेता या किसी अन्य नेता का हवाला नहीं दे रहा हूं । उन्होंने यह माना कि पुलिस अपना कर्त्तव्य ईमानदारी से निभा रही है परन्तु साथ ही उन्हें ध्यान आया कि वे विरोधी दल में हैं और उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ दिया कि "कुछ स्थानों में पुलिस जमींदारों का साथ दे रही है ।" ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने केवल यह आरोप लगाया कि "कुछ स्थानों में पुलिस जमींदारों का साथ दे रही है" और यह नहीं कहा कि वह कांग्रसियों का साथ दे रही है । ..... (**अन्तर्बाधायें**) मैं अन्तिम बात कहने लगा हूं ।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जहां तक आंध्र के चुनाव का सम्बन्ध है, वह ठीक ढंग से चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा के समर्थन और सहयोग से चुनाव का अन्तिम भाग भी २७ तारीख को शान्ति से पूरा हो जायगा । मेरा विचार था कि इन बातों का उत्तर देना चाहिय अन्यथा गलत धारणा उत्पन्न हो जयेंगी । इसलिय मैं ने इन बातों का उत्तर दिया है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बीसवां प्रतिवदन

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी कार्य करेंगे और दूसरी चर्चा चार बजे फिर आरम्भ करेंगे । मैं श्री आल्तेकर से कहूंगा कि वे गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये समय नियतन सम्बन्धी प्रस्ताव रखें ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो २३ फरवरी, १९५५ को सभा में रखा गया था, सहमत है ।"

यह आज के लिये रखे गये संकल्पों के लिये समय के सम्बन्ध में है । मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे ।

इस के बाद सभापति महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिय रखा और वह स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिए कल्याण-विभाग बनाने के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब सभा निम्न संकल्प पर और आगे चर्चा प्रारम्भ करेगी जो श्री ब्रह्मचौधरी ने १७ दिसम्बर, १९५४ को प्रस्तावित किया था :

> "इस सभा की यह राय है कि अनुसूचित आदिमजातियों, अनुसूचित जातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिये उपयुक्त उपाय करने के लिये एक कल्याण विभाग तुरन्त बनाया जाय जो एक अलग मंत्रालय के अधीन काम करे ।"

[सभापति महोदय]

इस संकल्प पर चर्चा के लिये निश्चित डेढ़ घंटे के समय में से एक घंटा पांच मिनट बचे हैं । श्री सारंगधर दास पिछली बार केवल दो मिनट बोले थे । अब वे अपना भाषण फिर प्रारम्भ करें ।

मेरा विचार है कि प्रत्येक सदस्य जो बोलना चाहें दस मिनट से अधिक न ले । मंत्री महोदय को उत्तर देन के लिय १५ मिनट मिलेंगे ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल-पश्चिम (कटक) : मैं अनुसूचित जाति या जनजाति का तो नहीं हूं परन्तु उड़ीसा के कई ज़िलों में अपने राजनीतिक कार्य में मैं ने देखा है कि ये दोनों सम्प्रदाय बहुत पिछड़े हुए हैं । मेरा विश्वास है कि जब तक उन्हें सवर्ण लोगों के स्तर तक नहीं लाया जाता तब तक देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता । इसीलिये कि जब संविधान बन रहा था तो हम में से बहुत से व्यक्तियों ने यह मान लिया था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायें । इस का उद्देश्य यह था कि दस वर्ष के समय में सरकार स्वयं एसी कार्यवाहियां करे जिस से ये दोनों सम्प्रदाय उन्नति करें । लगभग दो सप्ताह पहले मैं ने उड़ीसा के दो ज़िलों का दौरा किया और मैं ने देखा कि वहां वही स्थिति है जो तीन वर्ष पहले थी । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को नोट कर लें । उन से बातचीत में मैं ने कहा था कि आदिवासियों और हरिजनों के लिये पीने के पानी के कुएं नहीं हैं । उन्होंने उड़ीसा सरकार के एक अधिकारी का वक्तव्य मुझे सुना दिया जिस में कहा गया था कि ६०० कुएं खोदे गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में ऐसी कितनी बस्तियां हैं जिन में हरिजन और आदिवासी रहते हैं । वहां तो ६००० कुएं चाहियें । इस से आप को मालूम हो जायगा कि यह काम कितना महत्वपूर्ण तथा जल्दी का है । मुझे आश्चर्य यह है कि हम सवर्ण हिन्दू अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की प्रगति नहीं चाहते हैं । मुझे इस बात का विश्वास है क्योंकि विकास कार्य में कुछ कुएं गांवों में खोदे जाने थे और सवर्ण लोगों ने वे कुएं अपने घरों के आस पास बनवाये । हरिजन और आदिवासी अभी तक जंगलों के तालाबों का सड़ा हुआ पानी पीते हैं । उन्हें इस से त्वचा की बीमारियां होती हैं; कभी हैज़ा फैलता है तो गांव के गांव साफ़ हो जाते हैं । हरिजन और आदि-वासी स्वास्थ्य सम्बन्धी इन बातों को नहीं समझते । इसीलिय सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वह इन लोगों को ऊपर उठाय । केन्द्र तथा ·ाज्यों की सरकारें अपना यह कर्तव्य निभाने में असफल रही हैं । इसीलिय मैं इस संकल्प का समर्थन कर रहा हूं और चाहता हूं कि इस काम के लिय एक अलग मंत्रालय एसे व्यक्ति के अधीन हो जो इस काम से सहानुभूति रखता हो । जब तक यह नहीं किया जाता संविधान में किये गये सारे उपबन्ध और अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की नियुक्ति —ये सब बेकार जायेंगे ।

इस आयुक्त को नियुक्त हुए तीन वर्ष हो गय हैं । उस ने स्वयं अपने प्रतिवेदन में कहा है कि उस ने जो काम करने की सिफ़ारिश की थी, वे नहीं किये गये । जब तक अलग मंत्रालय नहीं बनता, ये काम किये भी नहीं जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग देश की जन-संख्या का छटा भाग हैं । यदि उन के लिये कुछ नहीं किया जाता तो राष्ट्रपति प्रौ

इस सरकार का कर्तव्य है कि वह यह बताये कि अगले दो तीन वर्षों में उसे क्या करना है । जब तक इस काम को गम्भीरतापूर्वक नहीं किया जाता और इन लोगों को अन्य लोगों के स्तर तक नहीं लाया जाता तब तक इस देश के लिये कोई आशा नहीं है और देश के समाजवादी ढांचे या कल्याणकारी राज्य की बातें करने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री तिम्मय्या (कोलार–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, हम, इस सभा के अनुसूचित जातियों तथा आदिम जाति के सदस्य, इस सभा में आने के समय से ही एक अलग मंत्रालय की मांग करते रहे हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर –रक्षित–अनुसूचित जातियां) : हमारे गृह मंत्री जी कहां हैं ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

सभापति महोदय : उपमंत्री जी यहां हैं ; वे सब कुछ उन्हें बता देंगे ।

श्री तिम्मय्या : हम एक अलग मंत्रालय इसलिये नहीं चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर सकती, अपितु इसलिये चाहते हैं कि क्योंकि गृह मंत्रालय के पास बहुत अधिक काम होने के कारण वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की समस्या की ओर पूरी शक्ति और सारा समय नहीं लगा सकता । जैसा कि हम सब जानते हैं, यह समस्या इतनी बड़ी है कि इस की ओर सरकार को निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी में देश का हित है । इसलिये अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के लिये एक अलग मंत्रालय का होना आवश्यक है जो शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या को हल कर सके ।

पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की दशा सुधारने के लिये बहुत सी परियोजनायें और योजनायें हैं । यदि एक अलग मंत्रालय हो, तो वह इन योजनाओं को अच्छी प्रकार क्रियान्वित करवा सकता है और इन लोगों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को हिदायतें दे सकता है और उन का पथ-प्रदर्शन कर सकता है । सारे देश के लिये एक-सी नीति हो सकती है । अस्पृश्यता को दूर करने और इन लोगों की दशा सुधारने तथा तत्सम्बन्धी विधियों को अच्छी प्रकार क्रियान्वित करवाने के लिये एक अलग मंत्रालय का होना आवश्यक है ।

गृह मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं हैं कि कुटीरोद्योगों के विकास के लिये दिये गये धन से अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के कितने परिवारों ने लाभ उठाया या इन के पानी पीने के लिये कितने कुएं खुदवाये गये अथवा कितनों को कृषि की उन्नति के लिये ऋण दिये गये । इन सब आंकड़ों के अभाव में यह पता लगाना कठिन हो जायगा कि संविधान में निर्धारित दस वर्ष की अवधि में अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों ने कितनी उन्नति की है । मुझे निश्चय है कि गृह मंत्रालय यह काम नहीं कर सकेगा । अतः दस वर्ष के अन्दर इन की समस्या को हल करने के लिये एक अलग मंत्रालय का होना आवश्यक है ।

अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के लिये नियुक्तियां सुरक्षित रखने का आदेश केवल कागज पर ही रह गया है । उसे क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई । यदि इन के लिये एक अलग मंत्रालय हो तो वह इन्हें सरकारी नौकरियों के लिये योग्य बनाने के हेतु इन के प्रशिक्षण आदि की उचित व्यवस्था करे । देश में विद्यमान

[श्री तिम्मय्या]

बेगार की प्रथा का सब से बड़ा शिकार अनुसूचित जाति के लोग होते हैं । किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में आंकड़े नहीं इकठ्ठे किये और न ही बेगार के लिये दण्ड देने के हेतु कोई विधान है । यदि एक अलग मंत्रालय होता तो वह इन सब के आंकड़े इकठ्ठे करता और अनुसूचित जाति के लोगों को बेगार से मुक्ति दिलाता । अतः मेरी गृह मंत्री जी से अपील है कि वह अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की दशा सुधारने के लिये एक अलग मंत्रालय बनाने के प्रश्न पर अवश्य विचार करें, इसी में राष्ट्र का हित है ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षिता—अनुसूचित आदिम जातियां): संविधान में पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिये सरकार पर कुछ उत्तरदायित्व डाले गये हैं । पिछड़े वर्गों की समस्या के विषय में इस नई संसद् के आरम्भ से ही बड़ा भद्दा व्यवहार किया गया है । गत वर्ष लगभग दो वर्ष के पश्चात् श्रीकण्ठ प्रतिवेदन पर विचार के लिये सत्र के अन्त में केवल दो घंट दिये गये थे । इस से पता चलता है कि सरकार भारत के पिछड़े वर्गों की समस्या को कितना महत्व देती है । संविधान के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में जो उपेक्षा दिखाई गई है उस से हमें बड़ा दुःख और निराशा हुई है ।

संविधान के अनुसार जिन राज्यों में पिछड़े वर्गों के बहुत से लोग रहते हैं वहां उन के लिये एक अलग मंत्री होना चाहिये । बिहार में आदिमजातियों के प्रश्न को ही लीजिये । वहां एक मंत्री के पास लगभग आधा दर्जन विभाग हैं और यह आदिमजातियों का कार्य तो केवल आनुषंगिक-सा प्रतीत होता है । मुझे आश्चर्य है कि मेरे माननीय मित्र गृह-कार्य उपमंत्री ने यहां यह कहने की धृष्टता कैसे की कि आदिवासियों और हरिजनों के लिये यथाशक्ति सब कुछ किया जा रहा है । मैं उन से यह कहूंगा कि वे जरा जनता के सामने जा कर यह कह कर देखें । हम जानते हैं कि क्या हो रहा है । वे आयुक्त की बात को ही सुनें । उस का कहना है कि वह अच्छी प्रकार कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें उस की सलाह पर नहीं चलतीं और न ही उस के प्रश्नों का कोई उत्तर देता है । सरकार को अब इस विषय में कुछ गम्भीरता से कार्य करना चाहिये, क्योंकि इन पिछड़े वर्गों के कारण सारा राष्ट्र पिछड़ा हुआ है । मैं समझता हूं कि केन्द्रीये सरकार को इस विषय में पहल करनी चाहिये और वह इसी प्रकार हो सकती है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और उन की आवश्यकताओं की देखभाल के लिये एक अलग मंत्रालय बनाया जाये । केवल आदिवासियों अथवा हरिजनों को ही नहीं, अपितु सारे पिछड़े वर्गों को इस मंत्रालय के अधीन रखना चाहिये । केन्द्र की देखा-देखी राज्य सरकारें भी अपने यहां समुचित व्यवस्था करेंगी । यहां केवल आंकड़ों का भ्रम-जाल दिखाने से काम नहीं चलेगा ।

मैं समझता हूं कि श्रीकण्ठ प्रतिवेदन इस सत्र में—यदि इस में नहीं तो अगले सत्र में—अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा और इस पर चर्चा के लिये विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जायेगा । सरकार को उन लोगों की राय को भी उचित महत्व देना चाहिये जो पूर्णतया उस से सहमत नहीं हैं ।

स्मरण रखिये भारत बड़ी तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है । यह न भूलिये कि जंगली प्रदेश भी प्रगति कर

रहे हैं । कई लोग समझते हैं कि जंगली प्रदेशों में प्रजातंत्र की भावना नहीं फैली है । किन्तु बात इस से उलटी है । वास्तविक प्रजातंत्र की भावना तो पिछड़े वर्गों और आदिमजातियों में ही है । उन्नत प्रदेश ही प्रजातंत्र की प्रगति को रोक रहे हैं । भारत के प्राचीन समाज की तो रग रग में प्रजातंत्र समाया हुआ है । आदिवासियों की अपनी पंचायत प्रणाली है । हम आधुनिकीकरण के नाम पर उन की पुरानी संस्थाओं को नष्ट कर के नई व्यवस्था उन पर थोप रहे हैं, जिन से वे बिल्कुल अपरिचित हैं । प्रजातंत्रीकरण के नाम पर पिछड़े हुए प्रदेशों में बड़ी हानि पहुंचाई जा रही है । लोगों के लिये ऐसी न्याय व्यवस्था करनी चाहिये जिसे वे अच्छी प्रकार समझते हों और जो उन की परिस्थितियों के अनुकूल हो तथा कम खर्चीली हो ।

अन्त में, मैं मद्यनिषेध के पक्षपातियों को यह सलाह दूंगा कि वे अपनी इच्छा दूसरों पर न थोपें ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं, किन्तु इस के साथ ही हमें यह भ्रम नहीं है कि केवल एक अलग मंत्रालय बना देने से ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या हल हो जायेगी । हम जानते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के अधीन पहिले ही एक संगठन बना हुआ है । कुछ सहायक आयुक्त और अन्य पदाधिकारी उन की सहायता करते हैं । कुछ राज्यों में इन के कल्याण सम्बन्धी कार्यों के बावजूद भी सब इस से असन्तुष्ट हैं । और स्वयं शासक दल के सदस्य ने ही ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया है । इस से यह प्रकट होता है कि सरकार ने इस समस्या को गम्भीरता से नहीं सुलझाया है । हम जानते हैं कि देश के पिछड़े हुए लोगों को औरों के समान स्तर पर लाने के लिये संविधान में स्पष्ट निदेशक सिद्धान्त हैं और सरकार को इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक हल करने के लिये कहा गया है किन्तु हम देखते हैं कि सरकार आयुक्त के प्रतिवेदन पर सभा में वाद-विवाद करने के लिये भी समय नहीं दे सकती । अभी तक १९५३ के प्रतिवेदन पर भी विचार नहीं किया गया है ।

बेगार का उल्लेख किया गया था । प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ पर लिखा है कि हैदराबाद के औरंगाबाद जिले में अब भी अनुसूचित जाति के लोगों से बेगार ली जाती है । इसे दूर करना चाहिये । आज प्रातः वैदेशिक-कार्य उपमंत्री जी ने कहा था कि सरकार सब प्रकार की बेगार के विरुद्ध है, किन्तु यह तो बताया नहीं गया कि बेगार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है । उन के शोषण का केवल यही एक ढंग तो नहीं है । और कई प्रकार से भी उन का शोषण किया जाता है । प्रतिवेदन के पृष्ठ ९ पर लिखा है कि सूरत की एक अनुसूचित आदिमजाति 'दुबला' लोगों से उन्हें बिना कुछ बताये दस्तावेजों पर अंगूठे लगवा कर जमींदारों ने उन्हें स्थायी काश्तकारी के उन के अधिकार से वंचित कर दिया । ऐसे और भी बहुत से उदाहरण प्रतिवेदन में दिये हुए हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सरकार उन्हें कुछ छात्रवृत्तियां आदि दे कर उन पर कुछ धन व्यय कर रही है, किन्तु वह समस्या की जड़ तक पहुंचने की चेष्टा नहीं करती । इन लोगों की सब से पहली आवश्यकता इन का आर्थिक पुनर्संस्थापन है । मैं ने यह भी देखा है कि अन्य निर्धन वर्गों के साथ कृषि श्रमिकों तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों का भी शोषण होता है । उन्हें जमींदार बेदखल कर रहे

[श्री एन० सी० चौधरी]

हैं। अतः सरकार को न केवल उन की समस्या को हल करने के लिये एक अलग मंत्रालय ही बनाना चाहिये, अपितु उन के आर्थिक पुनः संस्थापन के लिये और अधिक छात्रवृत्तियों आदि के रूप में अधिक धन देना चाहिये तथा उन की कठिनाइयों को दूर करना चाहिये।

लोगों को शिक्षित बनाने तथा अस्पृश्यता को दूर करने के सम्बन्ध में प्रचार के बारे में कुछ कहा गया है। हम देखते हैं कि मेरे राज्य के कुछ भागों में अनुसूचित जाति के नापित आदि लोगों को अब भी अस्पृश्य समझा जाता है। आयुक्त के प्रतिवेदन में लिखा है कि मेरे राज्य में अस्पृश्यता नहीं है। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। अतः सभा को न केवल इस विषय में एक विधान ही बनाना चाहिये, अपितु लोगों को शिक्षित बनाना चाहिये और ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये जिस से ये सब निर्योग्यतायें स्वयमेव दूर हो जायें और ये पिछड़े हुए लोग सारे समाज के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ सकें।

श्री उइके (मंडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : सभापति महोदय, हरिजन, आदिवासी पिछड़ी जातियां आदि सब को मिला कर १५ करोड़ की जनसंख्या होती है। एक करोड़ शरणार्थियों के लिये तो गवर्नमेंट ने एक मोहकमा अलग कर दिया था, एक मिनिस्ट्री बना दी थी लेकिन इस १५ करोड़ की जन संख्या के उत्थान के लिये एक अलग मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। देश के प्लानिंग के वास्ते मिनिस्ट्री बना कर सारे काम हो रहे हैं, लेकिन १५ करोड़ जनता की प्लानिंग के वास्ते एक अलग मिनिस्ट्री नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो सकती है ? हमारे गृह मंत्री हमेशा हमें यह जवाब देते हैं कि "अलग मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है ? स्कालर्शिप्स का जहां तक सवाल है वह एजुकेशन मिनिस्ट्री देती है और बाकी सारा काम स्टेट मिनिस्ट्री के पास है। शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर हैं वह अपनी रिपोर्ट दे देते हैं और उस के ऊपर यहां बहस कर लो"। अगर हम स्टेट मिनिस्ट्री के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, कान्स्टिट्यूशन ने सारा बोझा इस काम का इन १५ करोड़ लोगों के उत्थान का राष्ट्रपति के ऊपर डाल दिया है, यहां क्या रक्खा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आखिर इन लोगों के उत्थान का सही जवाबदेह कौन है। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करोड़ों रुपये ग्रान्ट-इन-एड देती है तो क्या वहां पर यह देखने के लिये कि जो ग्रान्ट-इन-एड स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं उन से सही काम होता है या नहीं, कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिये ?

आज आप के शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस में कितना रोना तो खुद वही रो रहे हैं। उस के अन्दर ज्यादा जाने की आज जरूरत नहीं है क्योंकि जो अलग अलग बातें अलग अलग पेजेज़ पर दी हुई हैं उस पर यहां पर कुछ दिनों के बाद चर्चा होगी। उन्हों ने लिखा है : कर्मचारियों के लिये जगह नहीं, जमीन गई, जांच हो, उन की झोपड़ियों की जगह नहीं, आदिवासी और हरिजन जो हैं जंगल में वास करते हैं। वहां बांस, कथ्था जो उन की रोटी का सहारा था वह नहीं मिल रहा है। उन के लिये अनुसूचित क्षेत्र हो, स्कूलों की कमी है, उन से बेगार ली जाती है, हर प्रकार से शोषण होता है, कर्ज मुक्ति और तकावी का कानून नहीं, सह समितियां ठीक नहीं चलतीं, आर्थिक सुधार ठीक नहीं हुआ, वह तम्बाकू लगा नहीं सकते, मकान

आदि की सहायता के सुझाव । यह मुख्य सुझाव दिये हुए हैं इस रिपोर्ट में जोकि शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने दी है और जो बहस के लिये यहां आयेगी । लेकिन मैं पूछता हूं कि इस सब काम को देखने वाला मंत्रालय कौन है ? रिपोर्ट तो गृह मंत्रालय को दे दी गई, लेकिन उस को इन सब बातों को देखने का समय नहीं है । आज उस के रीजनल कमिश्नर हर स्टेट में मुकर्रर हैं, मेरी स्टेट में भी हैं । मेरी स्टेट के लिये यहां की सरकार ने शायद दो साल से २७ लाख रुपया की ग्रान्ट दी है लेकिन यहां की गवर्नमेंट ने यह नहीं देखा कि जो ८६ लाख रुपये मंजूर किये गये थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के खर्च के लिये उस में से ३० लाख रुपया लैप्स हो रहा है । कौन पूछने वाला है कि आदिवासियों के काम के लिये जो ८६ लाख रुपया दिया गया था उस में से ३० लाख रुपया लैप्स क्यों हुआ २·२७ लाख रुपये और दे दिये गये । पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत वहां पर हम लोगों के सम्बन्ध में कोई नया काम नहीं किया गया । अनुसूचित विभाग में, उस वक्त जो जनपद की तरफ से जो स्कूल चलते आये थे उन सारे के सारे स्कूलों को इस डिपार्टमेंट ने अपने पास ले लिया और लाखों रुपये की ग्रान्ट जो मिली हुई थी उस को उठा कर जनपद स्कूलों पर खर्च कर के आदिवासियों के खर्चे की मद में डाल दिया गया । अब इस का पूछने वाला कोई नहीं है, श्री कान्त नहीं हैं, यहां होम मिनिस्टर नहीं हैं, कि हम आदिवासियों का इस से क्या भला होने वाला है ? यह सिर्फ इसी लिये किया गया कि उन की स्कीम के अनुसार २७ लाख रुपया सेन्टर से मिल जाये । क्या यह स्टेट गवर्नमेंट का सेन्टर को धोखा देना नहीं है ? यह तो बिल्कुल धोखा है । यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को धोखा है, यह १५ करोड़ आदिमजातियों और आदिवासियों को धोखा है, यह भारत की ३६ करोड़ जनता को धोखा है कि आदिवासी मोहकमे का रुपया इस तरह से इधर-उधर कर के ले जायें और यह कह दें कि हम आदिवासियों के साथ यह भला कर रहे हैं, वह भला कर रहे हैं । यहां रिपोर्टस पेश की जाती हैं लेकिन यहां पर इतने सदस्य हैं उन को आदिवासियों की स्थिति का ज्ञान नहीं है और न उन को समय है इन बातों की तरफ ध्यान देने का । इसलिये यह कह दिया जाता है कि आदिवासियों पर इतने करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं लेकिन वह खर्च होते नहीं हैं । हमारे यहां वनवासी सेवा मंडल है, उस ने १ लाख ८१ हज़ार रुपये में कितना काम किया है । उस का सरकारी मोहकमे के ८६ लाख रुपये के मुकाबले में क्या काम है उस के फिगर्स भी देख लीजिये । आप को ज्ञान हो जायगा कि यहां का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है । जो मोहकमा मध्य प्रदेश में कायम है उस को यहां की सरकार ने २७ लाख रुपय पिछले साल में दिये थे । उस ने १० जोन आर्गेनाइजर, दो पब्लिसिटी आर्गेनाइजर, एक प्रोपेगन्डा आर्गेनाइजर रक्खा और भी कुछ काम करने वाले हैं । जिन के लिये उन को ८६ लाख रुपया दिया गया है । उन के काम करने वालों में एक मंत्री, एक उपमंत्री, रीज़नल एसिस्टेंट कमिश्नर, चीफ़ आर्गेनाइज़र, एक डायरेक्टर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर इत्यादि इत्यादि भी हैं । काम क्या हो चुका है यह भी देखा । एक एक आर्गेनाइजर के एरियाज बने हुए हैं; उन में एक एक एरिया में १५ स्कल, १९४७ से १९५५ तक, आठ साल में खुले हैं और एक मिड्ल स्कूल और एक होस्टल कायम हुआ है । ८६ लाख रुपय इस साल मिले हैं और पहले दो या ढाई करोड़ रुपया मिल चुका है । अब अगर बनवासी सेवा मंडल की

[श्री उइके]

ओर देखिये तो उस को एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है और उस ने कितना काम कर दिखाया है ।

उस ने चार जोनल आर्गेनाइजर मुकर्रर किये हैं । एक जोन में ६ तहसीलें हैं । एक ज़ोन में ६ मिडल स्कूल हैं, ६ होस्टल हैं, ६ सहकारी समितियां हैं, ३० प्राइमरी स्कूल हैं। इतना काम एक साल के अन्दर वनवासी सेवा मंडल ने किया । जो कुछ सरकार ने करोड़ों रुपये लगा कर हासिल नहीं किया वह इस वनवासी सेवा मंडल ने एक लाख ८१ हज़ार रुपये में कर के दिखा दिया । सरकार ने अब तक सिर्फ १५० प्राइमरी स्कूल खोले हैं । कोई इस का पूछने वाला है कि यह कैसा अन्धेर है । अब देखिये कि उन के पास यह काम करने के लिये चीजें क्या क्या थीं । सरकार के पास कई सिनेमा वैन हैं, ११ जीपें हैं, ११ ड्राइवर हैं, ११ क्लीनर हैं, ७ सिनेमा आपरेटर हैं । ४५ हज़ार रुपये स्टेशन वैगन के वास्ते मंजूर किये गये हैं, १५ हज़ार रुपये ड्राई बैट्रीज़ के वास्ते मंजूर किये गये हैं और लाखों रुपये पेट्रोल के लिये मंजूर किये गये हैं। साथ में ६६ हजार रुपये जमीन खरीदने के वास्ते भी मंजूर किये गये हैं । अब देखिये कि वनवासी सेवा मंडल ने एक लाख ८१ हज़ार रुपये में क्या काम कर के दिखाया है । उस ने सारे स्कूलों के लिये जमीन मुफ्त ली, लोगों के दान से ; और यहां ६६ हजार रुपये की ग्रान्ट ज़मीन के वास्ते दी जा रही है । क्या सरकार का काम इसी तरह से चलना चाहिये ? वनवासी सेवा मंडल आजकल चार सेन्टर में काम कर रहा है । आज उस के पास १२० प्राइमरी स्कूल हैं । इतना अच्छा का कर रहा है और इतने मेहनती उस के पास आदमी हैं लेकिन उन के लिये सरकार तीन साइकिलें मंजूर नहीं करती है । इस के बाद आप यह देखिये कि मंडल के स्कूलों के साथ जमीनें पड़ी हुई हैं । गांवों के आदिवासी लोग किस तरीके से बिना कोई पैसा लिये हुए, बिल्कुल मुफ्त उन खेतों पर काम कर रहे हैं । आदिवासियों और इस सेवा मंडल में कितना कोआपरेशन है । सरकार ने ८६ लाख रुपये खर्च कर के क्या किया, इस को कोई देखने वाला नहीं है । अगर अलग मंत्रालय यहां होता तो वह इन सारी चीजों को देखता । हमारे मंत्री जी यहां हैं नहीं, हमारे काटजू साहब थे उन की बात क्या कहूं कि हम उन से कितने परेशान थे । यह कहने की कोई बात नहीं है । हमारे दातार साहब हैं, वह भी कहते हैं कि "ऐसी पोजीशन है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं । आंकड़े हमारे सामने हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो सकता है ।"

एक बात मैं आप को बतलाऊं कि हमारे यहां के लोगों की क्या हालत है । मैं आदिवासियों का प्रतिनिधि हूं । मैं उस क्षेत्र से आ रहा हूं जहां आदिवासी बहुत रहते हैं मेरे चुनाव-क्षेत्र में ७० फीसदी आदिवासी हैं । हमारे मध्य प्रदेश में ५० लाख आदिवासी हैं । जब कभी मैं कहीं जाता हूं, मैं आत्म सम्मान के विचार से नहीं कह रहा हूं, यह वास्तविकता है कि पचासों गांव के लोग आरती और कलश ले कर मेरा स्वागत करने आते हैं । देवताओं के समान मुझे मानते हैं । आज मेरी समझ में नहीं आता है कि अब जा कर उन को क्या बताऊं कि सरकार तुम्हारे लिये क्या कर रही है । मैं उन को क्या बताऊंगा कि हमारी सरकार ने क्या किया है । स्कीमें तो बहुत सुन्दर हैं लेकिन जो इन स्कीमों को चला रहे हैं और

जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वे कुछ भी नहीं हैं। आप करोड़ों रुपया तो खर्च कर रहे हैं लेकिन यह सब रुपया ठीक ढंग से खर्च नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है एक अलग मंत्रालय का कायम करना। आप जितना भी रुपया आदिवासियों की भलाई के वास्ते खर्च करना चाहते हैं, उन की सामाजिक उन्नति के लिये उन को शिक्षा देने के लिये, उन का आर्थिक सुधार करने के लिये, और ऐसे ऐसे दूसरे कामों के लिये, मेरा सुझाव है कि यह सब रुपया इस मंत्रालय को दे दिया जाये और वह ही इन सब स्कीमों पर खर्च करे।

सभापति महोदय : यदि श्री राजभोज चार या पांच मिनट तक ही भाषण देना चाहें तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री पी० एन० राजभोज : सभापति जी, यह जो रैज़ोल्यूशन इस हाउस के सामने आया है मैं समझता हूं यह एक बहुत ही अच्छा रैज़ोल्युशन है —

सभापति महोदय : आप वक्त खराब न कीजिये और जो कुछ भी कहना चाहते हैं जल्दी से कह दीजिये।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ठहराव रो० का० और रो० ट्रा० आ गया है बहुत ही अच्छा है आप इस का विरोध न करें क्योंकि इस से बहुत खराबियां पैदा हो जायेंगी। ठहराव बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि अलग एक मंत्रालय यदि बनाया जाय तो सब प्रकार की हालत ठीक हो जायगी। जैसे आप न शरणार्थियों के लिये अलाहिदा मंत्रालय बनाया है और रिपयूजीज़ का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे अछूत और आदिवासी भाइयों के लिये भी एक अलाहिदा मिनिस्ट्री हो जाये तो बहुत ही अच्छा होगा। आप पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, बड़ी लम्बी चौड़ी योजनायें बनाते हैं लेकिन अछूतों के लिये उन के मुताबिक कुछ काम भी नहीं होता है हमारी दशा को सुधारने के लिये, हमारी सामाजिक उन्नति करने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए और हमारी सामाजिक और आर्थिक हालत को पूरा करने के काम अगर एक अलाहिदा मंत्रालय को सौंप दिया जाय तो हम लोगों की बहुत भलाई हो सकती है। होम मिनिस्टर साहब को सारे देश का ख्याल रखना पड़ता है और उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वह दलित वर्ग के कामों की तरफ लगा सकें। जो पहले होम मिनिस्टिर थे मुझे पता लगा है वे तो सिर्फ दस्तखत ही कर दिया करते थे। अब जो नये होम मिनिस्टर बने हैं वे इस वक्त इस हाउस में नहीं हैं, पता नहीं कहां चले गये हैं उन के बारे में हमने बहुत कुछ अखबारों में पढ़ा है, और उनके कामों की बहुत तारीफ अखबारों में छपा करती थी जब वे यू० पी० के मुख्य मंत्री थे। मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन है और मैं आशा करता हूं कि वे इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे और ज़रूर अछूत और आदिवासियों की समस्या के लिये एक अलाहिदा मंत्रालय बनायेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आप जितनी भी स्कीमें बनाते जायेंगे, उस से ठीक तौर से उन्नति नहीं होगी। मैं ये सब बातें कोई दुशमनी के तौर पर नहीं कहता। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि कहीं ये सब लोग कम्युनिस्ट न बन जायें? हम नहीं चाहते कि ये कम्युनिस्ट बनें और आप भी नहीं चाहते कि ये कम्युनिस्ट बनें। इस वास्ते आप को कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अतः मेरी इस हाउस से, होम मिनिस्टर साहब से और प्रधान मंत्री से

[श्री पी० एन० राजभोज]

यह प्रार्थना है कि वे जितनी जल्दी हो सके अछूत और आदिवासियों के प्रश्न को हल करें, इस से आप को देश का कलंक भी दूर हो जायेगा और उन की जाति का भी भला होगा । श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख सोशल वेलफेयर बोर्ड की प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अछूतों के लिये काम ठीक ढंग से नहीं होता है । इस वास्ते जो प्रस्ताव यहां पर इस वक्त पेश है और जिस की हमायत श्री सारंगधर दास और श्री जैपाल सिंह और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने की है, मेरी आप से प्रार्थना है कि इस को मान लिया जाये और एक अलग मंत्रालय शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिये खोल दिया जाये और जो वजीर मुकर्रर किया जाये वह भी इसी कम्युनिटी का मुकर्रर किया जाये तो ही इन जाति के लोगों की हालत सब प्रकार से सुधरने की उम्मीद हो सकती है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जितनी मर्ज़ी स्कीमें बनाते जायें और श्री श्रीकान्त जितनी मर्ज़ी रिपोर्ट्स दें कोई काम सुचारु रूप से नहीं हो सकता ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : संकल्प के प्रस्तुत कर्ता के अभिप्राय से मुझे भी सहानुभूति है परन्तु मैं बताना चाहता कि संवैधानिक और वास्तविक परिस्थिति क्या है । संविधान की दृष्टि से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण राज्य सरकारों के अनन्य क्षेत्राधिकार में है । उन के उत्तरदायित्व को कम करने के लिये हम संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अन्तर्गत कुछ अनुदान दे रहे हैं । इन वर्गों की दशा का पता लगाने के लिये और राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त कहते हैं । इस अधिकारी की नियुक्ति केवल इसी कार्य के लिये की गई है न कि किसी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये । कल्याण योजनाओं कार्यान्वित कराना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । इसलिये इस सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत है या किसी प्रकार की आलोचना करनी है तो उस का उचित स्थान राज्यों के विधान मण्डल हैं न कि केन्द्रीय विधान मण्डल । जिन विषयों में उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है उन में हम उन से केवल प्रार्थना कर सकते हैं और उस की भी एक सीमा है ।

यदि हम संविधान की इस विशेषता को ध्यान में रखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसी परिस्थिति में किसी अलग मंत्रालय या विभाग की आवश्यकता नहीं है । संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत हम आजक राज्यों को कुछ अनुदान देते हैं । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर पूरा विश्वास है और विश्वास के बिना काम भी नहीं चल सकता है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है भाग (क) में के तीन राज्यों, अर्थात् बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) के अन्तर्गत पृथक मंत्रालय का उपबंध किया गया है । यही मंत्रालय अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में भी काम कर रहे हैं । भाग(ख) में के राज्यों के लिये अनुच्छेद २३८(६) के अन्तर्गत विशेष उपबन्ध किया गया है । इसलिये मध्यभारत में भी एक पृथक मंत्रालय है । इस प्रकार संविधान के अनुसार चार राज्यों में पृथक मंत्रालयों का संविहित उपबन्ध मौजूद है । इस के अतिरिक्त विशेष कल्याण

विभाग तो प्रत्येक राज्य में बनाये गये हैं। कुछ राज्यों में इन विभागों के अतिरिक्त आदिम जाति कल्याण विभाग भी हैं। सभी भाग 'क' तथा भाग 'ख' में के राज्यों में तथा दो तीन भाग 'ग' में के राज्यों में इस प्रकार के विशेष मंत्रालयों के अतिरिक्त विशेष विभाग भी हैं और उन में विशेष अधिकारी भी नियुक्त हैं। मेरे माननीय मित्र ने मेरा आशय समझने में थोड़ी भूल की है। कुछ कठिनाईयां हैं इसलिये यह स्वाभाविक है कि इस दिशा में जो भी प्रगति होगी वह तीव्र गति से नहीं हो सकती है। मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह तो व्यर्थ में ही बिगड़ रहे थे और जिस बात पर हम सभी एकमत हैं उस के लिये व्यर्थ ही इतना ज़ोर दे रहे थे। उन के राज्य में मैं स्वयं गया था। हम ने केवल रेलों और वायुयानों से ही यात्रा नहीं की थी हम उन पर्वतीय क्षेत्रों में भी गये थे जहां वह अभागी जनता निम्नतम स्तर का जीवन बसर कर रही है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार यथा संभव सब कुछ कर रही है। इसी प्रकार बम्बई के थाना ज़िले में तथा अन्य भागों में और उड़ीसा में भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह पिछड़ापन कोई एक दो दिन का नहीं है। यह सदियों के अन्याय का परिणाम है। इसलिये इस के दूर करने में भी अधिक समय लगेगा।

हम ने पिछड़े हुए वर्गों का आयोग नियुक्त किया है और उस का कार्य अब समाप्त प्राय है। आगामी कुछ सप्ताहों में उस का प्रतिवेदन भी हमें मिल जायेगा। हमारे सामने जो प्रस्ताव है उस का इस प्रतिवेदन से घनिष्ट सम्बन्ध है। अनुच्छेद ३३८ में कहा गया है कि विशेष अधिकारी उन सब बातों की जांच करे जिन के सम्बन्ध में, संविधान के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परित्राणों के उपबन्ध रखे गये हैं और उन परित्राणों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के सामने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। खण्ड (३) में कहा गया है कि जो निर्देश अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किये जायें वे ऐसे अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये भी समझे जायें जिन का अनुच्छेद ३४० के खण्ड (१) के अन्तर्गत, आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किया जाये। पिछड़े हुए वर्गों की सूची अभी तक हमारे सामने नहीं है। यह कार्य विशेष रूप से पिछड़े हुए वर्गों के आयोग को सौंपा गया है। वाक्य "पिछड़े हुए वर्गों" की निश्चित परिभाषा करने तथा पिछड़ी हुई जातियों की एक तालिका बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने के बाद यह कार्य संसद् द्वारा किया जायेगा। तत्कालीन भारत सरकार को केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों ही नहीं वरन् अन्य पिछड़ी हुई जातियों पर भी ध्यान देना होगा। इसलिये जब तक राष्ट्रपति के द्वारा "पिछड़ी हुई जातियों" की परिभाषा निर्धारित न कर दी जाये, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक पृथक मंत्रालय स्थापित किये जाने की बात चलाना उचित नहीं है।

इसलिये मैं माननीय प्रस्तुत कर्ता से निवेदन करूंगा कि वह अपने संकल्प पर आग्रह न करें। मैं उन को वचन देता हूं कि इस सम्बन्ध में जितनी यथा सम्भव सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जायेगा क्योंकि हम स्वयं इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक करने के लिये उत्सुक हैं। भारत सरकार चाहती है कि पहले सारी पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को एक स्तर पर ला कर खड़ा किया जाये। इसलिये उचित समय आने पर वह फिर अपना संकल्प रख सकते हैं। उस समय

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प

[श्री दातार

हम भी इस बात पर विचार कर सकेंगे कि पृथक विभाग स्थापित किया जाये या पृथक मंत्रालय ।

श्री सारंगधर दास : मध्य प्रदेश के आदिवासी सदस्यों ने, जिन्हों ने कि हम उस राज्य के आयव्ययक से इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी है, हमें बताया है कि इतनी जीप गाड़ियों तथा मोटर वानों के लिये एक लाख रुपया खर्च किया जा रहा है और फिर भी जितने स्कलों का वे प्रबन्ध कर रहे हैं उन की संख्या केवल १०० है । इस से जान पड़ता है कि यह धन ऐसे कार्यों में खर्च किया जा रहा है जिन का आदिवासियों के हितों से कोई सम्बन्ध नहीं है । क्या माननीय मंत्री इस का जवाब देने की कृपा करेंगे ?

श्री दातार : मेरा उत्तर बहुत संक्षिप्त है । हम रुपया राज्य सरकारों को देते हैं और हमें विश्वास है कि वे रुपये का अपव्यय नहीं कर रही हैं ।

माननीय सदस्य के द्वारा जो विशेष शिकायत की गई है मैं उस की जांच कराऊंगा । परन्तु मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह कहना बहुत ही अनुचित होगा कि रुपये का अपव्यय किया गया है ।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री ने बताया है कि चार राज्यों में आदिवासियों तथा इसी प्रकार के अन्य सम्प्रदायों के हितों की रक्षा करने के लिये पृथक मंत्रालय बनाये गये हैं । इन मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री आदिवासी सम्प्रदाय के हैं या किसी अन्य सम्प्रदाय के हैं ?

श्री दातार : मैं अभी इस प्रश्न का कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : हैदराबाद में वह अनुसूचित जाति का है ।

सभापति महोदय : अब मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के इस निवेदन के बाद इस संकल्प के प्रस्तुत कर्ता का क्या विचार है ।

श्री ब्रह्मचौधरी (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सरकार की ओर से गृह-कार्य उपमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए मैं अपने संकल्प को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

सभापति महोदय : यदि सभा का कोई भी भाग इस संकल्प के वापस लिये जाने के विरुद्ध है तो मुझे इस विषय को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखना होगा ।

कुछ संशोधन हैं । परन्तु इस संकल्प पर चर्चा आरम्भ हो चुकी है और मैं अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए इन संशोधनों के लिये अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि पहली बात तो यह है कि वे किसी समझौते के अनुसार नहीं रखे गये हैं और दूसरी बात यह है कि इन में कोई अन्य या महत्वपूर्ण बात नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब हम इस संकल्प पर विचार करेंगे । इस के लिये सवा घंटा

रखा गया है । अब ठाकुर युगल किशोर सिंह अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुज़फ्फरपुर-उत्तर-पश्चिम) : मुझे बोलने के लिये कितना समय मिलेगा ?

सभापति महोदय : प्रस्तावक को १५ मिनट मिलेंगे ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : अभी तक मूवर को बीस मिनट मिलते रहे हैं, पन्द्रह मिनट का समय कम है ।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा ; आप बीस मिनट तक बोलें ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय : मेरा प्रस्ताव यह है कि :

> "इस सभा की यह राय है कि सरकार को देश में प्रसारण माध्यम का नियंत्रण और संचालन करने के लिये एक कारपोरेशन बनाने के हेतु जितनी जल्दी हो सके एक क़ानून पेश करना चाहिये ।"

आज से कुछ साल पहले, छै साल पहले, इसी सभा में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह घोषणा की थी कि प्रसारण सेवा के सम्बन्ध में वे जांच करेंगे कि किसी तरह की कमेटी या कमिशन बनाया जाय । इस के बाद सन् १९५२ में जब कारपोरेशन के लिये मांग की गई तो उस वक्त हमारे ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर केसकर साहब ने भी इस बात को क़बूल किया था कि तीन, चार साल में ऐसा मौक़ा आ सकता है जब हमें आल इंडिया रेडियो को कारपोरेशन बनाना पड़े लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हो पाया और मुझे यह प्रस्ताव रखने के लिये विवश होना पड़ा है ।

इतने साल बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने इस ओर कोई क़दम नहीं उठाया तो मुझे यह प्रस्ताव इस सभा के सामने पेश करना पड़ रहा है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रस्ताव कितने महत्व का है । जिस समय मैं ने यह प्रस्ताव भेजा था उस समय मैं ने समझा था कि यह प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन मैं ने इसे इतना महत्वपूर्ण तब समझा जब मैं ने देखा कि देश के कोने कोने से अखबारों में इस सम्बन्ध में टिप्पणियां छप रही हैं, हमारे पास तार आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं और हर एक पार्टी और गुट्ट के लोगों के पास से इस सम्बन्ध में हमारे पास लेख वगैरह आ रहे हैं, कुछ लोग सीधे बधाई भेज रहे हैं तो कुछ लोग इस को इतने महत्व का समझते हुए लेख लिख कर भेज रहे हैं और सब लोगों का यही विचार है कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव सभा के सामने लाया गया है और उन लोगों को भी उम्मीद है कि हमारी सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर करेगी और जल्द से जल्द आल इंडिया रेडियो को एक कारपोरेशन के रूप में बदलने में सहायक होगी । यह कहना नहीं होगा कि रेडियो का स्थान कितना महत्वपूर्ण है । आज की दुनिया में कोई भी देश शायद ही ऐसा होगा जहां ब्राडकास्टिंग सेवा काम न करती हो । सामाजिक, व्यक्तिगत, भौतिक अथवा किसी भी तरह के विकास का कार्य आज प्रसारण यंत्र के द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न होता है और वह इन के विकास में सहायक होता है । मैं ने यह भी पता लगाने की कोशिश की थी कि ब्राडकास्टिंग के सम्बन्ध में किस देश में किस तरह की प्रणाली प्रचलित है । मुझे मालूम हुआ कि २३ मुख्य देशों में ब्रोडकास्टिंग ७ देशों के सरकारी विभाग या सरकार के हाथ में उस का संचालन है लेकिन बाक़ी १६ जगहों में वह या तो प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में है या वहां पर इस को एक कारपोरेशन द्वारा चलाया जाता है ।

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

आज अमरीका में प्राइवेट कम्पनियां ही उस को चलाती हैं, लेकिन प्रायः जितने देश हैं सभी में पब्लिक कारपोरेशन्स के द्वारा प्रसार सेवा का कार्य होता है । जो सात देश हैं जिन के अन्दर यह कार्य सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा होता है वे देश ये हैं :—

आस्ट्रेलिया, चीन, जेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, इंडिया, पोलैण्ड और यू० एस० एस० आर० ।

इन में चार कम्युनिस्ट देश हैं । जहां तक मैं ने कम्युनिज्म को समझा है, वह वर्गविहीन समाज स्थापित करना चाहते हैं । ऐसा एक दिन लाना चाहते हैं जब कि स्टेट न होगी, कोई शासन नहीं होगा । ऐसी हालत में शायद उन्हों ने प्रारम्भिक काल होने के कारण ऐसा कबूल किया है कि विभाग के जरिये, अपनी स्टेट के जरिये ब्राडकास्टिंग के साधन को इस्तेमाल किया जाय । लेकिन आगे चल कर, मैं समझता हूं, उन का भी यही निश्चय होगा कि एक सार्वजनिक कारपोरेशन के द्वारा उस का नियंत्रण हो, उस का कारोबार हो । बाकी जितने देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, सभी में पब्लिक कारपोरेशन काम कर रहे हैं, सिर्फ अमरीका को छोड़ कर । लेकिन अमरीका में भी यह आप देखेंगे कि यह साधन प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया गया है तब भी उस पर सरकारी नियंत्रण अवश्य है ताकि वह पक्षपात रहित हो कर अपना काम करें । उन पर काफी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । वहां एक कमिशन बना हुआ है जिस को फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन कहते हैं । उस में सात व्यक्ति गवर्नर होते हैं । सातों गवर्नर वहां की सेनेट द्वारा चुने जाते हैं । वहां के प्रेजिडेन्ट सेनेट की राय से ऐसे गवर्नरों को चुनते हैं और उन

२१ लाइसेन्स के नियम बनाये जाते हैं । साल साल पर उन लाइसेन्सों को रिन्यू करने का मौका जब आता है तो जो अधिकारी वर्ग के सामने इस का लेखा-जोखा होता है कि एक साल के अन्दर किस स्टेशन ने कैसा काम किया और किस कम्पनी ने कैसा काम किया । अगर ऐसा समझा जाता है कि किसी कम्पनी ने सार्वजनिक हित में काम नहीं किया तो उस को दोबारा लाइसेन्स नहीं दिया जाता है । कितनी फ़्रीक्वेन्सी का कौन स्टेशन होना चाहिये इस का नियंत्रण होता है पब्लिक इन्टरेस्ट के मुताबिक । इस तरह से जहां देखियेगा, जिस देश की ओर नजर घुमाइयेगा आप को मिलेगा कि हर एक देश में कुछ न कुछ नियंत्रण प्रसार पर होता है । आज हमारे सामने यह सवाल है कि हिन्दुस्तान में किस तरह का नियंत्रण हो, पब्लिक कारपोरेशन द्वारा हो या सरकारी विभाग द्वारा हो, जिस तरह आज संचालित हो रहा है उसी तरह हो, या प्राइवेट कम्पनी के हाथ में उसे दे दिया जाय । कुछ ऐसी भी चिट्ठियां मेरे पास आई हैं जिन से पता चलता है कि आज प्राइवेट कम्पनियां बहुत खुश हैं, वे समझती हैं कि शायद सरकारी नियंत्रण हटने से कारपोरेशन इस तरह का बनेगा जिस में उन का हाथ होगा और वे जो चाहेंगी, करा सकेंगी । लेकिन आज तो राष्ट्रीयकरण का सवल चारों तरफ छिड़ा हुआ है और सारी दुनियां राष्ट्रीयकरण की तरफ जा रही है, सारे आजाद देश इसी ओर जा रहे हैं और हम ने भी इस पार्लियामेंट में देखा कि संघ की सरकार भी समाजवादी व्यवस्था कायम करने की ओर कदम बढ़ाने जा रही है, ऐसी हालत में प्राइवेट कम्पनी के हाथ में इस चीज़ के जाने की बात नहीं कही जा सकती । वह इस राष्ट्र की सरकार के हाथ में रहेगी इस में सभा के जितने

लोग हैं सभी का एक मत है, यह निर्विवाद बात है, लेकिन सरकार के हाथ में कैसे रहे। आज जितने व्यवसाय सरकार के हाथ में हैं उन को हम तीन कोटियों में बांट सकते हैं। एक उन के विभाग द्वारा संचालित किये जाते हैं, दूसरे वे हैं जो ज्वाइंट स्टाक कम्पनी की तरह हैं जैसे सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, और तीसरे वे हैं जो कारपोरेशन के रूप में हैं जैसे दामोदर वैली कारपोरेशन या और दूसरे कारपोरेशन जो निर्मित किये गये हैं।

अब हमें इस बात की जांच करनी चाहिये कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी कार्यवाई हो रही है वह कहां तक सफल हुई है और कहां तक हमारा देश उस से सन्तुष्ट है। इस सभा के सामने बार बार इस की चर्चा होती है कि रेडियो प्रोग्राम या रेडियो का ऐडमिनिस्ट्रेशन या इस विभाग का जरूरी काम सन्तोषप्रद नहीं है। कल ही इस सदन के सामने मेहता जी ने अनुमान समिति की ओर से १२वीं रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उन्हों ने ९२ सुझाव दिये हैं। इन ९२ सुझावों के पेश करने का मतलब यही है कि उस में खराबियां हैं और खामियां हैं, जिन को वह सुधारना चाहते हैं। इसी तरह से बार बार अखबारों में शिकायतें निकलती हैं। जब हम यहां की डिबेट्स उठा कर पढ़ते हैं तो इधर से और उधर से भी यानी दोनों दलों से इस तरह की शिकायतें की गई हैं। इस से यह मालूम होता है कि इस डिपार्टमेंट की ओर से जो भी काम हो रहा है वह सन्तोषप्रद नहीं है। और इस का खास कारण है और वह यह है कि इस को डिपार्टमेंट की ओर से चलाया जा रहा है।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव मैशिनरी का सवाल है, अभी तक यह भी तय नहीं कर पाये हैं कि किस को मुकामी तौर पर यानी किस को परमानेंट तौर पर डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया जाय। कितने ही आदमी आये और चले गये। यह काम इस तरह का है कि जिस में कला की जरूरत है और जिस आदमी को भी इस पोस्ट पर लगाया जाता है वह काम सीख भी नहीं पाता कि उस को तबदील कर दिया जाता है, उस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो यहां काम करने वाले हैं जैसे आर्टिस्ट इन्चार्ज या और दूसरे लोग उन को कांट्रैक्ट बेसिस पर यहां रखा जाता है जिस का नतीजा यह होता है कि अपने आप को वहां पर ये लोग सिक्योर नहीं समझते और न ही कोई सिक्योरिटी आफ सर्विस होती है। ऐसी हालत में वे लोग इस बात की तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिले और कब वे छोड़ कर चले जायें। उन की हर समय यही इच्छा रहती है कि वे फिल्मी लाइन में चले जायें या किसी और जगह। इस वास्ते यहां आप के डिपार्टमेंट में जो भी अच्छा काम होना चाहिये और जितनी एफिशैंसी होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां फिल्मी व्यवसाय ने अनेकों फिल्मी स्टार पैदा किये हैं वहां आल इंडिया रेडियो ने एक भी आल इंडिया स्टार पैदा नहीं किया। इस का एक खास कारण है कि आल इंडिया रेडियो की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस में कला प्रेमियों या प्रतिभाशाली व्यक्तियों, नाटककारों या संगीतज्ञों को प्रोत्साहन देने की बिल्कुल ही चेष्टा नहीं की गई जिस का नतीजा यह हुआ कि उन में से कोई भी आल इंडिया स्टार नहीं बन सका। आज जो रुपया पार्लियामेंट की तरफ से इस विभाग को दिया जाता है वह भली प्रकार खर्च नहीं किया जाता। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वह रुपया ठीक ठीक खर्च किया

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

जा रहा है लेकिन में समझता हूं कि ये न तो उन के लिये सम्भव है और न ही उन की मिनिस्ट्री के लिये सम्भव है कि वह उन सब चीजों को ब्योरे के साथ देखें और उन को ठीक ढंग से खर्च करने की कोशिश करें। जब मैं ने यह प्रस्ताव को रखने को नोटिस दी थी तो यह खबर अखबारों में भी छपी और मुझ से कहा गया कि मैं मिनिस्ट्री के बारे में जो चाहूं बोलूं परन्तु मिनिस्टर साहब के खिलाफ कुछ न बोलूं। मैं समझता हूं कि यह तो मेरे लिये सम्भव नहीं होगा कि मैं केवल मिनिस्ट्री पर ही इलज़ाम लगाऊं और मिनिस्टर साहब के खिलाफ कुछ न बोलूं क्योंकि यह दोनों भिन्न चीजें नहीं हैं। इस-लिये दुख के साथ मुझे उन को इलज़ाम देना ही पड़ता है और इस बात में मैं मजबूर हूं। मैं आप को एक इलाज बता रहा हूं और वह एक आमूल इलाज है और इस से आप का सर दर्द भी दूर हो जायगा और वह इलाज है आल इंडिया रेडियो का एक कार-पोरेशन के रूप में चलाया जाना।

में ने एस्टीमेट कमेटी में भी देखा है और आम तौर पर यह कहा भी जाता है कि आल इंडिया रेडियो द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्षपात नहीं किया जाता। किसी पार्टी के साथ किसी तरह की तरफदारी नहीं की जाती। लेकिन आप रेडियो के प्रोग्राम्ज़ को देख लीजिये, राज-नीतिक पार्टियों के नेताओं के जितने भी भाषण होते हैं और जो रेडियो द्वारा ब्राड-कास्ट किये जाते हैं उन को देख लीजिये इन सब में पक्षपात किया जाता है। ऐसी चीज़ आप किसी दूसरे देश में नहीं देखेंगे। अगर इस तरह का पक्षपात दूसरे देशों में किया जाये तो पब्लिक कारपोरेशन्ज़ पर बहुत ज्यादा लांछन लगता है। इस वास्ते इन सब बातों से बचने का एक ही हल है और वह जैसाकि मैं ने पहले बताया है यह है कि इस को एक पब्लिक कारपोरेशन के रूप में चलाया जाय। ऐसा करने से देश का भला होगा, प्रतिभाशाली लोगों का विकास होगा, देश के लोगों में जागृति पैदा होगी और देश में उत्साह बढ़ेगा। जो आल इंडिया रेडियो पर यह इलज़ाम लगाया जाता है कि यहां पर नैपोटिज्म होती है उस इलज़ाम से भी यह बच जायगा।

अब मैं लाइसेन्स फीस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहले यह १० रुपये हुआ करती थी और अब बढ़ा कर १५ रुपया कर दी गई है यानी इस में ५० प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इस के विपरीत यदि आप देखें तो आप पायेंगे कि रेडियो द्वारा हो रही सेवाओं में ५० प्रतिशत की कमी कर दी गई है। इस का नतीजा यह हुआ है कि लोग ज्यादातर दूसरे देशों द्वारा प्रसारित गानों और विचारों को सुनते हैं बजाय आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के। जितनी सेवायें आल इंडिया रेडियो द्वारा उन्हें मिलनी चाहियें उतनी उन्हें मिल नहीं पा रही हैं। इस के विपरीत लाइसेन्स फीस बढ़ा दी गई है।

अब मैं चीप रेडियो सैट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि चीप रेडियो सैट्स सप्लाई करने के बारे में कोई कार्रवाई की गई है या नही। परन्तु इस सभा के एक सदस्य ने मुझे सूचना दी है कि कोई ६ महीने पहले उन्हों ने किसी व्यवसायी की ओर से एक खबर दी थी कि १०० रुपये में एक सेट बन सकता है और उस व्यवसायी की तरफ से यह कहा गया था कि वे खुद बनाना नहीं चाहते हैं और सरकार अपनी ओर से बनाये। वे उन को केवल सलाह ही देंगे कि यह चीप सैट्स किस तरह से बनाये जा सकते हैं।

मुझे पता नहीं इस बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है ....

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : आल इंडिया रेडियो कोई फैक्ट्री नहीं है और यह रेडियो बनाने का काम नहीं कर सकता । ब्राडकास्टिंग खुद इस काम को नहीं कर सकता ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं समुचय ब्राडकास्टिंग के बारे में कह रहा हूं । अगर वह अपने आप या किसी दूसरी एजेंसी के ज़रिये ऐसे चीप रेडियो सैट बनवा कर जनता को सप्लाई करें तो इस से जनता का बहुत भला हो सकता है और गरीब आदमी भी रेडियो खरीद कर इस से फायदा उठा सकते हैं । इस प्रकार ज्यादा लोग रेडियो रखेंगे उतने ही ज्यादा लोग आप के प्रोग्राम्ज़ को सुन सकेंगे और फायदा उठा सकेंगे । इसलिये यह जरूरी है कि लोगों को चीप रेडियो सैट सप्लाई करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाये जायें । यह जो स्लो प्रोग्रस हो रही है इस को तेज़ करने का एक ही तरीका है कि एक कारपोरेशन बना दी जाय । दूसरे देशों में, ब्रिटेन में, कनाडा में और ऐसे ही दूसरे देशों में बहुत सी कमिटियां बनी हैं और उन सबों ने यह ही राय प्रकट की है कि यदि गवर्नमेंट को किसी तरह के इलज़ाम से बचना है, यदि उस को रेडियो को पब्लिक यूटिशिटी के रूप में, सार्वजनिक सेवा के रूप में उपयोग करना है तो ऐसी हालत में सब से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये एक कारपोरेशन के रूप में ही चलाया जाना चाहिये । इस बारे में मंत्री महोदय ने एक बार कहा था कि जब तक यह स्वावलम्बी नहीं हो सकता तब तक इस को एक कारपोरेशन के रूप में नहीं बदला जा सकता । उन्हों ने इस बात को माना है कि यदि इस को कारपोरेशन का रूप दे दिया जाय तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा .....

डा० केसकर : ऐसा मैं ने कभी नहीं कहा और न ही मैं ने कोई ऐसी एशोरेंस ही दी है । यदि आप मेरी स्पीचिज़ को ठीक से पढ़ें तो आप को पता लगेगा कि मैं ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : स्पीच तो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे याद है कि उन्हों ने कहा था कि कारपोरेशन बनाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है । और तीन चार वर्षों में ऐसा मौका आयगा जब कारपोरेशन बन सकता है । आज तीन चार वर्ष हो गये हैं और मैं चाहता हूं, अब वह स्वावलम्बी बनें । उसी हालत में हमारे लिये कारपोरेशन बनाना सम्भव होगा । आप की प्रसार करने की बड़ी बड़ी योजनायें हैं और उन पर आप दिन प्रति दिन पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन इस को स्वावलम्बी बनाने की ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं । क्या इस से आप यह शक करने की गुंजाइश नहीं दे रहे हैं कि आप इसे स्वावलम्बी नहीं बनाना चाहते हैं, और इसलिये इस पर इस काम के लिये खर्च नहीं कर रहे हैं और डेवेलपमेंट प्लान्स पर खर्च कर रहे हैं । कारपोरेशन के सिद्धान्त को सरकार ने मान लिया है और यह स्वीकार कर लिया है कि कारपोरेशन के द्वारा हम इस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं । ऐसी हालत में अगर सरकार का एक विभाग यह कहे कि जब तक यह स्वावलम्बी नहीं हो जायगा तब तक कारपोरेशन नहीं बनाया जायगा तो इस में आपस में विरोधी चीज़ मालूम होती है । इसलिये मैं समझता हूं कि विकास के लिये जो भी उन का फंड है, जो भी उन की योजनायें हैं, जो भी वह खर्च करना चाहते हैं, वह पबलिक कारपोरेशन बना कर करें ।

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

अगर पब्लिक कारपोरेशन बनेगा तो वह आगे भी बढ़ेगा और आप के पैसे का ठीक से हिसाब रखा जायगा ।

दूसरी बात यह कही जाती है कि कारपोरेशन बन जाने से उस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा । अगर कारपोरेशन बन जाय तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आवे और उस पर टीका टिप्पणी की जा सके जैसा कि बी० बी० सी० के बारे में होता है । मैं समझता हूं कि हमारे केसकर साहब को इसे मंजूर करने में कोई उज्र न होगा और जल्द से जल्द हिन्दुस्तान में एक रेडियो का कारपोरेशन बनाया जायगा ।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

दो संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई है ; एक श्री एस० एन० दास का है और दूसरा श्री पी० एन० राजभोज का है ।

पहले मैं श्री पी० एन० राजभोज से कहूंगा कि वह सभा को तथा मुझ को बतायें कि मूल संकल्प में और उन के संशोधन में, सिवाय इस बात के कि उन के संशोधन में वही बात दूसरे शब्दों में कही गई है, और क्या अन्तर है ।

श्री० पी० एन० राजभोज (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : हम ने जो अमेण्डमेंट दिया है उस का वर्डिंग बहुत अच्छा है ।

सभापति महोदय : ऐसी दशा में जबकि उन के पास यह प्रमाणित करने के लिये कोई तर्क नहीं है कि उन का संशोधन मूल संकल्प से किसी प्रकार भिन्न है, मैं यह प्रयत्न करूंगा कि उन को भी बोलने का अवसर दिया जाये ।

पहले मैं श्री एस० एन० दास से कहूंगा कि वह अपना संशोधन प्रस्तुत करें और उस के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया ।

श्री एस० एन० दास : सभापति महोदय, हमारे मित्र ठाकुर युगल किशोर सिंह ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है उस का महत्व स्पष्ट है । केवल इस के कि मैं उस प्रस्ताव पर और अपने संशोधन पर विचार प्रकट करूं मैं यह कह देना चाहता हूं कि अभी यह मौक़ा नहीं है कि हमारे देश में जो पद्धति जारी है और सरकार की ओर से जो इन्तिज़ाम हो रहा है उस की भलाई या बुराई के बारे में कुछ कहूं ।

हमारे इस प्रजातंत्र देश में जो यह प्रसारण का माध्यम है और जो शिक्षा का और मनोविनोद का साधन है इस का संचालन सरकार के ज़रिये होना चाहिये या किसी गैर सरकारी संस्था के ज़रिये होना चाहिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । अभी कुछ ही वर्ष हुए कि हमारे स्वतंत्र भारत में सरकार ने यह काम अपने हाथ में लिया है, और हिन्दुस्तान जैसे देश में यह एक बहुत ज़बरदस्त साधन है जिस के ज़रिये से हम हिन्दुस्तान की जनता को प्रजातांत्रिक भावनाओं से अवगत करा सकते हैं और इस के द्वारा हम लोगों को बिना स्कूल कालिजों में भेजे हुए अच्छा नागरिक बना सकते हैं । इस काम के लिये यह बहुत अच्छा माध्यम है । लेकिन अभी क्या बराबर यह सवाल उठता आया है कि सरकार का इस प्रकार का प्रबन्ध बुरी चीज़ है, व्यक्ति हमेशा यह चाहता रहा है कि वह स्वतंत्र रहे, लेकिन गवर्नमेंट एक नेसेसरी ईविल है, एक आवश्यक ख़राबी है । आज हमारे आचार्य

विनोबा भी कहते हैं कि हम शासनमुक्त समाज चाहते हैं, शासनहीन समाज नहीं बल्कि शासनमुक्त समाज । वह चाहते हैं कि ऐसा प्रजातंत्र बनना चाहिये कि जिस में शासन कम से कम हो, जिस में शासन की कम से कम आवश्यकता हो । आज जो यह प्रश्न सदन में और बाहर अखबारों में चल रहा है कि जो हमारा आल इंडिया रेडियो का प्रसारण का माध्यम है इस का संचालन सरकार के ज़रिये हो या इस का संचालन किसी स्वतंत्र निगम के ज़रिये हो यह भी कुछ इसी प्रकार की धारणा के आधार पर है । यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है । मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिये मैं इस प्रश्न की भलाई बुराई में नहीं जाना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि जो हमारे इस विभाग के माननीय मंत्री हैं वह इस प्रश्न पर गंभीरता-पूर्वक विचार करें कि इस विभाग को सरकार के ज़रिये चलाया जाय या किसी ग़ैर-सरकारी संस्था द्वारा चलाया जाय या किसी अर्ध सरकारी संस्था द्वारा चलाया जाय जिस में कार्य की विशेष सुविधा हो सके, और इस प्रश्न पर विचार कर के इस का हमेशा के लिये निर्णय कर दिया जाय । इस में शक नहीं कि शुरू शुरू में जब इस विभाग की स्थापना की गई तो सिवाय सरकार के कोई दूसरा इस को नहीं चला सकता था । लेकिन अब सात वर्ष के काम के अनुभव के बाद इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि दरअस्ल अब तक जो हम ने काम किया है वह किस तरह का हुआ है, और यह भी देखना चाहिये कि दूसरे मुल्कों में इस काम का संचालन किस प्रकार होता है, यह काम सरकारी संस्था के रूप में चलाया जाता है या किसी ग़ैर-सरकारी संस्था के रूप में इस का कार्य चल रहा है और नियंत्रण होता है । इन सब बातों की जानकारी इन सभी बातों के बारे में अध्ययन कर के प्राप्त करनी चाहिये । जो इस विषय के विशेषज्ञ लोग हैं उन की राय ली जानी चाहिये और तब संसद् के सदस्यों की इस विषय पर राय मांगी जानी चाहिये । इस वक्त तो मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि दरअस्ल अभी इस संस्था का नियंत्रण सरकार के हाथ में रहना चाहिये या किसी ग़ैर-सरकारी संस्था के हाथ में इस काम को देना चाहिये । जितने दृष्टिकोण इस विषय पर हैं वे सब हमारे सामने आने चाहियें । इस सम्बन्ध में जितनी भी जानने लायक बातें हैं, सरकार द्वारा संचालन के पक्ष में और विपक्ष में और गैर-सरकारी संस्था के पक्ष और विपक्ष में, वे सब हमारे सामने आनी चाहियें । मेरे संशोधन का यही मतलब है । यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है और इस पर अपना मत देने से पहले हम यह आवश्यक समझते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी एक कमीशन या कमेटी की नियुक्ति करे जो सारी बातों का अध्ययन कर के, जिस तरह से हम ने अब तक काम को चलाया है और अनुभव किया है उस को देख कर और जो हमारे देश के और दूसरे देशों के विशेषज्ञों की राय है उस को जान कर निर्णय करे कि हमारे देश में किस प्रकार की संस्था होनी चाहिये ।

पहली बात जो मैं ने उठाई थी वह यह थी कि सरकार के शासन और नियंत्रण के प्रति आम तौर पर लोगों का विरोध होता है । सिर्फ इसी बात में नहीं ....

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : सरकार ठीक नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार ठीक नहीं है तो मैं उन को बतलाऊं कि मैं ने तो पहले ही कह दिया कि सरकार एक आवश्यक बुराई है, इस बात को हम मान कर चलते हैं, और चाहे फिर वह बुराई में फ़र्स्ट हो या

[श्री एस० एन० दास]

लास्ट हो लेकिन जनता ने उस सरकार के हाथ में सारा काम सौंपा है ...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य वह कहें जो वह कहना चाहते हैं, बाबू राम नारायण सिंह की बात का ख़याल न करें ।

श्री एस० एन० दास : इसलिये मेरा ख़याल है कि इस विषय में जो विचार करने वाले दूसरे लोग हैं उन को इस बात का बराबर डर बना रहता है कि इस प्रजातांत्रिक देश में, जहां कि शासन का काम एक पार्टी और एक दल विशेष के हाथ में है, तो वह दल विशेष इस ब्राडकास्टिंग संस्था का उपयोग अपने दल विशेष के लिये किया करता है और इसी शक के होने के कारण वह समझते हैं कि बिलकुल किसी स्वतन्त्र संस्था, कारपोरेशन आदि के हाथ में अगर यह संस्था चली जायगी तो इस संस्था का उपयोग राजनीतिक तौर पर पार्टी विशेष के लिये नहीं किया जा सकेगा । मेरा जहां तक ख़याल है अभी इस सरकार ने पिछले जो आम चुनाव हुए उस में उस ने पूर्ण निष्पक्षता बर्ती और चुनावों में जिस तरीक़े से हमारे आल इंडिया रेडियो ने बर्ताव किया, वह तारीफ के क़ाबिल है । सरकार ने आम चुनावों के अवसर पर इस ब्राडकास्टिंग संस्था का उपयोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार आदि के लिये नहीं किया और जहां तक मेरा ख़याल है चुनाव सम्बन्धी जो कुछ भी सूचनायें थीं वह सारी जनता तक बिना भेदभाव के पहुंचाईं लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि लोगों में यह शक है कि सरकार इस संस्था का उपयोग अपनी पार्टी परपज़ेज़ के लिये करती है और शक इसलिये होता है कि जब किसी पार्टी विशेष के हाथ में शक्ति होती है तो यह हो सकता है कि बिना जाने भी जैसे कि बहुत लोग कहा करते हैं कि सरकारी अफ़सर जो सरकार का काम चलाते हैं वह अपनी तरक्क़ी के लिये, अपने स्वार्थ हेतु या तो अपने विभाग के मिनिस्टर को ख़ुश करने के लिये कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो हमारे मिनिस्टर लोग चाहते भी न हों, तो हमारे विरोधी पक्ष के लोगों को शक होता है कि सरकार ही ऐसे कामों को जान बूझ कर कराती है ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : शक का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है मर्ज़ का इलाज है ।

श्री एस० एन० दास : हमारे मंत्री महोदय ने सिद्धान्त रूप में मान लिया है और पिछले साल उन्हों ने ज़िक्र भी किया था कि वह इस बात को मानते हैं कि इस संस्था का प्रबन्ध अगर एक आयोग के सुपुर्द कर दिया जाय तो अच्छा है । उन्हों ने यह भी कहा था कि अभी वह समय नहीं है, जब समय आयेगा, दो, चार वर्ष में तब इस पर विचार किया जा सकता है । मैं उन से कहना चाहता हूं कि यदि वह ऐसा समझते हैं तो उन को समझना चाहिये कि अभी उपयुक्त मौक़ा है जिस समय वह सरकार की तरफ़ से घोषणा करें और एक कमीशन या कमेटी नियुक्त हो जो इन सारी बातों की जांच करे और जांच करने के बाद इस संसद् के सामने और हम लोगों के सामने अपनी सिफ़ारिशें रक्खे और हम सारी बातों की जानकारी हासिल करने के बाद निर्णय कर सकें कि दरअसल इस संस्था का संचालन सरकार के द्वारा होना चाहिये या किसी एक स्वतंत्र निगम के द्वारा होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन और मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री अलगू राय शास्त्री : आप का संशोधन अच्छा है ।

सभापति महोदय : अब श्री एस० एन० दास का संशोधन तथा मूल प्रस्ताव दोनों सभा के सामने प्रस्तुत हैं, और हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं । समय बहुत कम है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्हें जो कुछ कहना है संक्षेप में कहें ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : अखिल भारतीय रेडियो का भावी प्रशासन किस प्रकार का हो इस प्रश्न को हल करने के लिये हमें प्रधान रूप से आज़ादी की मांग पर ध्यान देना चाहिये । जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है यह समस्या सदा ही हमारे सामने रही है कि अखिल भारतीय रेडियो, सरकार का एक विभाग हो, या एक निगम हो क्योंकि अपने पिछले अनुभव में हम ने देखा है कि जहां तक जनता में जानकारी तथा ज्ञान प्रसारित करने का प्रश्न है अखिल भारतीय रेडियो ने वह काम पूरा नहीं किया है । जोकि प्रचार करने के लिये तथा जनता को शिक्षित करने के लिये बनाये गये एक संगठन के रूप में उसे पूरा करना चाहिये था ।

श्री अलगू राय शास्त्री : उस ने तो बहुत काम किया है ।

श्री के० के० बसु : मेरे मित्र शासकीय दल के सदस्य होने के कारण ऐसा कहते हैं । मैं अपनी बात को उदाहरण से सिद्ध करता हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में आकाशवाणी से केवल कांग्रेस दल के सदस्यों के मतों का ही उल्लेख किया गया था। हम ने जो कुछ आलोचना की उस का कहीं ज़िक्र भी नहीं था । जान पड़ता है कि अखिल भारतीय रेडियो भी कांग्रेस का प्रचार करता रहता है ।

फिल्म संगीत के विषय में भी मुझे यही कहना है कि यदि वह देश की संस्कृति का प्रतीक है और जनता उस में रुचि लेती है तो रेडियो पर उसे निस्सन्देह स्थान दिया जाना चाहिये । इस के विपरीत हम देखते हैं कि माननीय मंत्री की पसन्द को मान्यता दे कर अखिल भारतीय रेडियो पर ऐसे भारी भारी गीत छाये रहते हैं जिन को सुनते सुनते नसें फटने लगती हैं ।

जहां तक कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति का प्रश्न है उस की स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं है । कार्यक्रम तो विभाग ही बनाता है और वर्ष में एक दो बार जब कभी इसी समिति की बैठक होती है तो शवपरीक्षा की भांति ये कार्यक्रम उन के समक्ष रख दिये जाते हैं जिन्हें वह अनुमोदित कर देती है इन कार्यक्रम परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों का चुनाव करने में भी निश्चित पक्षपात दिखाया जाता है ।

जब कभी प्रशासन आवश्यक समझता है कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाती है । इसी प्रकार नये कर्मचारियों को भी प्रशासन इच्छानुसार भर्ती करता रहता है । यह सब कार्यवाही कार्य-संचालन व्यवस्था में बड़ा असन्तोष फैला देती है और इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने की जरूरत है । मैं यह नहीं कहता कि निगम का बनाया जाना अनिवार्य है, किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के संचालन और उन के सम्बन्ध में परामर्श देने का कार्य एक स्वतंत्र संस्था को सौंपा जाय । अब वह समय आ गया है जबकि सरकार को एक जांच समिति बना कर इस सम्पूर्ण प्रबन्ध की आमलचूल जांच करानी आवश्यक है और यह कार्य एक ऐसी संस्था को सौंपा जाय जो किसी दल विशेष का प्रचार न करे और जनता की सच्ची सेवा करने में सफल हो सके ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : श्री सिंह के संकल्प पर इतनी चर्चा हो चुकी है कि इस ने अखिल भारतीय रेडियो (आकाशवाणी) के बजट पर सामान्य चर्चा का रूप ले लिया है । हमें आयोग और समितियां बनाने की आदत सी हो गई है । पहले हमें इतनी सारी समितियों ने जो कुछ किया है उस पर विचार करना चाहिये । नित्य प्रति ऐसी समितियां बनाने से क्या लाभ है ? हमारे पास फिल्म जांच समिति और प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पहले ही मौजूद हैं । हमें पहले उन पर विचार करने की आवश्यकता है ।

यदि हम अखिल भारतीय रेडियो (आकाशवाणी) का प्रबन्ध एक निगम को सौंप दें तो उस पर संसद् का अधिकार नहीं रहेगा और यहां हम उस पर चर्चा नहीं कर सकेंगे । अभी तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति पर हमारा अधिकार होने के कारण हमारा उस से सम्पर्क बना हुआ है । प्राक्कलन समिति ने बताया है कि अखिल भारतीय रेडियो (आकाशवाणी) में ९२ सुधार करने की आवश्यकता है ।

हम अपने देश को प्रायः किसी नकिसी अन्य देश के आदर्श की ओर ले जाने की धुन में लगे रहते हैं । इसी प्रकार हम अखिल भारतीय रेडियो (आकाशवाणी) को ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के आदर्श परले जाना चाहते हैं, किन्तु मैं ने उस की त्रैमासिक पत्रिका का अध्ययन किया है और उस के प्रति वहां पर भी लोगों को असन्तोष है । अन्त में मैं एक बार पुनः यह निवेदन करूंगा कि जैसी स्थिति इस समय है वह ठीक ही है और आगे भी इस ढांचे पर यह प्रबन्ध चलता रहना चाहिये । संसद् और प्राक्कलन समिति का जो नियंत्रण है वह रहना चाहिये और आयव्ययक के समय उस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी (मैसूर) : कुछ माननीय सदस्य ने सोचा होगा कि मैं प्रजासमाजवादी दल का सदस्य हो कर निगम के पक्ष में क्यों बोल रहा हूं, किन्तु इस के दो कारण हैं । पहले तो हम यह चाहते हैं कि प्रसारण कार्य में निष्पक्षता और दक्षता के हेतु इसे किसी स्वायत्तशासी संस्था को सौंपा जाय । दूसरा कारण यह है कि इस विभाग में जो भाईभतीजावाद चल रहा है उस का अन्त होना चाहिये ।

अखिल भारतीय रेडियो से सदैव एक-पक्षीय प्रसारण होता रहता है । चाहे कांग्रेस सत्र हो रहा हो, या कांग्रेस की कोई और बैठक हो रही हो उसे विस्तार से प्रसारित किया जाता है । कांग्रेस के मंत्रियों के आदेश भी आकाशवाणी में स्थान पाते हैं । यह सब अवांछनीय है । इस से तो वही दशा हो जायगी जो हिटलर के समय में जर्मनी में हुई थी । प्रसारण का सम्बन्ध किसी दल विशेष से नहीं होना चाहिये । आज कांग्रेस के पास अधिकार है, कल कोई दूसरा दल उसे छीन सकता है किन्तु रेडियो तो एक सार्वजनिक हित का विषय है । उस में इस प्रकार के दोष नहीं होने चाहियें । मैं अन्त में पुनः निवेदन करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र एक निगम की स्थपाना की जाय ताकि यह प्रबन्ध सुचारु रूप से चल सके ।

श्री जी० पी० सिन्हा (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची) : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य इस निगम को अमरीकी नमूने पर चाहते हैं या रूसी नमूने पर ?

सभापति महोदय : वह किसी नमूने विशेष को नहीं चाहते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद अपना भाषण कृपया पांच मिनिट में समाप्त कर दें क्योंकि इस के पश्चात् पन्द्रह मिनिट का समय

माननीय मंत्री के लिये निश्चित किया गया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : सभापति महोदय, मुझे दुख है कि इस सभा के सामने जो संकल्प है उस के सम्बन्ध में जो दलीलें दी गई हैं वे ग़लत और निराधार हैं । ऐसी इंस्टीट्यूशन के लिये एक निगम होना चाहिये । सब लोग मानते हैं और इस बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । लेकिन आल इंडिया रेडियो को एक निगम का रूप देने के बारे में जो दलीलें दी गई हैं मैं समझता हूं वे बिल्कुल निराधार और ग़लत हैं । मूवर साहब ने और जो अभी अभी हमारे मित्र श्री गुरूपादस्वामी जी ने यह कहा है कि सरकार रेडियो के माध्यम को पार्टी प्रौपेगेंडा और सरकार की एचीवमेंट्स को ही सिर्फ़ जनता के सामने पेश करने के लिये इस्तेमाल कर रही है बिल्कुल निराधार है ....

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं ने बिल्कुल यह नहीं कहा कि सरकार रेडियो को केवल पार्टी प्रापैगेंडा के लिये इस्तेमाल कर रही है ।

श्री भगवत झा आज़ाद : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने अपने आप को इसी समय ठीक कर लिया है । देर आये दुरुस्त आये ।

मुझे विश्वास है कि वह समय दूर नहीं जब हम आल इंडिया रेडियो को एक निगम का रूप दे देंगे । इस समय हमारे देश में सब से बड़ा भाषा का प्रश्न है जो आज तक हल नहीं हो सका है । मेरा सरकार पर और मंत्री महोदय पर यह अभियोग है कि जहां हिन्दी के नाम पर वे हिन्दी प्रोग्राम जारी करते हैं वहां उस के अन्दर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को रखते हैं जिन का हिन्दी से बहुत कम सम्बन्ध होता है । मेरा अभियोग यह है कि दक्षिण महाराष्ट्र के लिये ऐसे व्यक्ति रखे जाते हैं जो महाराष्ट्री नहीं जानते हैं । इस वास्ते जब तक यह भाषा का प्रश्न हल नहीं हो जाता है तब तक निगम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी तक यह मालूम नहीं हो सका है कि देश की अभिरुचि क्या है । बी० बी० सी० का उदाहरण दिया जाता है, बी० बी० सी० ने जो भी काम किये हैं देश की अभिरुचि को ध्यान में रख कर किये हैं । वह वही काम कर रहा है जोकि एक औद्योगिक देश में होना चाहिये । हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और अभी तक हम लोगों की अभिरुचि मालूम नहीं कर सके हैं । हमें वह प्रोग्राम प्रसारित करने हैं जोकि देहातों में रहने वाले आदमियों के लिये फ़ायदेमन्द हों । यह सब प्रोग्राम तब तक फलीभूत नहीं हो सकते हैं जब तक इस देश में भाषा का प्रश्न हल नहीं हो जाता है । जब तक हम यह मालूम नहीं कर लेते कि यहां के लोग कैसे प्रोग्राम चाहते हैं तब तक इस निगम का बनाना बहुत ग़लत और खतरनाक होगा । हमारे देश को अभी तक कई प्रश्न हल करने हैं । काश्मीर का प्रश्न हमारे सामने है गोआ का प्रश्न हम अभी तक हल नहीं कर पाये हैं और ऐसे कई और प्रश्न हैं जोकि बी० बी० सी० के सामने नहीं हैं । हमने कई बड़ी बड़ी डिवैलपमेंट स्कीम्ज़ शुरू की हैं और जिन पर अच्छी प्रोग्रेस भी हो रही है जिन में भाखड़ा नांगल और डी० वी० सी० बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं और रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिस के ज़रिये सरकार इन के

[श्री भागवत झा आज़ाद]

बारे में लोगों को आवश्यक जानकारी दे सकती है ।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुई]

सिर्फ इसी माध्यम के ज़रिये हम सम्पूर्ण देश में प्रचार कर सकते हैं । अगर आज रेडियो का निगम बन जाय तो यह सम्भव नहीं है इसलिये मेरा कहना है कि निगम की आवश्यकता अभी नहीं है । लेकिन साथ के साथ मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि आज जो रेडियो के आर्टिस्ट हैं उन की सर्विस की कोई सीक्योरिटी नहीं है, उन के लिये कोई प्रावीडेंट फंड नहीं है, ग्रेचुयटी नहीं है। उन की अवस्था में सुधार होना चाहिये । उन को महीने भर की ग्रेचुयटी एक साल में ही जाय, उन को सरविस की सीक्योरिटी दी जाय ताकि वह समझ सकें कि यह आल इंडिया रेडियो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन और इस के लिये अपना तन और मन लगा दें ।

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है और इसलिये यह निगम नही बनना चाहिये ।

डा० केसकर : मेरे मित्र जो बातें कहना चाहते हैं उन का निर्देश म अपने भाषण में करूंगा ।

श्री पी० एन० राजभोज : मेरी आप से प्रार्थना है कि मुझे दो मिनट बोलने का समय दिया जाये । मैं ने अमेंडमेंट दिया था ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): मैं अध्यक्ष-पद को सूचित कर दू कि संशोधन नियमानुकूल नहीं था, इसलिये मैं ने पीठासीन होते समय अस्वीकृत कर दिया था ।

श्री पी० एन० राजभोज: चेयरमैन ने कहा था कि मैं विचार करूंगा । मैं दो मिनट के लिये बोलना चाहता हूं । मुझे मंत्री जी के भाषण के बाद ही दो मिनट का समय दे दिया जाये ।

सभापति महोदय : वह अनियमित घोषत किया जा चुका है । माननीय मंत्री अपने भाषण को जारी रखें ।

डा० केसकर : इस संकल्प के बारे में कही गई बातों के विषय में सरकार के दृष्टि-कोण को बताने से पूर्व, मैं संकल्प के प्रस्तुत कर्ता तथा एक दो अन्य मित्रों के भाषणों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । उन्हों ने कुछ बातें तो ऐसी कही हैं जो वास्तव में बजट की चर्चा मालूम होती थी । अखिल भारतीय आकाशवाणी के विरुद्ध जो शिकायतें की गई हैं उन का उत्तर मैं बजट-चर्चा के समय विस्तार से दूंगा । जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, मेरे लिये उन सब बातों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है जो मेरे मित्र श्री के० के० बसु ने इतनी शीघ्रता के साथ सभा में रखी हैं ।

साथ ही ठाकुर युगल किशोर सिंह के संकल्प के बारे में मुझे यह कहना है कि उन्हों ने अधिकतर जो तर्क प्रस्तुत किये हैं वे उन्हीं के संकल्प के प्रतिकूल हैं और विश्लेषण करने पर वह स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे। वह कहते हैं कि सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है । प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में अखिल भारतीय आकाशवाणी के अनेक दोष बताये गये हैं । क्या वह यह समझते हैं कि कोई निगम सरकारी विभाग की अपेक्षा अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है । कोई भी निगम निवृत्ति-वेतन और अन्य विशेषाधिकार नहीं दे सकता है अतः अनेक बातें इस प्रश्न से सुसंगत नहीं हैं कि कोई निगम होना चाहिये या नहीं । महानिदेशक के प्रश्न को लीजिये । कोई स्थायी महानिदेशक नहीं है, यह तो निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस की व्याख्या की जा सकती है । किन्तु

यह प्रश्न निगम के संकल्प से सुसंगत नहीं है। क्या वह यह समझते हैं कि निगम बना दिये जाने के बाद कोई स्थायी महानिदेशक रह सकेगा ?

अब मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो इस विषय में पूछे गये हैं। मेरे कुछ मित्रों ने यह आरोप लगाया है कि इस बारे में मैं ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ठाकुर युगल किशोर सिंह ने मेरे शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा है 'सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, मैं ने तो यह कहा है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार उस पर विचार कर सकती है। मैं यह तो नहीं कहता कि निगम कोई बुरी वस्तु है, किन्तु इस का यह अर्थ तो नहीं है कि हम इसी समय एक निगम स्थापित कर रहे ह। यही मत मेरा अब भी हैं।

जो कुछ मैं ने उस समय कहा था उस के विपरीत मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अब मैं एक स्वतंत्र निगम के प्रश्न पर आता हूं जिस का सुझाव मेरे मित्रों ने दिया है। यह कई बार कहा गया है कि सरकार पक्षपातपूर्ण है। कई बार कहा गया कि अखिल भारतीय रेडियो का व्यवहार भी पक्षपातपूर्ण है। संसद् में इस प्रकार के प्रश्न सर्वदा उठते रहते हैं, परन्तु मेरा निष्कर्ष यह है कि अखिल भारतीय रेडियो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है तथा इस का उत्तर मैं आय व्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय दूंगा। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी स्वतंत्र संस्था नहीं है जो इस महत्वपूर्ण विभाग का नियंत्रण कर सके। सरकार २५ वर्ष से धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक पर्याप्त व्यय कर के इस संस्कृति, मनोरंजन तथा शिक्षा के साधन का निर्माण कर रही है अब यह एक बड़ी संस्था है। इस की कुछ अपनी निजी प्रथायें तथा रीतियां हैं। अतः क्या अब हम इस शक्तिशाली संस्था का दुर्व्यवहार करें ? इस के एक स्वतंत्र निगम को दे दिये जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किये जाने से पूर्व मैं यह पूर्णतया समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच ही इस को किसी स्वतंत्र निगम को दिया जाना चाहिये अथवा नहीं।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहता हूं कि किसी सार्वजनिक निगम का स्वतंत्र निगम होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि सार्वजनिक निगम के लिये कुछ वैध नियम तथा सिद्धान्त हैं इसलिये केवल न्यायपालिका को छोड़ कर और कोई स्वतंत्र निगम हो ही नहीं सकता है। किसी ऐसी संस्था के लिये जिस के द्वारा अत्यधिक प्रचार किया जा सकता है मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति समूह का विचार नहीं कर सकता हूं जिस को राजनीति से अलग स्वतंत्र विचार रखने वाला कहा जा सके। क्योंकि मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो सरकार के विरुद्ध हो अथवा किसी राजनीतिक दल का सदस्य न हो, स्वतंत्र विचार वाला ही होगा। उस के अपने निजी राजनैतिक विचार होंगे तथा कौन कह सकता है कि वह इस संस्था को चलाने में अपने पक्षपातपूर्ण विचारों का व्यवहार नहीं करेगा। इसलिये केवल वाद-विवाद के आधार पर इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि इस को एक स्वतंत्र निगम को सौंप दिया जाना चाहिये।

कई माननीय सदस्यों ने 'ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' की ओर इंगित किया है। ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन एक स्वतंत्र निगम नहीं है। यदि आप इस के चार्टर (अधिकार-पत्र) का मनन करें तो आप को ज्ञात हो जायेगा कि यह निगम पूर्णतया ब्रिटिश संसद् के नियंत्रण में है तथा इस का आय-व्ययक, कार्य प्रणाली आदि

[डा० केसकर]

की देखभाल ब्रिटिश संसद् ही करती है । इसलिये हम इस को स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं । समय समय पर इस के गवर्नर तथा महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ही करती है । इसलिये बी० बी० सी० का उदाहरण निरर्थक है । हम स्वतंत्र संस्था बनाने के प्रश्न पर पूर्णतया विचार कर के ही अखिल भारतीय रेडियो (आकाशवाणी) को एक स्वतंत्र संस्था बना सकते हैं । वैसे सिद्धान्त रूप से तो बात यह अच्छी दिखाई देती ही है ।

दूसरे, मेरे मित्र, श्री के० के० बसु का कहना है कि दामोदर घाटी निगम (डी० वी० सी०) जैसे निगम अच्छे नहीं होते हैं । परन्तु मैं यही चाहता हूं कि जब तक श्री बसु अथवा निगम के अन्य समर्थक मुझे किसी सचमुच ही स्वतंत्र निगम का उदाहरण नहीं बतायेंगे, मैं ऐसी महत्वपूण संस्था को, जिस को इतने परिश्रम के पश्चात बनाया गया है, एक स्वतंत्र संगठन बनाने का सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

श्री के० के० बसु : हमें एक स्थान पर बैठ कर इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये ।

डा० केसकर : मैं इस के लिये प्रस्तुत हूं । वह इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव रखेंगे मैं उन पर विचार करने को तैयार हूं ।

इस के पश्चात ठाकुर युगल किशोर सिंह ने देश में हो रही घटनाओं के सम्बन्ध में कहा । कई विदेशों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये । मैं ने भी कई विदेशों के संगठनों का अध्ययन किया है तथा उन्हों ने जो निष्कर्ष निकाला है वह ठीक नहीं है । यदि वह इस प्रश्न का ध्यानपूर्वक मनन करेंगे तो उन को ज्ञात हो जायेगा कि सभी देशों में प्रसारण अलग अलग रीति से किया जाता है । जैसे संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इस के लिये एक आयोग है । प्रसारण वहां एक ग़ैर-सरकारी व्यवसाय है तथा यह आयोग ही अनुज्ञापन

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

का कार्य करता है तथा अन्य दिन-प्रतिदिन के कार्य करता है । दूसरी ब्रिटिश पद्धति है । वहां ब्रिटिश संसद् द्वारा एक नियंत्रित निगम है तथा वही इस की देखभाल भी करता है । फ्रान्स में इस का नियंत्रण सरकार करती है । रूस तथा चीन में सरकार इस के द्वारा शिक्षा के प्रचार का कार्य करती है । प्रत्येक देश ने अपनी आवश्यकतानुसार इस संगठन वा निर्माण किया है । अब मैं कह सकता हूं कि यद्यपि प्रसारण कार्य २५ वर्ष से हो रहा है, परन्तु इस का विकास अभी कुछ वर्षों से ही तथा विशेषतया स्वतंत्रता के पश्चात् के वर्षों में ही हुआ है । इस समय यह बहुत अस्थिर तथा विकासोन्मुख स्थिति में है । संभवतः देश में प्रसारण की वृद्धि हो रही है । मैं अभी यह नहीं बता सकता.....

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग़ैर-सरकारी कार्य का समय समाप्त हो चुका है ।

डा० केसकर : आप से पूर्व जो माननीय सदस्य सभापति थे उन्हों ने बताया था कि समय ४-०५ तक था ।

हमें देखना चाहिये कि स्वतंत्र निगम स्थापित करने का प्रभाव क्या होगा । इस प्रकार के विचारों का प्रचार करने वाले व्यक्ति वह हैं जिन के व्यापारिक हित हैं तथा जिन को यह आशा है कि यदि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो अन्य व्यापारिक संस्थाओं के समान प्रसारण द्वारा वह भी अपनी वस्तुओं का प्रचार कर सकते हैं । दूसरे सांस्कृतिक, तथा भाषा सम्बन्धी

विकास को प्रसारण कार्यक्रमों से हटा दिया जायेगा। इस समय भारत के प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र में तथा संविधान में वर्णित सभी भाषाओं के आधार पर प्रसारण का विकास किया जा रहा है। कोई प्रसारण निगम आय-व्ययक का ध्यान रखते हुए कार्य करे इस प्रकार से करने में समर्थ नहीं होगा। इस समय यह एक घाटे वाली संस्था है इसलिये हमें इस का व्यय कम करना है, कुछ स्टेशनों को घटाना है तथा रेडियो सीलोन के समान कुछ कार्यक्रम चालू करने हैं। हमें इन सब का ध्यान रखना है। मैं नहीं जानता कि सांस्कृतिक स्थिरता तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास के सम्बन्ध में प्रसारण के द्वारा जो कुछ किया जाता है आप उसे बन्द करना चाहते हैं।

इस के पश्चात् आप को देहाती कार्यक्रम भी बन्द करना पड़ेगा जोकि प्रसारण का एक बड़ा ही महत्वपूण अंग है। यह सच है कि जो कुछ होता है उस से हम भी सन्तुष्ठ नहीं हैं तथा उस में सुधार करना चाहते हैं। हमारे तथा ग्रामीणों के मध्य यही एक कड़ी है जोकि ऐसा करने से अवश्य टूट जायेगी। ग्राम्य प्रसारण से हमें कोई आय नहीं होती है। कोई भी प्रसारण संस्था जो अपने आय-व्ययक को ठीक रखना चाहती हो इस प्रश्न पर अवश्य विचार करेगी।

सब से बुरी बात यह होगी कि संसद् का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि सरकार यह नहीं कर रही है तथा वह कर रही है। तथा उस समय आप कहेंगे कि प्रसारण का कैसा खराब प्रबन्ध है। हमारे सम्मुख इसलिये केवल यही दो मार्ग हैं कि या तो इस का सरकारी विभाग ही नियंत्रण करे —सीधी तरह से अथवा अन्य किसी प्रकार से—अथवा डी० वी० सी० के समान किसी निगम की स्थापना की जाये। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस का पूर्णतया मनन करें। प्रथमतः यदि निगम बना दिया गया, तो उस पर नियंत्रण संसद् का होगा अथवा प्राक्कलन समिति का होगा या नहीं, नियुक्तियां लोक-सेवा आयोग द्वारा होंगी अथवा नहीं। नियंत्रण, प्राक्कलन समिति के समान किसी समिति का होगा अथवा नहीं, इन सभी प्रश्नों पर विचार करना होगा। हमें प्रति वर्ष आय-व्ययक प्राक्कलन बनाना होगा, और इस के सम्बन्ध में आलोचना करने का आप को अवसर मिलेगा। परन्तु जैसा इस समय संसद् का उस के प्रतिदिन के कार्य पर नियंत्रण है वैसा नहीं रहेगा। इस से भी अधिक, ठाकुर युगल किशोर सिंह ने जैसा बताया, उस के विपरीत आकाशवाणी के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा जाती रहेगी। संभव है कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हम ने आकाशवाणी के कर्मचारियों से यह शर्त रखी है कि जैसे ही अखिल भारतीय रेडियो (आकाशवाणी) को निगम में परिवर्तित किया जायेगा सारी सरकारी सेवा सुविधायें समाप्त की जायेंगी। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय रेडियो के स्थायी कर्मचारियों को सभी सुविधायें, निवृत्ति-वेतन समेत प्राप्त हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि यदि अखिल भारतीय रेडियो (आकाशवाणी) के पदाधिकारियों का मत लिया गया तो एक भी इस पक्ष में होगा कि उन की सेवा शर्तों को परिवर्तित किया जाये। मंत्री के रूप में मैं निगम का स्वागत करूंगा क्योंकि मुझे अपने मित्रों के दिन प्रतिदिन के प्रश्नों का उत्तर देने से छुटकारा मिल जायेगा। मंत्रालय का नियंत्रण रहेगा ही जिस से कि संगठन करने में आसानी हो जायेगी क्योंकि मंत्री को संसद् में किये जाने वाले प्रश्नों का कोई भय नहीं रहेगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों पर ही इसे छोड़ता हूं कि वे ही निश्चित

[डा० केसकर]

करें कि वे अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं या नहीं ।

अन्त में मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस पर इस समय इतना अधिक धन इसलिये व्यय किया जा रहा है कि जिस से कि इस की गणना संसार की बड़ी से बड़ी संस्थाओं में होने लगे । इस पंच वर्षीय योजना में हम लगभग चार करोड़ रुपया प्रसारण के विकास पर व्यय कर रहे हैं, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस से भी अधिक धन व्यय किया जायेगा । जब सरकार इतना धन इस पर व्यय कर रही है तो क्या यह उपयुक्त होगा कि संसद् का विभिन्न समितियों का तथा वित्त मंत्रालय का नियंत्रण उस पर से उठा लिया जाये तथा इस को एक निगम को सौंप दिया जाये । आप ही स्वयं कुछ निगमों के विरुद्ध शिकायतें करते हैं तथा अब आप ही निगम बनाने की बात कहते हैं ।

मुझे खेद है कि समय की कमी के कारण माननीय सदस्यों के कुछ आक्षेपों का उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता हूं । परन्तु आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय मैं उन का उत्तर दूंगा । परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि मैं संकल्प तथा संशोधनों किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यदि और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं हम इस वाद-विवाद को बन्द कर देंगे ।

डा० केसकर : यह चर्चा अब बन्द कर दी जानी चाहिये । आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय आकाशवाणी पर फिर वाद-विवाद होगा ।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प के प्रस्तुत-कर्ता ठाकुर युगल किशोर सिंह उत्तर देना चाहते हैं इसलिये इसे दूसरे दिन तक के लिये स्थगित करना आवश्यक है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—समाप्त

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : श्रीमान्, पिछले दो दिनों से हम इस सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं । सरकारी नीति की प्रशंसा में और उस की आलोचना में भी, बहुत कुछ कहा गया है । उस प्रशंसा के लिये मैं आभारी हूं, साथ ही उन आलोचनाओं के लिये भी, यद्यपि उन में से अधिकतर आलोचनाओं से मैं सहमत नहीं हूं, मैं अपना आभार प्रकट करता हूं

मुझे आशंका है कि सभा अपनी उमंग में यह कल्पना न कर ले कि हम जो कुछ कह रहे हैं उस से बहुत अधिक हम कर रहे हैं । मेरा निर्देश विशेषत: अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से है क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कुछ विश्व समस्याओं के सम्बन्ध में भारत अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है जो एक प्रकार से प्रभुत्वपूर्ण है । जो भी हो, हमें अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण रखना चाहिये ।

मेरा विश्वास है कि हम ने कतिपय समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में अथवा तनातनी कम करने के सम्बन्ध में समय समय पर सहायता की है और उस के लिये हमें उचित श्रेय लेना चाहिये । किन्तु हम उस से और आगे न बढ़ें । किसी भी देश की घटनाओं पर प्रभाव डालने की सामर्थ्य अनेक तथ्यों द्वारा सीमित होती है । वास्तव में देखा जाय तो आप को मालूम होगा कि भारत में उन अधिकतर बातों की कमी है और यदि हम किसी प्रकार विदेशी घटनाओं को प्रभावित कर सके हैं तो वह किसी सैनिक अथवा वित्तीय शक्ति के कारण नहीं बल्कि इसलिये कि दूसरों की अपेक्षा हम ने घटनाओं को अधिक

उचित रूप से समझा है क्योंकि हम युगधर्म के अधिक अनुरूप थे और इसीलिये हम उन चीजों को ठीक तौर से समझ सके, इसलिये नहीं कि हम में अधिक ताक़त या शक्ति थी। अतः सभा से मेरी प्रार्थना है कि वह इस दृष्टिकोण से देखे। मेरी धारणा है कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय नीति का सम्बन्ध है, सही हो या ग़लत उस का कहीं न कहीं महत्व होता है। किन्तु किसी प्रस्थापना के सही होने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है वरन् उसे कहने वाले व्यक्ति अथवा देश की ओर और उस देश के पीछे की शक्ति की ओर ध्यान दिया जाता है। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति अंततोगत्वा उस देश के घरेलू मामलों पर निर्भर होती है। वास्तव में उसे एक दूसरे के अनुरूप होना पड़ता है क्योंकि वह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है। अन्तिम विश्लेषण में घरेलू मामलों के आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बोलने के लिये कुछ शक्ति, बल और प्राधिकार प्राप्त होता है। मैं उत्तेजनापूर्ण तुलनायें नहीं करना चाहता हूं, किन्तु माननीय सदस्य आज के भारत की अन्य देशों के साथ तुलना कर के स्वतः यह निर्णय करें कि अधिकतर देशों की अपेक्षा किस हद तक भारत ने पिछले छः या सात वर्षों में प्रगति नहीं की है। वास्तव में इसी धारणा के कारण ही भारत आगे बढ़ रहा है और बाक़ी दुनिया के लोग उस की ओर आदर की दृष्टि से देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो पूर्णतः दृढ़ और गतिशील है।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अमुक अमुक विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं ने अनेक बार यह बताने का प्रयत्न किया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारे लिये कार्यों की अथवा भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की एक लम्बी सूची नहीं होती है। वह हमारे सभी विभागों अथवा मंत्रालयों के कार्यों का पुनर्विलोकन नहीं होती है। उस में अभिसमय के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के साथ तथा अन्य देशों के साथ भारत के सम्बन्ध का और मोटे तौर पर घरेलू मामलों का संक्षिप्त विवेचन किया जाता है।

दूसरी ओर के माननीय सदस्य ने कहा था कि राष्ट्रपति को सेना, नौसेना तथा वायु बल के बारे में अधिक कहना चाहिये था। मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूं। यह बात नहीं है कि उन का कोई महत्व नहीं है बल्कि हमें उन पर उचित समय में उचित अवसर पर विवेचन करना चाहिये। राष्ट्रपति उस सम्बन्ध में अथवा भारतीय प्रशासन सेवा या अन्य किसी सेवा के सम्बन्ध में क्यों चर्चा करें? अतः मेरा सभा से यह निवेदन है कि वह किसी निश्चित दृष्टिकोण से चीजों को देखें। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में आज की अनेक कठिनाइयां इसी कारण हैं कि लोगों का कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं है अथवा वे उन परिवर्तनों के प्रति जागरूक नहीं हैं जो आज दुनिया में होने जा रहे हैं अथवा हो चुके हैं। हम फिलहाल एक असाधारण क्रन्तिकारी युग में हैं और वह भी सच्चे अर्थ में क्योंकि प्रत्येक वस्तु संक्रमण की अवस्था में है और बड़ी तेज़ी से बदल रही है। ऐसा क्यों है, यह एक भिन्न विषय है।

आप कह सकते हैं कि वह औद्योगिक क्रान्ति की पराकाष्ठा है जिस का वर्तमान प्रतीक परमाणु अथवा उद्जन बम कहा जा सकता है, क्योंकि वह औद्योगिक क्रान्ति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास का परिणाम है। विश्व में घटित अन्य सभी बातें २०० वर्ष या उस से कुछ कम समय पहले प्रारम्भ हुए औद्योगिक क्रान्ति के

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

परिणाम हैं। हम इस दशा तक पहुंच चुके हैं और आज के युग का प्रतीक उद्जन बम है। हम उसे भयंकर विनाश के रूप में देखते हैं, किन्तु वह उस से कुछ और अधिक भी है; वह औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ से विश्व के पास एकत्र महान् शक्ति का प्रतीक है। हमारे समक्ष और अधिक परिमाण की एक दूसरी क्रान्ति उपस्थित है जहां शक्ति को मुक्त किया जा रहा है। उस शक्ति से मानवता नष्ट होगी या बची रहेगी यह एक दूसरी बात है। जब तक किसी को इस स्थिति की स्पष्ट कल्पना नहीं होगी वह अन्य समस्याओं को नहीं तौल सकता है क्योंकि वे इस स्थिति से सम्बन्धित है।

आज की विश्वस्थिति का और दूसरा पहलू लीजिये। आज खास कर एशिया में और कुछ कम हद तक अफ्रीका में क्या हो रहा हैं। अफ्रीका में एक उत्तेजना है, एशिया में उस से कुछ और अधिक है। सारी स्थिति बदल गई है और बदल रही है और क्रांतियां हुई हैं। हमारे युग की प्रमुख बातों में एक एशिया का उत्थान है और यह बात बिलकुल अलग है कि लोग उसे पसन्द करते हैं या नहीं। दुर्भाग्यवश लोग तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। यह एक कठोर सत्य है कि चीन में जनता की सरकार है किन्तु कुछ देश उसे स्वीकार नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका फारमोसा द्वीप को ही चीन कहता है। यह एक असाधारण बात है। ऐसे तथ्य को जान बूझ कर एक ओर रख कर बनाई गई नीति किस प्रकार ठीक नीति हो सकती है? इस के अतिरिक्त दूसरी बात जो मैं बताने का प्रयत्न कर रहा था वह यह है कि एशिया एक महान् क्रान्तिकारी परिवर्तन और संक्रमण के पथ पर है। यह संक्रमण और परिवर्तन भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न स्वरूप ले सकता है। फिर भी आप देखेंगे कि बड़े देश इस बात को जानते हुए भी कि राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें मानने के लिये तय्यार नहीं हैं और यह सोचते हैं कि एशिया सम्बन्धी समस्याओं और मामलों में अभी पुराने तरीक़े अपनाये जा सकते हैं। मेरा यह आशय नहीं है कि एशिया किसी अन्य महाद्वीप के विरुद्ध खड़ा हो जाय।

मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा था कि समस्या को सुलझाने के लिये सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि समस्या की प्रकृति को समझा जाय। मेरा यह कहना है कि समस्या को समझने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। आज एशिया में जो कुछ हो रहा है वह सब से अधिक दिलचस्पी का विषय है। इतिहास के किसी भी छात्र को अथवा किसी व्यक्ति को जो किसी एक दृष्टिकोण से इतिहास की ओर देखना चाहते हैं उन के लिये यह सब से अधिक दिलचस्पी का विषय होगा। फिर भी मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि अफ्रीका के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और अब भी किया जा रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि पुरानी आदतों अथवा वर्तमान हित के कारण लोग स्थिति को वास्तविक रूप में देखने में असमर्थ हैं। हमें भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि उन असंख्य शक्तियों को समझना है। ये सभी आज के विश्व में क्रियाशील हैं और आज तो आप आणुविक शक्तियों को वर्तमान युग का प्रतीक समझ सकते हैं।

इस नये संदर्भ में समस्या को समझने का प्रयत्न करने से अनेक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक तो यह कि हमारी पहले की सारी विचारधारा पुरानी हो सकती है। हमारे सभी नारे निरर्थक हो सकते हैं।

अतः चाहे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो अथवा घरेलू क्षेत्र में हमें वर्तमान स्थिति को नये सिरे से समझना होगा ।

इस सन्दर्भ में समस्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं तथा अपनी घरेलू समस्याओं के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । आज सब से महत्वपूर्ण तथा गंभीर प्रश्न फ़ारमोसा तथा चीन के तटवर्ती द्वीपों सम्बन्धी स्थिति है । राष्ट्रपति ने उस का निर्देश करते हुए कहा है कि हम चीन में केवल जनता की सरकार को मानते हैं और हमारे विचार से चीन के दावे न्यायोचित हैं । कुछ माननी सदस्यों ने उस वक्तव्य की आलोचना की है । मैं उस प्रश्न के कुछ पहलुओं पर विचार करना चाहता हूं ।

सर्वप्रथम यह निश्चित है कि हम दो चीन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसलिये हम ने जान बूझ कर केवल एक चीन को ही माना है क्योंकि वही वास्तविक चीन है । यह स्पष्ट है कि फ़ारमोसा चीन नहीं है । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हम अथवा राष्ट्रपति यह क्यों कहें कि चीन के दावे न्यायोचित प्रतीत होते हैं । मैं पुराने इतिहास की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक फ़ारमोसा चीन का अंग रहा है सिवा इस के कि ५० वर्ष की कुछ कम अवधि से वह उस का अंग नहीं रहा है । चीन ने सदा उसे अपना ही भाग समझा है और इसलिये उस का उस पर दावा है । चीन का यह राष्ट्रीय दावा है ।

किन्तु इस के अतिरिक्त, क़ाहिरा और पोट्स्डम में यह स्पष्ट बताया गया था कि फ़ारमोसा चीन को मिलना चाहिये । यह सच है कि उस समय चीन एक ऐसी सरकार द्वारा शासित नहीं था जो प्रधानतया कम्यूनिस्ट हो । बाद में जापानी आत्मसमर्पण की शर्तों में भी यही कहा गया था । जहां तक मुझे स्मरण है, सानफ्रांसिस्को संधि में भी इसी प्रकार का निर्देश किया गया था । अतः किसी समय भी इस तथ्य पर सन्देह प्रकट नहीं किया गया कि फ़ारमोसा चीनी राज्य का एक भाग है । अब पिछले दो तीन वर्षों में ऐसी क्या बात हुई है कि स्थिति को बदल दिया जाय ? मुझे ऐसी कोई बात ज्ञात नहीं है बशर्ते कि कोई यह कहे कि वह वर्तमान चीनी राज्य को नहीं पसन्द करता है । यह कोई तर्क नहीं है ।

अतः इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि उस देश के लिये जो चीन की वर्तमान सरकार को स्वीकार करता है, फ़ारमोसा उस राज्य का भाग है । अभी फिलहाल वह मार्शल च्यांग काई शेक के कब्जे में है जिसे एक महान् शक्ति का समर्थन प्राप्त है । आज वास्तव में स्थिति यह है ।

मैं इस विषय पर अधिक तर्क न करते हुए केवल इस बात पर ज़ोर देता हूं कि चाहे जो कुछ भी किया जाय, फिर भी शान्तिपूर्वक समझौता करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । उस में कुछ थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वह कहीं अधिक अच्छा है इस की अपेक्षा कि एक लम्बी लड़ाई हो और दुनिया के एक बड़े हिस्से की बरबादी हो ।

पश्चिम के कुछ देशों में इन विषयों के बारे में एक विचित्र मतभेद है । शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह न मानता हो कि तटीय द्वीप विशेष कर क्यूमोय और मात्सू निश्चय ही चीन के भाग हैं । वे किनारे से पांच या दस मील की दूरी पर हैं और कोई देश यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उस का शत्रु उस के किनारे से दस मील की दूरी पर बैठा रहे और हमेशा उस पर बमबारी करता रहे । यह एक असह्य स्थिति है । अतः यह बात सभी लोग स्वीकार करते हैं कि उन द्वीपों को तुरन्त खाली कर दिया

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जाय और मुख्य द्वीप उन पर कब्जा कर ले। पर ऐसा नहीं किया गया और मुझे यह नहीं मालूम कि क्या ऐसा किया भी जाएगा ? हमें यह सोच लेना चाहिये था क्या किसी भी परिस्थिति में हमें ऐसा करना चाहिये क्योंकि इस प्रकार के कार्य का कोई औचित्य नहीं है। उस के बाद फारमोसा और पेस्काडोर के मामले पर विचार किया जा सकता है।

आज केवल फारमोसा के सम्बन्ध में ही यह कठिनाई नहीं है बल्कि संसार की बहुत सी समस्याओं के सम्बन्ध में यह कठिनाई है और संसार की नित्य की घटनाओं और हमारे दृष्टिकोणों में काफी अन्तर है।

मैं सभा के सम्मुख एक दूसरा दृष्टिकोण पेश करता हूं। आज हम चारों तरफ सैनिक सन्धियों की बात सुनते हैं। आज संसार में दो महान् शक्तियां संयुक्त राज्य अमरीका और रूस हैं। महान् और बड़ी शक्तियों के बीच सैनिक सन्धि का कुछ महत्व होता है पर एक महान शक्तिशाली और एक बहुत छोटे देश के बीच सैनिक सन्धि का कोई महत्व नहीं है, आज के अणुशक्ति-युग में उन्हीं देशों का महत्व है जो अणु बमों का प्रयोग कर सकते हैं। पर छोटे देशों का बड़े देशों के साथ सैनिक सन्धि करने का अर्थ यही है कि वह दूसरे देशों के परतंत्र होते जा रहे हैं। इस से सैनिक महत्व से रक्षा की कोई अभिवृद्धि नहीं होती। हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस का कुछ महत्व हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे कोई एक देश दूसरे के विरुद्ध सैनिक तैयार करे। पर यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है। आज के अणुशक्ति युग में युद्ध की बात सोचना ही पागलपन है। आज किसी एक व्यक्ति ने चाहे युद्ध की बात सोची हो, पर इंगलैंड अमरीका और रूस के बड़े बड़े सेनापतियों ने कहा है कि आज युद्ध की बात नहीं सोची जा सकती, क्योंकि युद्ध का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना होता है न कि बरबादी करना। आज अगर युद्ध होगा तो एक देश ही नहीं बल्कि सभी देश जो उस में भाग लेंगे, बरबाद हो जायेंगे। संसार के सभी देश यह समझते हैं कि आज के अणुशक्ति युग में युद्ध असंभव है। किसी को युद्ध का इच्छुक बताना बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। यदि ये बातें ठीक हैं तो इस प्रकार की सैनिक सन्धियों का क्या मतलब है ? किन्तु यह बात तर्कपूर्ण नहीं मालूम पड़ती। मैं किसी भूतकाल की घटना की आलोचना नहीं कर रहा हूं।

मैं आज की बात कर रहा हूं। अब उद्जन बम का उपयोग होने लगा है और इस से युद्ध का रवैया बिल्कुल बदल गया है। यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती कि किसी एक देश के पास बहुत बम हैं और किसी दूसरे के पास बहुत कम हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि कोई देश जिस के पास बहुत थोड़े बम हैं पर जो लड़ने को तैयार बैठा है वह अन्य देशों की बड़ी बरबादी कर सकता है। जब आप एक दूसरे को बरबाद करने के लिये तैयार बैठे हैं तो आप दूसरे को नाश करेंगे ही। इन बातों से बचाव का अन्य कोई उपाय नहीं है, सिवाय इस के कि युद्ध रोका जाय। केवल शस्त्रीकरण में कमी करने की बात से कोई लाभ नहीं होगा। यही बात सब से अधिक महत्व-पूर्ण है।

दूसरे, आज के अणुशक्ति युग में सैनिक सन्धियों का क्या महत्व है ? किसी देश के पास जो सेना है वह तो वैसी ही रहेगी। इस प्रकार की सैनिक सन्धियों का अभिप्राय

दूसरों को डराना है । शक्तिशाली गुट्ट अपने आस पास के छोटे छोटे देशों को धमकी देते हैं कि यदि तुम ने ऐसा किया तो हम तुम को मिटा देंगे; यदि तुम ने वैसा किया तो हम तुम को ठीक करने के लिये तैयार बैठे है । आज के युग में धमकी देने की बात ही सब कुछ समझी जाने लगी है । आप की धमकी का छोटे देशों पर, जिन के पास अणुबम नहीं हैं, प्रभाव पड़ सकता है पर जिन देशों के पास अणुबम हैं वह आप की धमकी से नहीं दबेंगे ।

आज संसार की स्थिति एक अस्थिर सन्तुलन पर पहुंच गई है । किसी भी आक्रमण से विश्व युद्ध हो जाने का डर है । चाहे यह आक्रमण किसी बड़े देश में हो या छोटे देश में, पर चूंकि उस से सन्तुलन भंग होगा अतः युद्ध अवश्य होगा । इसी कारण जेनेवा सम्मेलन में इंडोचीन के राज्यों के सम्बन्ध में काफी वादविवाद हुआ था । दोनों बड़े दल भयभीत थे कि यदि यह राज्य उन के विरोधी दलों में सम्मिलित हो जायेंगे तो उन को खतरा पैदा होगा । मान लीजिये कि लाउस और कम्बोडिया चीन के साथ मिल जाते हैं तो वह दूसरी तरफ के सभी देशों के भय का कारण बन जायेंगे और यदि ये दोनों देश चीन के विरोधी दल में मिल जायेंगे तो चीन अवश्य इस का विरोध करेगा । इस कठिनाई से कैसे बचा जाय ? या तो युद्ध के द्वारा यह निश्चय कर लिया जाय कि कौन सा देश अधिक शक्तिशाली है, या इंडोचीन के राज्यों को इन सैनिक सन्धियों के गठबन्धन से अलग रखा जाये ताकि दोनों पक्षों को यह सान्त्वना रहे कि इंडोचीन के राज्य उन के विरुद्ध नहीं हैं । इस कठिनाई से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है । क्योंकि दोनों दलों में से किसी के आगे बढ़ने से युद्ध अवश्य होता है इसलिये जेनेवा सम्मेलन में यह तय किया गया कि यदि इंडोचीन के राज्य इस प्रकार की सैनिक सन्धियों से अधिकतर दूर रहें, तो अच्छा है ।

ऊपर की बात से आप को पता चलेगा कि संघर्ष को बचाने का केवल यही उपाय है कि सभी बातों को उन के वास्तविक रूप में ही स्वीकार करना चाहिये । आप को युद्ध के द्वारा किसी चीज को बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये क्योंकि युद्ध का परिणाम वह नहीं होता जो हमें अभीष्ट होता है, बल्कि उस से भी बहुत अधिक हानिकारक और भयंकर होता है । दूसरे, ऐसे देशों की संख्या बढ़ा कर भी युद्ध की संभावना कम की जा सकती है जो किसी दलबन्दी में न पड़ें और जो सभी दलों से मैत्री का व्यवहार रखें ।

सभा को विदित है कि भारत ने इस सम्बन्ध में गत वर्षों में एक निश्चित नीति का अनुसरण किया है । हमारी इस नीति की प्रशंसा बहुत से देशों ने की है और एशिया के बहुत से देशों ने भी इसी नीति को अपनाया है । जो देश इस नीति के पक्षपाती नहीं हैं, वे भी इस की प्रशंसा करते हैं । हम इस नीति का अनुसरण इसलिये नहीं कर रहे हैं कि इस से शक्ति का सन्तुलन बनेगा या हम किसी वर्ग मेंसम्मिलित हो जायेंगे बल्कि इसलिये कि हमें विश्वास है कि हमारी नीति ठीक और अच्छी है; औरचाहे संसार का अन्य कोई देश इसनीति को न माने पर हम उसे अवश्य मानेंगे । इस नीति के अनुसरण में हमारा विश्वास है और हमारी निष्ठा है । लोग इस की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन को भी इस नीति में विश्वास है और वह जानते हैं कि यह नीति वर्तमान के लिये ही नहीं बल्कि भविष्य के लिये भी कल्याणकारी सिद्ध होगी ।

सभा को विदित है कि एशिया के कुछ देश जैसे बर्मा और इंडोनेशिया आदि अन्त-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

र्राष्ट्रीय मामलों में इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं । अभी हाल में यूगोस्लाविया के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति यहां आये थे और हम दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया था जिस में पंचशील के पांच सिद्धान्तों का जिक्र किया गया था । इस से पता लगता है कि किस प्रकार हमारी नीति का प्रचार बढ़ रहा है । मैं इस सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि आज बहुत सी सरकारें भले ही इस नीति से खुल्लमखुल्ला सहमत न हों, पर उन अनेक देशों की जनता का ध्यान इन की ओर आकर्षित हुआ है और लोग लगातार इस की ओर आकृष्ट हो रहे हैं ।

आज की दुनिया में कई प्रकार की विचारधारायें प्रचलित हैं । एक विचारधारा कड़ी कार्यवाही को महत्व देती है । यह पुरानी प्रणाली है । उस समय यदि कोई छोटा राज्य ठीक आचरण नहीं करता था तो उस को सेना भेज कर दबा दिया जाता था । यह सिद्धान्त तभी लागू होता है जब एक देश बलशाली और दूसरा कमजोर हो ; पर जब दोनों देश बराबर बलशाली होते हैं तो यह नीति असफल हो जाती है । एक दूसरी विचारधारा शक्ति के द्वारा समझौते पर विश्वास करती है। ठीक है, कमजोर की बात कोई नहीं सुनता । पर यदि एक देश समझौते के बल पर अपनी शक्ति बढ़ाता है तो उधर दूसरे देश भी ऐसा ही करते हैं; इस प्रकार शक्ति का सन्तुलन वैसा ही बना रहता है । कभी कभी स्थिति खराब भी हो जाती है ।

एक और विचारधारा पढ़े-लिखे भ्रम की है । इस विचारधारा के लोग अन्तरर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, उन की चर्चा करते हैं, भाषण करते हैं और लेख लिखते हैं पर वे अपनी भ्रमात्मक मानसिक स्थिति से कभी छुटकारा नहीं पाते । एक विचार धारा अज्ञानतापूर्ण भ्रम की है । इन विभिन्न विचार धाराओं के बीच यह पता लगाना जरा कठिन है कि हम क्या हैं और कहां हैं । विशेषतः जब समस्या एशिया से सम्बन्धित हो ; क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकांश विचार धारायें यूरोप और अमेरिका की उपज हैं । वे बड़े देश हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें दूसरे देशों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हो ; दूसरे महाद्वीपों के बहुत से लोगों ने इस तथ्य को ग्रहण नहीं किया है कि एशिया बदल गया है, और तेज़ी से बदल रहा है । इसलिये विशेषतः एशिया के सम्बन्ध में बड़ी भ्रान्ति है ।

कदाचित् अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में, निःसन्देह विश्व साम्यवादी तथा साम्यवाद-विरोधी दो शक्तिशाली गुटों में बंटा हुआ प्रतीत होता है, तथा वे इन दो बड़ी शक्तियों को एक दूसरे का विरोधी समझते हैं । वे इस बात को नहीं समझ सकते कि एक, दूसरे के मुक़ाबले में खड़ा भी हो सकता है । इसी से ज्ञात हो जाता है कि उन्हें एशिया के प्रति कितनी कम जानकारी है । मैं समस्त एशिया के प्रति नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह एक बहुत विशाल महाद्वीप है । जहां कई प्रकार की विचारधारायें तथा कार्य-प्रणालियां प्रचलित हैं तथापि यह एशिया के कई देशों के प्रति लागू होता है ।

अब यदि हम भारत के सम्बन्ध में कहें तो, यहां के राजनैतिक तथा आर्थिक गठन के सम्बन्ध में हमारे विचार स्पष्ट हैं । हम इस संसद् तथा इस देश में संविधान के अधीन कार्य करते हैं, जिसे हम संसदीय प्रजातंत्र कह सकते हैं । हम ने इसे स्वीकार कर लिया है । यह हम पर थोपी नहीं गई है । हम इसे जारी रखना चाहते हैं, बदलना

नहीं चाहते । हम आर्थिक स्तर में भी इसी ढंग से कार्य करना चाहते हैं । मैं इस पहलू पर कुछ बातें बाद में कहूंगा । विरोधी पक्ष के प्रति पूरे आदर के साथ मैं यह कहूंगा कि हम साम्यवादी नहीं बनना चाहते, किन्तु साथ ही हम दूसरी दिशा में घसीटे जाने की बात को भी पसन्द नहीं करते । हम किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते । प्रत्येक देश को अपना मार्ग चुनने का अधिकार है । हम ने अपना मार्ग चुन लिया है तथा हम उस पर चलना चाहते हैं, जब आवश्यकता होगी तो हम उसे बदल सकते हैं, न कि किसी के कहने अथवा दबाव में आ कर और किसी देश से, जो सेनाबल अथवा किसी अन्य प्रकार से अपनी इच्छा हम पर लादना चाहता है, भयभीत नहीं होते ; तथापि हम अपने को आन्तरिक तथा दूसरे रूपों में शक्तिशाली बनाना चाहते हैं । साथ ही हम दूसरे देशों के साथ मित्रता चाहते हैं । इस प्रकार हमारे विचार तथा दृष्टिकोण साम्यवाद था साम्यवाद-विरोधी युद्ध से मेल नहीं खाते हैं । उन देशों के बहुत से लोग इस का कारण नहीं समझते हैं ; तथापि एशिया के बहुत से देशों को अनिवार्य रूप से इस नीति का अनुसरण करना है । जब हम अपने पैरों पर खड़े होने योग्य नहीं हैं तब यह दूसरी बात हो जाती है जब कोई देश अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य नहीं होता तो वह अन्य देशों का आश्रय तथा सहारा ढूंढता है क्योंकि उसे आत्मविश्वास नहीं है । किन्तु ऐसा हो भी तो दुर्भाग्य की बात ही है ; इसलिये सहायता मांगते समय हम यह सोचते हैं कि कुछ देश मैत्रीपूर्ण सहायता लेते हैं, जो हम भी लेने को प्रस्तुत हैं किन्तु कुछ देश इसलिये सहायता लेते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते । यह सहायता सहायता नहीं कही जा सकती क्योंकि यह उस देश या व्यक्ति को दुर्बल बनाती है । इसलिये हम सदैव इस मामले में सतर्क रहते हैं कि हमारी नीतियां किसी प्रकार से प्रभावित तो नहीं हो रही हैं तथा सहायता के पीछे कोई शर्त तो नहीं लगी हैं । अपनी नीतियों का किसी प्रकार के बाह्य दबाव से प्रभावित होने से, हम बिना किसी प्रकार की सहायता के संघर्ष करना अच्छा समझते हैं ।

मैं अभी एशिया के उस परिवर्तन की ओर निर्देश कर रहा था जो कई रूप धारण कर रहा है । अभी लगभग सात सप्ताह के उपरान्त बांडुंग में, इंडोनेशिया स्थित बांडुंग में एक एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन होने वाला है, जहां एशिया तथा अफ्रीका के स्वतंत्र देशों को निमंत्रित किया गया है । जहां तक मैं जानता हूं प्रत्येक निमंत्रित देश के वहां उपस्थित होने की संभावना है । यद्यपि मैं बिल्कुल निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता तथापि मेरे विचार से वे सभी देश उपस्थित होंगे । यह सम्मेलन, यथार्थ में, क्या करने वाला है, मैं यह भी नहीं कह सकता । उस का कार्यक्रम बनाना, मेरे तथा इसे प्रारम्भ करने वाले देशों के हाथ में भी नहीं है । इस का निश्चय सम्मेलन ही करेगा किन्तु मुझे यह जान कर कुछ आश्चर्य हीं हुआ है कि माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता ने इस सम्मेलन के सम्बन्ध में पददलित देशों को मुक्त करने के लिये एक विशाल कार्यक्रम बनाने को कहा है । हम सभी पद-दलित देशों को मुक्त करना चाहते हैं । इस में कोई सन्देह नहीं है, किन्तु इस प्रकार के कार्यक्रम से हम सम्मेलन को सम्बन्धित करना--इस सम्मेलन के प्रयोजन को गलत समझना है--क्या हम वहां एक आन्दोलन चलाना चाहते हैं ? सभा को ज्ञात होगा कि सम्मेलन सरकारी स्तर पर होने वाला है । वहां सरकारें प्रतिनिधित्व करेंगी । वास्तव में, प्रधानमंत्रियों का प्रतिनिधित्व किया

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जायेगा । सम्मेलन में विभिन्न राजनैतिक तथा आर्थिक गठन वाले तथा नितान्त भिन्न आदर्श वाले देश हैं । इस सम्मेलन में ऐसे देश हैं जो एक अथवा दूसरे शक्तिशाली गुट के साथ हैं ; तथा भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, इत्यादि ऐसे भी देश हैं जो किसी गुट के साथ नहीं हैं । इसलिये वहां एशिया और अफ्रीका के देशों का एक अद्भुत समायोजन होगा । वे देश कई बातों में, एक दूसरे समान हैं और कई बातों में असमान भी हैं । यह एक विचित्र सम्मेलन होगा । किन्तु केवल सम्मेलन की ही बहुत बड़ी सार्थकता है । ऐसा सम्मेलन प्रथम बार ही हो रहा है । जो अप्रत्यक्ष तथा प्रच्छन्न रूप से यह प्रगट करता है कि एशिया तथा अफ्रीका अग्रस्थान ग्रहण कर रहे हैं । मैं नहीं जानता कि यह विचार इस सम्मेलन के मूल उद्भावक के मन में भी था अथवा नहीं, लेकिन यह प्रस्ताव समय की भावना के अनुसार उपयुक्त समय पर किया गया तथा इस प्रकार इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है ।

यह प्रगट है कि इस प्रकार का सम्मेलन वहां के प्रतिनिधि देशों के बीच के विवादपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर सकता है । मेरा मत है कि यह सम्मेलन इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा जिस से कि कोई दूसरों के प्रति एक विरोधी गुट खड़ा करे । यदि मैं इस शब्द का प्रयोग करूं तो यह अनिवार्य रूप से एशिया तथा अफ़्रीका के देशों के, जिन में से कुछ शक्तिशाली गुटों के इस ओर और कुछ उस ओर झुके हुए हैं, सह-अस्तित्व के सम्बन्ध में एक मैत्रीपूर्ण सम्मेलन है, जिस में यह पता लगाने का प्रयत्न किया जायेगा कि आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी कौन सा आधार सामान्य कहा जा सकता है ? इस प्रकार इसे केवल एशिया के ही दृष्टिकोण से नहीं, प्रत्युत संसार के दृष्टिकोण से बहुत महत्व की प्रगति कहा जा सकता है । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने प्रजातंत्र पर मेरी पुस्तकों के कुछ विस्तृत उद्धरण ले कर मुझे सम्मानित किया है । मैं ने वह उद्धरण देखा है तथा मोटे तौर से मैं २२ वर्ष पूर्व लिखी गई बात से सहमत हूं, यद्यपि तब से मेरे विचारों में पर्याप्त विकास हो चुका है । मैं अपने कहे हुए को दोहराता हूं कि यदि प्रजातंत्र केवल राजनैतिक प्रजातंत्र तक ही सीमित रहता है और आर्थिक प्रजातंत्र तक विस्तृत नहीं होता तो वह पूर्ण प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता । बहुत से लोग राजनैतिक प्रजातंत्र के आवरण के भीतर अपने को छिपा कर अन्य प्रकार की प्रगति को रोकते हैं । यह नितान्त सत्य है कि मैं ने ऐसा कहा है किन्तु हाल के वर्षों में कुछ नई तथा अपूर्व बातें हुई हैं यहां तक कि राजनैतिक प्रजातंत्र के सम्बन्ध में भी विभिन्न देशों में वयस्क मताधिकार का प्रारम्भ, पश्चिम में भी बिल्कुल नई चीज है । इस प्रकार यह तर्क कि प्रतिबन्धित प्रजातंत्र निहित हितों के पक्ष में रहता है यद्यपि बिल्कुल ठीक है तथापि यह वयस्क मताधिकार वाले देश में उस सीमा तक लागू नहीं होता जिस सीमा तक इस के लागू होने का ज़िक्र आया है ।

वास्तव में, हमें जिस समस्या का सामना करना है वह यह है कि आर्थिक क्षेत्र में हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं वह प्रजातंत्रात्मक पद्धति से, शान्तिपूर्ण रीति से हो सकते हैं अथवा नहीं । सामान्य रूप से यदि राजनैतिक स्तर में प्रजातंत्र ठीक रूप से नहीं कार्य कर पा रहा तो दबाव डालने, हिंसा तथा हिंसापूर्ण क्रांति के सिवा परिवर्तन करने का और कोई उपाय नहीं है । किन्तु जहां शांति पूर्ण उपाय उपलब्ध हो तथा वयस्क मताधिकार हो, वहां हिंसा से परिवर्तन

करने का प्रश्न न केवल निरर्थक है प्रत्युत बिल्कुल गलत है; क्योंकि उस का तात्पर्य यह है कि अल्प संख्यक बहु संख्यकों के ऊपर इसलिये हिंसापूर्वक अपनी इच्छा थोप रहे हैं कि वे सामान्य पद्धति से तर्कों द्वारा उनका मत परिवर्तन करने में असफल हो चुके हैं। निस्सन्देह यह कोई राजनैतिक अथवा आर्थिक प्रजातंत्र नहीं है। इसलिये समस्या यह है कि हम अपने राजनैतिक प्रजातंत्र को आर्थिक क्षेत्र में विस्तृत करें।

कदाचित् अशोक मेहता ने मुझ से यह प्रश्न पूछा है कि मेरे समाज के समाजवादी गठन कहने से क्या तात्पर्य है। उन्हीं के सहयोगी श्री नरेन्द्र देव ने यह प्रश्न जनता में पूछा है। उन्हें यह प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है किन्तु मैं नहीं जानता कि वह मुझ से औपचारिक विशेष अथवा विस्तृत—किस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। मैं उन्हें विस्तृत उत्तर नहीं दे सकता। यदि वह चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है तो यह दूसरी बात है। निःसन्देह हम ने लोक कल्याण राज्य कहा है; किन्तु मैं एक कदम आगे बढ़ कर कहता हूं कि हम समानतावादी समाज चाहते हैं जिसका तात्पर्य एक ऐसा समाज है जहां जनता के बीच आर्थिक तथा अन्य अवसरों की समानता होती है। यह मोटे रूप से साधारणीकरण है। इन बातों को हर कोई कह सकता है; मैं इस कारण कहता हूं कि हमें अपनी आंखों के सामने एक चित्र रखना पड़ता है तथा जैसा कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यगण कभी कभी करते हैं—कि एक नारा लगा कर उन्हों ने बहादुरी का कार्य कर दिखाया है अथवा कुछ पुरानी घिसी-पिटी कहावतें कह कर समाज बदल दिया है—ऐसा करना भयानक है।

श्री एस० एस० मोरे : आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरु : पहिला कदम यह है कि हम यथार्थता से सोचें तथा नारों से बन्धे हुए न रहें। यह महत्वपूर्ण है। टेकनौलोजी में असाधारण विकास हो जाने के कारण उत्पादन वितरण इत्यादि सभी बदल गया है। इसके फलस्वरूप आर्थिक सिद्धान्त समाप्त नहीं होते प्रत्युत नये दृष्टिकोणों का संकेत मिलता है। मेरे विचार से अणु युग में आर्थिक विचारों को हमें नया रूप देना पड़ेगा मेरा यह अभिप्राय नहीं कि प्राचीन काल के विचारकों के प्रति कम सम्मान हो। हमें उन के शब्दों से अवश्य लाभ उठाना चाहिये। किन्तु उन को उन के मूलरूप से वर्तमान युग में प्रयुक्त करना विचार तथा निर्णय की कमी है। यही अन्तिम चित्र महत्व पूर्ण है क्योंकि हमें यह जानना है कि हम आखिर किधर को जा रहे हैं; फिर भी हमारा यही उद्देश्य है कि सम्पत्ति बढ़ाने में द्रुत वेग से काम लिया जाय तथा बढ़ती हुई बेकारी को कम कर दिया जाय। विरोधी दल के माननीय सदस्य बहुत छोटी छोटी बातों से सन्तुष्ट हो जाते हैं ..... (**अन्तर्बाधाएं**)। अब उन के पास कोई अधिक महत्व की बात नहीं है .....(**अन्तर्बाधा**)।

यह स्पष्ट है कि आप चाहे जो प्रक्रिया या ढंग अपनायें, देश में पूर्ण रोज़गार प्राप्त करने तक आप को उत्पादन में वृद्धि करनी है और रोज़गार बढ़ाना है। अतः हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि पर्याप्तरूप में हम यह कार्य किसप्रकार कर सकते हैं। इस पर विचार आरम्भ करने के पूर्व आपको इस के लिये सूचना और संख्यकी प्राप्त करनी है। हम योजना बनाने की चर्चा करते हैं। मेरा ख्याल है कि वास्तव में यह एक अच्छी बात है, परन्तु स्वयं योजना भी तो केवल विचार करने से और बिना सांख्यकी के नहीं बनाई जा सकती। जब भी आप कोई योजना बनाते हैं, आप पांच या दस वर्ष पूर्व एक चित्र बनाते हैं। उस समय आप को यह जानना होता है कि तब आप का उत्पादन,

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

उपभोग प्रति व्यक्ति क्या होगा और लोग कितने खाद्यान्न का उपभोग करेंगे, आप का स्तर कितना ऊंचा होगा ; आदि, आदि । इस सब की गणना करनी होती है और इस सब के लिये व्यवस्था करनी पड़ती है । अतः यदि कोई पूछता है कि 'अपने समाजवाद की व्याख्या करो', तो मैं एक दूरदर्शी चित्र खींच सकता हं जो मेरे विचार में है और जिस में समाज प्रसन्न होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलेगा और कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर दबाव नहीं डालेगा, आदि, आदि । परन्तु इतना कहने से काम नहीं चलता । प्रश्न यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें इस देश में अपने धन में वृद्धि करनी है । हमें यह देखना है कि इस देश में वितरण समानता के साथ हो और असमानता समाप्त हो, और अन्त में हमारा एक ऐसा समाज हो जहां समानता हो । मुझे इस में सन्देह है कि उस समाज की स्थापना मेरे जीवन-काल में हो जायेगी । हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिये । यह प्रत्यक्ष है कि आप इस देश के ३६ करोड़ लोगों में जादू से एकदम परिवर्तन नहीं कर सकते । किसी भी देश में ऐसा करने में बहुत समय लगता है । परन्तु हम तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं और चाहे कुछ हो बहुत सी उन बुराइयों और अन्तरों को जो आज विद्यमान हैं, समाप्त कर सकते हैं । आप अब जितनी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, उस से अधिक तीव्र गति से आप बाद में आगे बढ़ सकेंगे ।

अतः, उस चित्र को भली प्रकार समझते हुए, जिसे मैं समाजवादी रूप समझता हूं, इन समस्याओं का समाधान अधिक उत्पादन और अधिक रोज़गार के साधन उत्पन्न कर के ढूंढा जाना चाहिये । अतः यह स्पष्ट है कि यदि हम समाजवाद के रूप में विचार करते हैं, तो हमें उत्पादन के बड़े बड़े साधनों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण लगाना चाहिये । वैसे राज्य में मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं--हम भूमि को सरकारी क्षेत्र नहीं बना रहे हैं । भूमि गैर सरकारी क्षेत्र रहती है । हम सहकारी प्रयत्न के रूप में विचार कर रहे हैं ।

अनेकों कार्यवाहियों के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र को पूर्ण रूप से भाग लेना होगा, परन्तु इस में सन्देह नहीं कि सरकारी क्षेत्र--जो वास्तव में सामाजिक आधिपत्य में होगा--अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जायेगा और इस की प्रभुत्वकारी स्थिति होगी और इस का लगभग देश की अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण होगा । यह प्रक्रिया जारी रहेगी । मेरा ख्याल है कि इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां किसी भी देश में इस प्रकार का प्रयोग किया गया हो । हम ने देखा है कि अन्य देशों में क्या हुआ है । यहां उस प्रक्रिया का उलटा है जिस के द्वारा पश्चिमी देशों ने औद्योगिक तथा आर्थिक प्रगति की है । आरम्भ करने के लिये हम ने उच्चतम प्रकार का राज नीतिक जनतंत्रवाद प्राप्त किया है और अब हमें उस के अधीन अपनी अर्थ-व्यवस्था बनानी है । यह स्मरण रखिये कि यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया के बिल्कुल उलटी है जो पश्चिमी देशों में १०० या १५० वर्षों तक होती रही है । अतः हम इस समस्या का एक श्रेष्ठ रूप में सामना कर रहे हैं और हम आर्थिक प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं और वह इन जनतंत्रात्मक और शान्तिपूर्ण ढंगों से । मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं । मुझे इस का विश्वास किसी सैद्धान्तिक तर्क के कारण नहीं है अपितु मुझे भारतीय लोगों पर विश्वास है ; मुझे उन पर गर्व है । फिर भी, यह एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिये यही एक साधन है कि

हम इस प्रश्न पर व्यापारी की भान्ति समाधान करें, और ऐसा करने में उस चित्र का ध्यान रखें । इस के अतिरिक्त, हमें अपने विचारों और क्रियाओं का आधार तथ्य, सांख्यकी और विज्ञान बनाना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि संशोधन संख्या १ और २७ एक साथ मतदान के लिये प्रस्तुत होने हैं ।

माननीय सदस्यों को विदित है कि संशोधनों में कुछ परिवर्तन हो गये हैं । और अब दोनों संशोधन एक हो गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब हमें और कोई संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत नहीं करना है । क्या मैं मूल प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत कर सकता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : हम चाहते हैं कि संशोधन संख्या २२ और २४ सभा के मतदान के लिये पृथक् पृथक् रूप से प्रस्तुत किये जायें ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ और २४ मतदान के लिये पृथक पृथक रूप में रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मूल प्रस्ताव को मतदान के लिये सभा में रखूंगा ।

प्रश्न यह है :—

> "कि इस सैशन में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये अत्यन्त आभारी हैं जो उन्हों ने २१ फरवरी, १९५५ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के सामने देने की कृपा की है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात लोक-सभा सोमवार, २८ फरवरी, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPND—HS—662 LSD—2-8-55—000